



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092025-265844
CG-DL-E-01092025-265844

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2025/ भाद्र 5, 1947

No. 234]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2025/ BHADRA 5, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2025

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं.-एडी (ओआई): 12/2024

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टी-आकार के लिफ्ट/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/14/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. जबकि सवेरा इंडिया राइडिंग सिस्टम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" या "याचिकाकर्ता" या "सवेरा इंडिया" कहा गया है) ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टी-आकार के लिफ्ट/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी " भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया।
2. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के मद्देनजर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 6/14/2024-डीजीटीआर, दिनांक 29 जून, 2024 के तहत एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें संबद्ध सामानों के किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

3. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए 29 जून 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।
 - iii. प्राधिकारी ने 29 जून 2024 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति, संबद्ध देश की सरकार को, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार देने का अनुरोध किया।
 - iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भी उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जहाँ भी अनुरोध किया गया, उपलब्ध कराई गई।
 - v. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया कि वह निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दे। ज्ञात

उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते सहित, उन्हें भी भेजी गई थी।

- vi. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।
- vii. जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने स्वयं को जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत कराया:

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यात
1.	बूशी कोएनिग एलेवेटर एक्सेसरीज़ कंपनी लिमिटेड
2.	तियानजिन सवेरा एलेवेटर राइडिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड
3.	सूज़ौ सवेरा शांगवु एलेवेटर राइडिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड
4.	मारज़ी (जियांगसू) एलेवेटर गाइड रेल कंपनी लिमिटेड
5.	झांगजियागांग ऑस्कर एंड जेसन एलेवेटर पार्ट्स कंपनी लिमिटेड
6.	झेजियांग बोनली एलेवेटर गाइड रेल निर्माता कंपनी लिमिटेड
7.	झांगजियागांग शिनलिन मशीनरी कंपनी लिमिटेड

- viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों को आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी जिसमें नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई थी।
- ix. जांच की अधिसूचना की शुरुआत के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत कराया:

क्र.सं.	आयातक/उपयोगकर्ता
1.	भूमि एसोसिएट्स
2.	कोन एलेवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3.	ओटिस एलेवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
4.	जॉनसन लिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	टेक्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
6.	ओमेगा एलेवेटर्स
7.	हाइबॉन एलेवेटर्स
8.	एसएसजे एंटरप्राइजेज
9.	इंडेक्स सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
10.	एशियन एलेवेटर्स
11.	केएसडी इक्विप्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	टीके एलेवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13.	हर्षल कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और एचर एलेवेटर फिक्स्चर्स

14.	मोंटेफेरो इंडिया गाइडरेल्स एंड एलेवेटर पाटर्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	कर्मा एंटरप्राइजेज
16.	भाग्यनगर स्टील इंडस्ट्रीज
17.	एसएमैक्स इंजीनियरिंग
18.	संजय एंटरप्राइज
19.	शिंडलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

- x. जांच की शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति और आवेदन-पत्र का एक अगोपनीय रूपांतर ज्ञात एसोसिएशनों को भेजा गया।
- xi. जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित एसोसिएशनों ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है:

क्र.सं.	एसोसिएशन
1.	चाइना चैंबर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रानिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई)
2.	इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए)
3.	इलेवेटर एंड एस्केलेटर कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ईईसीएमएआई)

- xii. इसके अलावा, इनमें से, सीसीसीएमई और ईईसीएमएआई ने अपने-अपने अनुरोध किए। प्राधिकारी ने इन सभी अनुरोधों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उन्हें नोट किया है।
- xiii. निर्यातक, विदेशी उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकार, जिन्होंने इस जांच का उत्तर नहीं दिया है या संगत सूचना प्रदान नहीं की है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- xiv. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और आवेदक को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था।
- xv. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि ("जांच की अवधि" या "पीओआई") 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 (12 महीने) है। क्षति अवधि में जांच की अवधि और पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 शामिल होंगे।
- xvi. महानिदेशक सिस्टम (डीजी सिस्टम) से पिछली क्षति जांच अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेन-देन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को यह प्राप्त हुआ और संबद्ध जांच के लिए इस पर विचार किया गया। वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xvii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति पर चर्चा करने के लिए 04 सितंबर 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ एक बैठक की। सभी हितबद्ध पक्षकारों से इनपुट प्राप्त करने के बाद, प्राधिकारी ने 19 नवंबर 2024 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को स्पष्ट किया और पीसीएन को भी अधिसूचित किया।

- xviii. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई और साथ ही सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
- xix. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, साक्ष्यों द्वारा समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत माने जाने की सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उचित रूप से विचार किया गया है।
- xx. प्राधिकारी ने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सूचना मांगी है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का स्थल सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- xxi. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- xxii. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आंकड़ों/सूचना के आधार पर किया गया है। अनुकूलन घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुमानित अधिकतम क्षमता उपयोग के आधार पर किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध III के अनुसार, भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन की इष्टतम लागत तथा निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर एनआईपी तैयार की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xxiii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 8 अप्रैल, 2025 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण 26 मई, 2025 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। जिन पक्षकारों ने दोनों मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद, यदि कोई हो, तो प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया। हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।
- xxiv. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण सभी हितबद्ध पक्षकारों को 04 अगस्त 2025 को परिचालित किया। पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, 10 अगस्त 2025 तक दायर करें और टिप्पणियाँ दायर करने की समय-सीमा को 08 अगस्त 2025 के ईमेल के माध्यम से 11 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया।
- xxv. प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन-पश्चात सभी टिप्पणियों की, जहाँ तक संगत समझा गया, जाँच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र था, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जाँच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए उसे दोहराया नहीं गया है।

- xxvi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
- xxvii. जहाँ भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार किया है या अन्यथा प्रदान नहीं की है, या जाँच में अत्यधिक रूप से बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- xxviii. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सूचना पर, उस सीमा तक विचार किया है, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जाँच के लिए संगत मानी गई हैं।
- xxix. इन अंतिम जांच परिणामों में '***' गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxx. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.52 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद टी-आकार की लिफ्ट/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल है, जिसे लिफ्ट गाइड रेल के रूप में भी जाना जाता है। लिफ्ट गाइड रेल दो प्रकार की होती हैं, यानी सॉलिड गाइड रेल और खोखली गाइड रेल। सॉलिड गाइड रेल टी-आकार की गाइड रेल हैं जो मशीनिंग या कोल्ड-ड्राइंग टी-प्रोफाइल द्वारा निर्मित होती हैं और कार गाइड रेल अनुप्रयोगों और काउंटरवेट/बैलेंसिंग वेट गाइड रेल अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाती हैं। खोखली गाइड रेल गठित शीट धातु से बनी होती हैं और खुली प्रोफाइल या बंद प्रोफाइल हो सकती हैं और काउंटरवेट/बैलेंसिंग वेट गाइड रेल अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाती हैं। पीयूसी लिफ्ट कार और काउंटरवेट/बैलेंसिंग वेट की सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक मार्गदर्शक संरचना प्रदान करता है।

4. पीयूसी के क्षेत्र में निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रकार और आयामों की टी-आकार की लिफ्ट/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल शामिल हैं:

- i. **कोल्ड-ड्राइंग गाइड रेल:** ये सॉलिड गाइड रेल कोल्ड-ड्राइंग प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित की जाती हैं जो परिष्कृत गाइड रेलों को आयाम देती हैं और उनके यांत्रिक गुण-धर्मों और सतह विशेषताओं (खुरदरापन) को संशोधित करती हैं।
- ii. **बड़े आकार/चौड़ाई की सॉलिड गाइड रेल,** यानी, विभिन्न प्रकारों में टी114/बी, टी127/बी, टी125/बी और टी140/बी। इन गाइड रेल को उनके बड़े आकार के कारण विशेष गाइड रेल कहा जाता है।

- iii. **वेल्डेड खोखले गाइड रेल:** इन खोखले गाइड रेल का निर्माण खोखले गाइड रेल के किनारों को सामान्यतः उच्च आवृत्ति वेल्डिंग प्रक्रिया या किसी अन्य समतुल्य वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा वेल्डिंग करके किया जाता है।
5. विचाराधीन उत्पाद प्रशुल्क शीर्ष 8431 और प्रशुल्क मद 8431 31 00 के तहत अध्याय 84 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है, "लिफ्ट, स्किप होइस्ट या एस्केलेटर" और 8431 39 10 "लिफ्ट, कन्वेयर और मूविंग उपकरण" के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। संबद्ध सामान प्रशुल्क मद 8431 39 00 "अन्य" के तहत भी आयात किए जाते हैं। तथापि, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का किसी अन्य शीर्ष/प्रशुल्क मद के अंतर्गत आयात किए जाने की संभावना है। अतः, विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रशुल्क मद केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
6. याचिकाकर्ता ने निष्पक्ष तुलना के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित की है:

क्र.सं.	मापदंड	प्रकार	पीसीएन कोड
1	गाइड रेल के प्रकार	सॉलिड गाइड रेल	एसजीआर
2		होलो गाइड रेल	एचजीआर

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- सतत वेल्डेड सीम के साथ निर्मित खोखले बंद प्रोफाइल घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए जाते हैं और अन्य प्रकार की गाइड रेलों से विनिर्माण प्रक्रिया और तकनीकी विनिर्देशनों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। इन्हें जाँच के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
 - सभी खोखले गाइड रेल, चाहे वेल्डेड हों या गैर-वेल्डेड, ठोस गाइड रेलों से विशेषताओं, अनुप्रयोग और डिज़ाइन में भिन्न होते हैं। ये निर्मित शीट धातु से बने होते हैं और विशेष रूप से मध्यम या कम भार वाले काउंटरवेट सिस्टम में बिना सुरक्षा गियर के उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये उच्च संपीड़न भार का सामना नहीं कर सकते हैं। तदनुसार, सभी खोखले गाइड रेलों को जाँच के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
 - टी-आकार के लिफ्ट/लिफ्ट गाइड रेल, जिन्हें पूर्ण लिफ्ट सिस्टम या अतिरिक्त किट के हिस्से के रूप में आयात किया जाता है, की कोई अलग पहचान या मूल्यांकन नहीं होता है। इन घटकों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन नहीं किया जाता है और इन्हें जाँच के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
 - बोल्ट, क्लिप और फिशप्लेट जैसे सहायक उपकरण विशिष्ट वाणिज्यिक मदें हैं जिन्हें आमतौर पर विचाराधीन उत्पाद के साथ बेचा जाता है। ये सहायक उपकरण विभिन्न प्रशुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत आते हैं और अलग-अलग कार्यात्मक भूमिकाएँ निभाते हैं। इन सहायक उपकरणों को जाँच के क्षेत्र से बाहर करने के लिए एक स्पष्ट स्पष्टीकरण आवश्यक है।
 - टी114 और उससे अधिक आकार की कोल्ड-ड्रॉ गाइड रेल और सॉलिड गाइड रेल को पहले ही जाँच की शुरुआत की सूचना में बाहर रखा जा चुका है। इसके बाहर किए जाने की पुष्टि की जानी चाहिए और अंतिम क्षेत्र में इसे बनाए रखा जाना चाहिए।

- vi. लागत संरचना, अनुप्रयोगों, डिज़ाइन मापदंडों और प्रसंस्करण विधियों के संदर्भ में सॉलिड और हॉलो गाइड रेल के बीच काफी अंतर मौजूद हैं। इन अंतरों के कारण जाँच के क्षेत्र में अलग से उपचार और विकृत तुलनाओं को रोकने के लिए विशिष्ट पीसीएन पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है।
- vii. प्रश्नावली के उत्तरों की सटीक तैयारी के लिए उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देना आवश्यक है। उत्तर प्रस्तुत करने की समय सीमा को उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन संरचना को अंतिम रूप देने की तिथि से 30 दिनों तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- viii. याचिकाकर्ता टी-90 गाइड रेल का निर्माण नहीं करता है, इस तथ्य की पुष्टि याचिका द्वारा की गई है, जिसमें केवल टी-82 तक के उत्पादन का उल्लेख है। तदनुसार, टी-90 को जांच के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि 26 दिसंबर 2024 को दायर ईआईक्यू में यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता टी-90 सॉलिड गाइड रेल का निर्माण नहीं करता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता का यह दावा कि टी-90 को पीयूसी के क्षेत्र से बाहर करने का अनुरोध निर्धारित समय-सीमा के बाद किया गया था, भ्रामक है।
- x. टेक्रोवा इमेजिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (एडी/51425/2022) में सेस्टैट के निर्णय में बाहर करने के सिद्धांत को मजबूत समर्थन मिलता है, जहां न्यायाधिकरण ने सिद्ध किया कि किसी उत्पाद का केवल उत्पादन ही पीयूसी के क्षेत्र में शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है; याचिकाकर्ता को यह दिखाना होगा कि उसने उस उत्पाद की एक निश्चित मात्रा की मांग को पूरा किया है ताकि उसे शामिल किया जा सके।
- xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि 1 मिमी का भी आयामी अंतर कच्चे माल के चयन, उत्पादन प्रक्रियाओं, इंजीनियरिंग विनिर्देशों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, विभिन्न कच्चे माल, मशीनिंग, सांचों की आवश्यकता होती है और भार वहन क्षमता एवं लागत संरचना को प्रभावित करता है।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध सामानों में अपर्याप्त तन्य शक्ति और तन्यता की समस्याएँ होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन दबाव के तहत विरूपण होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग 14 से 15 फीट की गैर-मानक लंबाई में गाइड रेल की आपूर्ति करता है, जबकि आईएसओ 7465 द्वारा निर्धारित मानक लंबाई 5000 मिमी है, जिससे स्थापना में अकुशलता, सामग्री की बर्बादी और खरीद लागत में वृद्धि होती है।
- xiii. विचाराधीन उत्पाद एक महत्वपूर्ण घटक है जो किसी लिफ्ट प्रणाली की समग्र सुरक्षा और प्रचालनात्मक दक्षता पर सीधा प्रभाव डालता है। खेदजनक रूप से, कई प्रयोक्ता उद्योग सदस्यों को रेल जोड़ों के संबंध में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का लगातार सामना करना पड़ा है। ये कमियां सवारी के अनुभव से समझौता नहीं करती हैं, बल्कि सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी पैदा कर सकती हैं, खासकर ऊँची इमारतों में जहाँ निर्बाध संरेखण आवश्यक है।
- xiv. एसवीबी के -90टी के निष्कर्ष और आयातित सामानों की ऊँची कीमतें इस बात का समर्थन करती हैं। इसके विपरीत, घरेलू उत्पाद लिफ्ट सुरक्षा के लिए आवश्यक परिशुद्धता मानकों को

- लगातार पूरा नहीं कर पाते हैं, और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद निष्पादन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
- xv. विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत संबंधी विचारों के बजाय विश्वसनीय आपूर्ति और मांग के प्रति जवाबदेही की आवश्यकता से प्रेरित है। घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए कई ऑर्डर कथित तौर पर सामग्री की कमी के कारण कम मात्रा में आपूर्ति के परिणामस्वरूप हुए हैं, जिससे परियोजना में देरी हुई है और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है।
- xvi. कच्चे सामग्री की खरीद, विशेष रूप से इस्पात की खरीद में रुकावटें आ रही हैं, जिससे उत्पादन में देरी हो रही है और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव पड़ रहा है, जिससे घरेलू उत्पादन क्षमता सीमित हो रही है।
- xvii. घरेलू उद्योग को कई ऑर्डर दिए गए थे; हालाँकि, इनकी आपूर्ति कम मात्रा में की गई। घरेलू उद्योग से कम आपूर्ति के कारण कंपनी की परियोजनाओं में देरी हुई, कई बार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, घरेलू उद्योग ने सामग्री की कमी को इसका कारण बताया। इन देरी के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ और ग्राहकों के सामने प्रतिष्ठा का हनन हुआ।
- xviii. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद ग्राहकों द्वारा वांछित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप ऑर्डर में कमी आई।
- xix. कुछ चीनी उत्पादकों ने कम विनिर्देशों वाले, सिकुड़े हुए आकार के गाइडरेल की आपूर्ति की है, जिससे उत्पाद की अखंडता और सुरक्षा से समझौता हुआ है। सिकुड़े हुए आकार के गाइडरेल और कमज़ोर काउंटरवेट सिस्टम, तकनीकी रूप से मानकों के अनुरूप होने के बावजूद, छिपे हुए खतरे पैदा करते हैं और व्यापक आउटसोर्सिंग के कारण सभी लिफ्ट कंपनियों को प्रभावित करते हैं।
- xx. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि गुणवत्ता और सुरक्षा के मुद्दों पर सकारात्मक साक्ष्य के अभाव का याचिकाकर्ता का दावा निराधार है। विस्तृत तकनीकी साक्ष्य पहले ही प्राधिकारी को ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें रेल जोड़ की गुणवत्ता, तन्य शक्ति और मानकीकृत आयामों के अनुपालन के बारे में सूचना दी गई है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध दी हैं:

- i. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल है। विचाराधीन उत्पाद मुख्यतः दो प्रकार के हैं, अर्थात् सॉलिड गाइड रेल और खोखली गाइड रेल।
- ii. सॉलिड गाइड रेल, टी-आकार की गाइड रेल हैं जो मशीनिंग या कोल्ड-ड्रॉइंग टी-प्रोफाइल द्वारा निर्मित की जाती हैं। खोखली गाइड रेल, फॉर्मड शीट मेटल से बनी होती हैं और खुली प्रोफाइल या बंद प्रोफाइल हो सकती हैं। खोखली बंद प्रोफाइल, गाइड रेल के साथ एक सतत सीम वेल्डिंग करके बनाई जाती हैं।
- iii. गाइड रेल, एलिवेटर में आवश्यक सुरक्षा घटक होते हैं, जो ट्रैक बनाते हैं जो कार और एलिवेटर/लिफ्ट के काउंटरवेट/संतुलन भार को होइस्ट वे में ऊर्ध्वाधर दिशा में निर्देशित करके सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करता है।

- iv. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कोल्ड-ड्राईंग गाइड रेल, बड़े आकार की सॉलिड गाइड रेल और बंद प्रोफाइल वेल्डेड खोखली गाइड रेल शामिल नहीं हैं।
- v. घरेलू उद्योग द्वारा सुझाए गए पीसीएन में वे सभी मापदंड शामिल हैं जिनसे लागत में अंतर आ सकता है। चूँकि इस जाँच के लिए संपूर्ण आंकड़े को भार में परिवर्तित कर दिया गया है, इसलिए किसी और पीसीएन मापदंड की आवश्यकता नहीं है।
- vi. वेल्डेड खोखली गाइड रेल को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इस स्पष्टीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है कि "क्लोज़्ड प्रोफाइल" वेल्डेड खोखली गाइड रेल को भी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
- vii. टी-आकार की रेल वाली पूर्ण एलिवेटर को आवेदन में कभी भी विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं माना गया है। इन्हें पूर्ण मशीनरी के साथ एक अलग प्रशुल्क उपशीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अतः, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ऐसे एलिवेटर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
- viii. विचाराधीन उत्पाद वाले अतिरिक्त किट को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता। ऐसी किट में अक्सर विचाराधीन उत्पाद के साथ-साथ पहिए, रोलर, पुली, फिशप्लेट, ब्रेक शू और फास्टर जैसे अन्य पुर्जें भी शामिल होते हैं। ये पूर्ण मशीनरी का हिस्सा नहीं हैं और इन्हें अलग से वर्गीकृत किया गया है। अतिरिक्त किटों को बाहर रखने से पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना होगी।
- ix. आयात दस्तावेजों में विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद को लिफ्टों के लिए स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरणों के रूप में आयात किया जा रहा है। विचाराधीन उत्पाद सहित प्रत्येक घटक को मात्रा और मूल्य के साथ अलग-अलग दर्शाया गया है, जिससे यह पुष्टि होती है कि उनका व्यापार अलग-अलग किया जा रहा है, न कि संपूर्ण लिफ्टों के भाग के रूप में।
- x. यदि अतिरिक्त किटों को क्षेत्र से बाहर रखा जाता है, तो यह आयातकों को अतिरिक्त किट के भाग के रूप में लेबल किए गए विचाराधीन उत्पाद को लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे पाटनरोधी उपायों की प्रवंचना होगी।
- xi. अतिरिक्त पार्ट्स के रूप में वर्णित आयात लेनदेन को याचिका के क्षेत्र से कभी बाहर नहीं रखा गया था, और ऐसे आयातों के माध्यम से प्रवंचना के जोखिम को अन्य मामलों में भी मान्यता दी गई है।
- xii. ओपन प्रोफाइल हॉलो गाइड रेल घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित की जाती हैं। संबद्ध देश से इन उत्पादों के पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हुई है। इसलिए, ओपन प्रोफाइल हॉलो गाइड रेल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में ही रहनी चाहिए।
- xiii. बिक्री कीमत पीसीएन वर्गीकरण के लिए एक संगत मापदंड नहीं है। यह बाज़ार के प्रकार, ऑर्डर के आकार और ग्राहक की शर्तों जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, और इसलिए लागत अंतर को सटीक रूप से नहीं दर्शाता है।
- xiv. मीट्रिक टन में आंकड़े पर विचार करने पर सॉलिड या हॉलो गाइड रेल के विभिन्न मॉडलों के बीच कोई काफी लागत अंतर नहीं होता है। एकमात्र उल्लेखनीय लागत अंतर सॉलिड और हॉलो प्रकारों के बीच है, जिसे पहले से ही पीसीएन को सॉलिड और हॉलो गाइड रेल के रूप में सुझाकर हिसाब में लिया गया है।

- xv. अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित पीसीएन मापदंडों संबंधी आंकड़े आयात रिकॉर्ड या निर्माता/निर्यातक बीजक में उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित मापदंडों को आंकड़े सीमाओं के कारण लागू करना अव्यावहारिक है।
- xvi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित पीसीएन मापदंडों के समर्थन में कोई साक्ष्य सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया गया है, जिससे खंडन का उचित अवसर नहीं मिल पाता। साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरों का अभाव बचाव के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- xvii. टी 45 सॉलिड गाइड रेल्स को पहले ही इस क्षेत्र से बाहर रखा गया है क्योंकि वे कोल्ड ड्रॉन हैं। इसलिए, T70 जैसी कवर्ड सॉलिड गाइड रेल्स के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती।
- xviii. सभी सॉलिड गाइड रेल्स का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मानकीकृत स्टील ग्रेड ई275 बी का उपयोग करके किया जाना चाहिए। किसी अन्य स्टील ग्रेड का उपयोग नहीं किया जाता जो लागत अंतर बनाए।
- xix. विचाराधीन उत्पाद के आंकड़े को वजन में रिपोर्ट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। उत्पाद में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार प्रति मीटर वजन के मानक विनिर्देश हैं, जिससे सभी आंकड़े को मीट्रिक टन में रिपोर्ट करना व्यवहार्य और उपयुक्त हो जाता है।
- xx. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद की मानक लंबाई 5 मीटर है और कट-लेंथ गाइड रेल्स का उत्पादन केवल विशिष्ट ग्राहक अनुरोधों पर ही किया जाता है, और अधिकांश बिक्री मानक 5-मीटर लंबाई में होती है।
- xxi. विचाराधीन घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद के प्रदर्शन, स्थिरता और सुरक्षा से संबंधित अनुरोध, जैसे कि रेल जोड़ की गुणवत्ता, आपूर्ति में असंगति, तन्य शक्ति और मानक लंबाई से विचलन से संबंधित दावे, सामान्य प्रकृति के हैं और किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य, अनुभवजन्य आंकड़ों या तकनीकी सत्यापन द्वारा समर्थित नहीं हैं। सकारात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रमाण के अभाव में, ऐसे दावे काल्पनिक हैं और विश्वसनीयता से रहित हैं।
- xxii. घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता का समर्थन करने के लिए, जॉनसन से एक आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है। यह प्रमाणपत्र घरेलू उद्योग के समग्र प्रदर्शन को संतोषजनक बताता है और किए जा रहे नकारात्मक दावों का खंडन करता है। यह प्रमाण-पत्र प्राधिकारी को भी प्रदान किया गया है।
- xxiii. पत्र और दस्तावेज़, मुख्य रूप से वे जो ऑर्डर पूर्ति और सामग्री की कमी से संबंधित दावों के समर्थन में उद्धृत किए गए हैं, अगोपनीय रिकॉर्ड पर नहीं रखे गए हैं। इन दस्तावेज़ों को रोके रखने का कोई वैध औचित्य नहीं है, खासकर जब ऐसे पत्रों का विशिष्ट संदर्भ दिया गया हो।
- xxiv. इन दस्तावेज़ों के प्रकटन के अभाव में, प्रतिक्रिया देने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो प्राकृतिक न्याय और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों को कमजोर करता है। अनुरोध है कि प्राधिकारी ऐसे सभी दस्तावेज़ों को अगोपनीय रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दें। तब तक, अनुरोधों के संबंधित भागों को साक्ष्य के आधार पर कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, और उस पर टिप्पणी करने का अधिकार स्पष्ट रूप से सुरक्षित है।
- xxv. एसवीबी कार्यवाही का संदर्भ पूरी तरह से अनुचित है और चल रही पाटनरोधी जांच से इसका कोई संबंध नहीं है।

- xxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मौखिक सुनवाई के दौरान उठाया गया टी-90 सॉलिड गाइड रेल्स को पीयूसी के क्षेत्र से बाहर करने का अनुरोध प्रक्रियात्मक रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि यह प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा से काफी बाद में किया गया था। लिखित अनुरोध और पीयूसी तथा पीसीएन पद्धति के क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए एक बैठक सहित कई अवसरों के बावजूद, निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया, जिससे यह विलंबित अनुरोध प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन बन गया।
- xxvii. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उसके पास टी-90 सॉलिड गाइड रेल्स के निर्माण हेतु तकनीकी क्षमता, अवसंरचना और संसाधन उपलब्ध हैं। याचिकाकर्ता ने टी-90 सॉलिड गाइड रेल्स का उत्पादन केवल इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसे ग्राहकों से ऑर्डर नहीं मिले हैं।
- xxviii. याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य या क्षतिरहित कीमत की गणना में माल ढुलाई लागत को शामिल नहीं किया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की निम्नानुसार जाँच की गई है:
8. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन के संबंध में अपने अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया था। जाँच की शुरुआत की अधिसूचना में, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जाँच की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पर टिप्पणियाँ प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पर चर्चा करने के लिए 4 सितंबर 2024 को एक बैठक आयोजित की। बैठक के बाद, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 9 सितंबर 2024 तक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पर अपनी टिप्पणियाँ देने का निर्देश दिया।
9. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पर प्रस्ताव के संबंध में घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी टिप्पणियों की जाँच की और 19 नवंबर 2024 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और अंतिम पीसीएन को अधिसूचित किया।
10. हितबद्ध पक्षकारों ने रेल की लंबाई के साथ एक सतत सीम वेल्डिंग द्वारा बनाई गई बंद प्रोफ़ाइल खोखले गाइड रेल को बाहर करने का अनुरोध किए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन-पत्र में वेल्डेड खोखले गाइड रेल को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से स्पष्ट रूप से बाहर रखा है। इसके आलोक में, और स्पष्टता के उद्देश्य से, प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि इस तरह के बंद प्रोफ़ाइल वेल्डेड खोखले गाइड रेल वर्तमान जाँच के क्षेत्र में नहीं हैं।

11. प्राधिकारी ने टी-आकार की रेल और गाइड रेल घटकों वाली अतिरिक्त किट युक्त पूर्ण लिफ्टों को शामिल करने से संबंधित अनुरोधों की समीक्षा की है। प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि टी-आकार की गाइड रेल, जब पूर्ण लिफ्ट इकाइयों के एक भाग के रूप में आयात की जाती हैं, तो वे पीयूसी के क्षेत्र में नहीं आती हैं।
12. तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि स्पेयर किट, जिसमें अलग गाइड रेल घटक जैसे पहिए, फिशप्लेट और फास्टनर शामिल हो सकते हैं, जब अलग से आयात किए जाते हैं, तो पाटनरोधी उपायों से बचने में मदद कर सकते हैं। इसलिए, जबकि प्राधिकारी गाइड रेल युक्त संपूर्ण एलेवेटर को पीयूसी के क्षेत्र से बाहर रखने की पुष्टि करते हैं, अन्य घटकों के साथ विचाराधीन उत्पाद युक्त स्पेयर किट को वर्तमान जांच के क्षेत्र में रखा गया है।
13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से टी-90 गाइड रेल को बाहर करने का अनुरोध मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोधों के चरण में किया गया है, न कि विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित पीसीएन के क्षेत्र पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट अवधि के दौरान। 29 जून 2024 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना में, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पर अपनी टिप्पणियां जांच की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर देने के लिए आमंत्रित किया था। इन मुद्दों पर आगे विचार-विमर्श करने के लिए 04 सितंबर 2024 को एक बैठक आयोजित की गई थी, और टिप्पणियां दायर करने की समय सीमा 09 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी गई थी। इस निर्धारित अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टी-90 सॉलिड गुड रेल को बाहर करने का कोई अनुरोध नहीं किया गया था। इसके अलावा, पक्षकार का दावा है कि 26 दिसंबर 2024 को दायर ईआईक्यू में टी-90 सॉलिड गुड रेल को बाहर करने की मांग की गई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईआईक्यू अनुरोधों में केवल यह उल्लेख है कि घरेलू उद्योग टी-90 सॉलिड गुड रेल का निर्माण नहीं करता है और इसको बाहर करने के संबंध में कुछ भी नहीं है। टी-90 को बाहर करने पर विलंबित प्रस्तुतियों के बावजूद, प्राधिकारी ने पाया कि घरेलू उद्योग में टी-90 सॉलिड गाइड रेल का उत्पादन करने की क्षमता है, बशर्ते ग्राहक इसकी आपूर्ति के लिए ऑर्डर दे। प्राधिकारी ने आगे यह भी बताया कि टी-90 सॉलिड गाइड रेल मानक गाइड रेल नहीं हैं और इसका उत्पादन प्रयोक्ताओं की विशिष्ट माँग पर किया जाता है।
14. इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य खोखले प्रोफाइलों से उनकी संरचनात्मक समानता और ठोस रेलों से कथित विभेदन के आधार पर सभी खोखले गाइड रेलों को जांच से बाहर रखने का अनुरोध किया है। यह नोट किया जाता है कि ओपन प्रोफाइल खोखले गाइड रेल घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जाती हैं और इसलिए, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों में कोई औचित्य नहीं पाते हैं और ओपन प्रोफाइल खोखले गाइड रेलों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में रखते हैं।

15. प्राधिकारी उन अनुरोधों नोट करते हैं जो दर्शाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद विशेष रूप से टी-आकार की गाइड रेलों को संदर्भित करता है और इसमें बोल्ट, क्लिप और फिशप्लेट जैसे सहायक उपकरण शामिल नहीं हैं। प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि बोल्ट, क्लिप और फिशप्लेट जैसे सहायक उपकरण कार्यात्मक रूप से अलग हैं और विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं। तदनुसार, इन मदों को जांच के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
16. हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग मुख्य रूप से 14 से 15 फीट अर्थात् 5 मीटर से कम की गैर-मानक लंबाई में गाइड रेल की आपूर्ति करता है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि 5 मीटर वास्तव में मानक उत्पादन लंबाई है और कट-लेंथ गाइड रेल का निर्माण केवल विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए बिक्री के आंकड़े भी इस दावे का समर्थन करते हैं, जो दर्शाता है कि अधिकांश बिक्री 5 मीटर गाइड रेल की है। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी को इस दावे में कोई औचित्य नहीं दिखता कि घरेलू उद्योग आईएसओ 7465 के अनुसार मानक लंबाई में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति नहीं करता है।
17. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि आयातित उत्पाद बेहतर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं और उच्च गुणवत्ता वाले हैं, जबकि घरेलू उत्पाद लिफ्ट सुरक्षा के लिए आवश्यक परिशुद्धता मानकों को लगातार पूरा नहीं कर सकते हैं और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदर्शन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है।
18. हितबद्ध पक्षों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात मूल्य संबंधी विचारों के बजाय विश्वसनीय आपूर्ति और मांग के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता से प्रेरित है। यह भी आरोप लगाया गया है कि घरेलू आपूर्तिकर्ता या तो आपूर्ति करने में विफल रहे या कम मात्रा में आपूर्ति की, जिसके कारण सामग्री की कमी हुई, जिससे परियोजना में देरी हुई और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा। प्राधिकारी द्वारा इस मामले की जाँच की गई है और यह पाया गया है कि इस दावे के समर्थन में कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, एंटीडंपिंग शुल्क लगाने से देश में पीयूसी के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा।
19. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि कच्चे माल की खरीद, विशेष रूप से इस्पात, में बाधाएं आ रही हैं, जिससे उत्पादन में देरी हो रही है और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव पड़ रहा है, जिससे घरेलू उत्पादन क्षमता सीमित हो रही है। यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग को कच्चे माल की खरीद में बाधाओं का सामना करना पड़ा।

20. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को कई ऑर्डर दिए गए थे; हालाँकि, इनकी आपूर्ति कम मात्रा में की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित घटना वर्ष 2009 से संबंधित है, जो वर्तमान जाँच में कोई सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत पुरानी अवधि है।
21. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद ग्राहकों द्वारा वांछित विनिर्देशों और मानकों से मेल नहीं खाते थे, जिसके कारण ऑर्डर में हानि हुई। घरेलू उद्योग ने इस मुद्दे को स्पष्ट किया और कहा कि उनकी थोक आपूर्ति के हिस्से के रूप में टी 75 के स्थान पर टी 70 के 10 टुकड़े गलती में जॉनसन को वितरित कर दिए गए थे। यह कोई तकनीकी मुद्दा नहीं था, बल्कि विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक चूक थी। मामले की तुरंत पहचान की गई और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई लागू की गई। यह नोट किया जाता है कि इस मुद्दे को याचिकाकर्ता द्वारा सुलझा लिया गया है और जॉनसन द्वारा याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रमाणपत्र को पढ़ने से पता चलता है कि जॉनसन ने सवेरा इंडिया के समग्र निष्पादन को संतोषजनक माना है।
22. प्रकटन के बाद, प्राधिकारी ने पाया कि कुछ आयातकों ने अतिरिक्त एचएस कोड 7308 90 90 का उपयोग करके भी पीयूसी आयात किया था। यह भी पाया गया कि जाँच आरंभ अधिसूचना में एचएस कोडों में से एक, अर्थात् 8431 39 00, में मुद्रण संबंधी त्रुटि थी। एचएस कोड 8431 39 90, अनजाने में 8431 39 00 के रूप में दर्ज हो गया था। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में उक्त एचएस कोड को संशोधित किया है और पीयूसी के आयात मात्रा और मूल्य का आकलन करने के उद्देश्य से एचएस कोड 8431 31 00, 8431 39 10, 8431 39 90 और 7308 90 90 पर विचार किया है। क्षति विश्लेषण खंड में इस आकलन की गहन जाँच की गई है।
23. उपर्युक्त के मद्देनजर, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र इस प्रकार है:

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद टी-आकार की लिफ्ट/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल है, जिसे लिफ्ट गाइड रेल के रूप में भी जाना जाता है। लिफ्ट गाइड रेल दो प्रकार की होती हैं, यानी सॉलिड गाइड रेल और खोखली गाइड रेल। सॉलिड गाइड रेल टी-आकार की गाइड रेल हैं जो मशीनिंग या कोल्ड-ड्राइंग टी-प्रोफाइल द्वारा निर्मित होती हैं और कार गाइड रेल अनुप्रयोगों और काउंटरवेट/बैलेंसिंग वेट गाइड रेल अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाती हैं। खोखली गाइड रेल निम्नलिखित शीट मेटल से बनी होती हैं और खुली प्रोफाइल या बंद प्रोफाइल हो सकती हैं और काउंटरवेट/बैलेंसिंग वेट गाइड रेल अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाती हैं। पीयूसी लिफ्ट कार और काउंटरवेट/बैलेंसिंग वेट की सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक मार्गदर्शक संरचना प्रदान करता है। पीयूसी के क्षेत्र में निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रकार और आयामों की टी-आकार की लिफ्ट/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल शामिल हैं:

- i. **कोल्ड-ड्रॉन गाइड रेल:** ये सॉलिड गाइड रेल कोल्ड-ड्राविंग प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित की जाती हैं जो परिष्कृत गाइड रेलों को आयाम देती हैं और उनके यांत्रिक गुण-धर्मों और सतह विशेषताओं (खुरदरापन) को संशोधित करती हैं। इन गाइड रेल का प्रयोग कार और काउंटरवेट/बैलेंसिंग वेट के लिए किया जा सकता है। टी65/ए, टी45/ए और टी50/ए कोल्ड ड्रॉन गाइड रेल के सामान्य नाम हैं (जहां, नाम के अंत में/ए' कोल्ड-ड्रॉन टाइप दर्शाता है)।
 - ii. **बड़े आकार/चौड़ाई की सॉलिड गाइड रेल,** यानी, विभिन्न प्रकारों में टी114/बी, टी127/बी, टी125/बी और टी140/बी (अंत में बी' या 'बीई" मशीनीकृत टाइप और गुणवत्ता दर्शाते हैं)। इन गाइड रेलों को उनके बड़े आकार के कारण विशेष गाइड रेल कहा जाता है।
 - iii. **वेल्डेड खोखले गाइड रेल:** इन खोखले गाइड रेल का निर्माण खोखले गाइड रेल के किनारों को सामान्यतः उच्च आवृत्ति वेल्डिंग प्रक्रिया या किसी अन्य समतुल्य वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा वेल्डिंग करके किया जाता है।
 - iv,) **टी-आकार के एलेवेटर/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल पूर्ण एलेवेटर किट के भाग के रूप में आयातित।**
 - v) **टी-आकार के एलेवेटर/लिफ्ट गाइड रेल के सहायक हिस्से पुर्जे जैसे -बोल्ट, फिशप्लेट्स और क्लिप्स विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं हैं।**
24. इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से आयातित सामानों की समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, सामानों के भौतिक एवं रासायनिक गुण-धर्मों, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आयातित सामानों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया जाता है। इसी के मद्देनजर, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जाता है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध:

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. याचिकाकर्ता ने चीन में संबंधित विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों, अर्थात् तियानजिन सवेरा एलीवेटर राइडिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड, सूज़ौ सवेरा शांगवु एलीवेटर राइडिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड, और तियानजिन सनराइज मशीनरी कंपोनेंट्स मैनुफैक्चर कंपनी लिमिटेड से संबद्ध सामानों का आयात किया। ये कंपनियां एक ही कॉर्पोरेट समूह का हिस्सा हैं, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण समान है, और निदेशक पद एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे याचिकाकर्ता और निर्यातकों के बीच एक संबद्ध संबंध बनता है।
- ii. याचिकाकर्ता ने अपने संबंधित चीनी निर्यातकों से संबद्ध सामानों का काफी मात्रा में आयात किया है। उत्पादक और आयातक दोनों के रूप में यह दोहरी भूमिका याचिकाकर्ता की एक स्वतंत्र घरेलू उत्पादक के रूप में योग्यता पर संदेह पैदा करती है।
- iii. याचिकाकर्ता का यह दावा कि उसके आयात "अत्यंत अल्प" हैं, तथ्यात्मक आंकड़ों से विरोधाभासी हैं। याचिकाकर्ता ने लगभग 848 एमटी संबद्ध सामानों का आयात किया, जो

- उसके अपने उत्पादन का 5-7% है, जो नगण्य नहीं है। ये आयात जांच की अवधि के दौरान भारत में उत्पाद के कुल आयात का 10-12% भी हैं।
- iv. याचिकाकर्ता ने चीन में संबंधित उत्पादकों से लगभग 1100 एमटी कोल्ड ड्रॉन और सॉलिड गाइड रेल का भी आयात किया, जो संबंधित विदेशी कंपनियों से पर्याप्त आयात का एक पैटर्न दर्शाता है।
 - v. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि हाल के मामलों में 3-5% जितनी कम आयात मात्रा को काफी माना गया है। याचिकाकर्ता की आयात मात्रा, आवृत्ति और पैटर्न महत्वपूर्ण हैं और इन्हें नगण्य नहीं माना जाना चाहिए।
 - vi. असंबद्ध उत्पादकों की उपलब्धता के बावजूद, याचिकाकर्ता द्वारा केवल संबंधित कंपनियों से आयात करने को प्राथमिकता देना, और भी चिंताएँ पैदा करता है।
 - vii. याचिकाकर्ता इन आयातों को "मामूली" बताने के बावजूद, संबद्ध सामानों का आयात करने की बात स्वीकार करता है। इन आयातों के कथित कारण उत्पाद की समझ बढ़ाना, विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुधार करना और स्थानीयकरण एवं उत्पाद पुनर्रचना प्रयासों को समर्थन देना हैं।
 - viii. सवेरा इंडिया और चीनी निर्यातकों के बीच समान निदेशकों से समान स्वामित्व और नियंत्रण का संकेत मिलता है, जिससे याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
 - ix. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता के "मामूली आयात" के दावे के विपरीत, तृतीय-पक्षकार आंकड़े यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान लगभग 2,190 एमटी संबद्ध सामानों का आयात किया। यह भारत में उत्पाद के कुल आयात का लगभग 5% है, जो नगण्य नहीं है।
 - x. यदि कथित पाटित सामानों का आयात स्वयं किया गया है, तो प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर करें। याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का आयात संबद्ध देश में संबंधित पक्षकारों से किया है। याचिकाकर्ता की पर्याप्त आयात मात्रा, चीनी निर्यातकों के साथ उसके संबंधों के साथ मिलकर, घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में उसकी स्थिति को काफी कमजोर करती है।
 - xi. आयात आंकड़ों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि और क्षति जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों का लगातार आयात किया है। ये आयात संबद्ध देश से कुल आयातों के [***] से अधिक हैं, जिससे सवेरा इंडिया इस जांच में घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता प्राप्त करने से अयोग्य हो जाता है।
 - xii. सवेरा इंडिया के वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार के लेनदेन दर्शाते हैं, जो दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद और उसके कच्चे माल दोनों का आयात इन संबद्ध कंपनियों से किया जाता है।
 - xiii. सवेरा इंडिया सहित सभी संबद्ध पक्षकार एक सामान्य यूरोपीय मूल कंपनी द्वारा नियंत्रित हैं। यह सामान्य नियंत्रण याचिकाकर्ता और संबद्ध देश के निर्यातकों के वाणिज्यिक हितों को संरक्षित करता है, जिससे याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता कमजोर होती है।
 - xiv. नियम 2(ख) के तहत, वे उत्पादक जो कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध हैं, या जो स्वयं उत्पाद का आयात करते हैं, उन्हें घरेलू उद्योग से बाहर रखा जाए। महत्वपूर्ण

आयात गतिविधियों और संबद्ध देश के निर्यातकों के साथ घनिष्ठ संबंध को देखते हुए, याचिकाकर्ता इसे बाहर करने के अंतर्गत आता है।

- xv. याचिकाकर्ता ने नव दुर्गा स्टील कॉर्पोरेशन को "अन्य भारतीय उत्पादक" के रूप में पहचाना है, लेकिन यह भी कहा है कि नव दुर्गा ने पिछले दो वर्षों से अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं, जिससे स्पष्ट असंगति उत्पन्न होती है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह याचिकाकर्ता से इस विरोधाभास पर स्पष्टीकरण मांगे।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

26. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

- i. याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उत्पादक होने के नाते, जिसका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित 'घरेलू उद्योग' के मानदंडों को पूरा करता है।
- ii. याचिकाकर्ता का भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का 89% हिस्सा है। एन. लिफ्टी के साथ, यह भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 95% हिस्सा रखता है।
- iii. याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान चीन जन.गण. में अपने संबद्ध निर्यातकों से विचाराधीन उत्पाद की कम मात्रा का आयात किया है।
- iv. क्षति अवधि के अन्य वर्षों के दौरान चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता मुख्य रूप से भारत में विनिर्माण और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करता है।
- v. जांच की अवधि के दौरान आयात की मात्रा बहुत कम थी, जो याचिकाकर्ता के उत्पादन, बिक्री और कुल आयात की तुलना में केवल एक न्यूनतम हिस्सा थी।
- vi. निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उपलब्ध विवेकाधिकार परिस्थितिजन्य और मामला-विशिष्ट है, जैसा कि सेंचुरी प्लाईवोर्ड्स (आई) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2022 एससीसी ऑनलाइन गौ 643) में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय और 'यूरोपीय समुदाय - चीन से कुछ लौह या इस्पात फास्टनरों पर निश्चित पाटनरोधी उपाय' (डीएस 397) में डब्ल्यूटीओ की पैनल रिपोर्ट द्वारा उल्लेख किया गया है।
- vii. गुजरात उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2012 एससीसी ऑनलाइन कैल 8071) में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह माना कि एक घरेलू उत्पादक कुल उत्पादन का 15% तक आयात करने के बावजूद भी घरेलू उद्योग का हिस्सा हो सकता है, बशर्ते आयात विशिष्ट व्यापारिक उद्देश्यों के लिए न हों।
- viii. पिछले अंतिम जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा किए गए आयातों की मात्रा, उनके घरेलू उत्पादन, बिक्री और भारत में कुल बाजार मांग का आकलन किया था। प्राधिकारी ने आगे इस बात पर विचार किया कि क्या घरेलू उत्पादक का प्राथमिक ध्यान विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण और बिक्री पर था, न कि उत्पाद का आयात या व्यापार करने पर।

- ix. जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा आयात की छोटी मात्रा का उद्देश्य उत्पाद की समझ को बढ़ाना, स्थानीयकरण का समर्थन करना और स्थापित मानकों के अनुसार गुणवत्ता का आकलन करना था। ये आयात कुल उत्पादन, बिक्री और आयात का एक नगण्य हिस्सा दर्शाते हैं।
- x. 2023 में, याचिकाकर्ता ने अपने विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन क्षमता का विस्तार किया, जो व्यापार के बजाय विनिर्माण पर उसके ध्यान को दर्शाता है।
- xi. याचिकाकर्ता का चीन से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ता सवेरा समूह का हिस्सा है, जिसमें चीन में संबद्ध विनिर्माण कंपनियाँ शामिल हैं जो विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करती हैं।
- xii. याचिकाकर्ता के तीन चीनी निर्यातकों के साथ साझा निदेशक हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भारत में याचिकाकर्ता के संचालन पर प्रभाव डालता है।
- xiii. भारत में याचिकाकर्ता का प्रचालन स्वतंत्र है और वह भारतीय बाजार में संबंधित चीनी निर्यातकों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करता है।
- xiv. याचिकाकर्ता ने संबंधित चीनी निर्यातकों के विरुद्ध वर्तमान पाटनरोधी याचिका शुरू की है, जो उसके व्यावसायिक निर्णयों में स्वतंत्रता को दर्शाता है।
- xv. नियम 2(ख) निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है कि क्या किसी निर्यातक से संबंधित घरेलू उत्पादक को मामले-विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अभी भी घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाना चाहिए।
- xvi. विस्कोस स्टेपल फाइबर और सोडा ऐश जैसी पिछली जाँचों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह आकलन करने के लिए विभिन्न कारकों पर विचार किया है कि क्या किसी निर्यातक से संबंधित घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग से बाहर रखा जाना चाहिए। इन कारकों में शामिल हैं कि क्या संबद्ध पक्षकार असंबद्ध पक्षकारों से भिन्न व्यवहार करते हैं, क्या पाटन अत्यधिक है, और क्या क्षति स्व-प्रभावित है।
- xvii. याचिकाकर्ता को संबंधित चीनी निर्यातकों और अन्य चीनी निर्यातकों, दोनों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और उसे कीमत कटौती, बाजार हिस्सेदारी में कमी और वित्तीय संकट के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- xviii. याचिकाकर्ता भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग कर रहा है।
- xix. याचिकाकर्ता ने बाजार में पाटन में योगदान नहीं दिया है या उसने अत्यधिक पाटन नहीं किया है। आयात न्यूनतम थे, उत्पाद परीक्षण और पुनर्चना के लिए किए गए थे, न कि पाटन के माध्यम से बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए।
- xx. याचिकाकर्ता ने पाटन के प्रभावों से बचाव नहीं किया है। इसके बजाय, पाटित आयातों का उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जैसा कि बाजार हिस्सेदारी में कमी और वित्तीय संकट से स्पष्ट है।
- xxi. याचिकाकर्ता को हुई क्षति स्वयं द्वारा नहीं पहुँचाई गई है। यह पाटित आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है, और याचिकाकर्ता अनुचित व्यापार परिपाटियों से खुद को बचाने के लिए पाटनरोधी शुल्कों के माध्यम से उपचार की मांग कर रहा है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है:
28. यह आवेदन-पत्र सवेरा इंडिया राइडिंग सिस्टम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ("सवेरा इंडिया" या "आवेदक" या "घरेलू उद्योग") द्वारा दायर किया गया था। सवेरा इंडिया के अलावा, भारत में संबद्ध सामानों के दो अन्य उत्पादक हैं:
- एन. लिफ्टी इंजीनियर्स
 - नव दुर्गा स्टील कॉर्पोरेशन
29. एन. लिफ्टी इंजीनियर्स ने आवेदन का समर्थन किया और अपनी क्षमता, उत्पादन, बिक्री मात्रा और मूल्य का विवरण प्रदान किया। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि नव दुर्गा स्टील कॉर्पोरेशन ने चीन से संबद्ध सामानों की आक्रामक पाटन के कारण दो वर्ष पहले अपनी उत्पादन सुविधाएँ बंद कर दी थीं। यह नोट किया जाता है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन में सवेरा इंडिया अकेले का 89% और समर्थक कंपनी का 95% हिस्सा है।
30. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

31. नियम 2(ख) के प्रयोजनों के लिए, उत्पादकों को निर्यातकों या आयातकों से केवल तभी संबद्ध माना जाएगा यदि, -

"(क) उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता है; या

(ख) दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं; या

(ग) दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं, बशर्ते कि यह मानने या संदेह करने के आधार हों कि संबंध का प्रभाव ऐसा है कि उत्पादक असंबद्ध उत्पादकों से भिन्न व्यवहार करते हैं।

टिप्पणी: इस स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए, एक उत्पादक को दूसरे उत्पादक को नियंत्रित करने वाला तब माना जाएगा जब पहला उत्पादक कानूनी रूप से या प्रचालनात्मक रूप से दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण या निर्देश देने की स्थिति में हो।"

32. अनुच्छेद 4 में, पाटनरोधी करार में घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

“4.1 इस करार के प्रयोजनों के लिए, “घरेलू उद्योग” शब्द की व्याख्या समान उत्पादों के समग्र घरेलू उत्पादकों या उनमें से उन उत्पादकों के संदर्भ में की जाएगी जिनके उत्पादों का सामूहिक उत्पादन उन उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, सिवाय इसके कि: (i) जब उत्पादक निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध हों या स्वयं कथित रूप से डंप पाटित उत्पाद के आयातक हों, तो “घरेलू उद्योग” शब्द की व्याख्या शेष उत्पादकों के संदर्भ में की जा सकती है;”

33. फुटनोट 11 संबंधित के अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट करता है:

“11. इस पैरा के प्रयोजन के लिए, उत्पादकों को निर्यातकों या आयातकों से तभी संबद्ध माना जाएगा जब (क) उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता हो; या (ख) दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हों; या (ग) दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हों बशर्ते कि यह मानने या संदेह करने के आधार हों कि संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे संबंधित उत्पादक गैर-संबंधित उत्पादकों से भिन्न व्यवहार करता है। इस पैरा के प्रयोजन के लिए, एक को दूसरे को नियंत्रित करने वाला तभी माना जाएगा जब पहला कानूनी रूप से या प्रचालनात्मक रूप से दूसरे पर नियंत्रण या निर्देश देने की स्थिति में हो।”

34. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि वह स्पेन में मुख्यालय वाले एक विश्व स्तर पर स्थापित समूह का हिस्सा है, जिसके विनिर्माण कार्य भारत और चीन सहित कई क्षेत्राधिकारों में हैं। याचिकाकर्ता ने चीन में अपनी संबद्ध कंपनियों का विवरण भी प्रदान किया है और कंपनियों की पहचान की है, अर्थात् तियानजिन सवेरा एलेवेटर राइडिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड (“तियानजिन एलेवेटर”), सूज़ौ सवेरा शांगवु एलेवेटर राइडिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड (“सूज़ौ एलेवेटर”), और तियानजिन सनराइज मशीनरी कंपोनेंट्स मैनुफैक्चरर कंपनी लिमिटेड (“तियानजिन सनराइज”), जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने अपनी और अपनी संबद्ध चीनी निर्यातक कंपनियों, दोनों की शेयरधारिता संरचना और निदेशक मंडल के गठन के बारे में भी सूचना प्रदान की है। यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने और विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के बीच किसी संबंध के मौजूद होने पर विवाद नहीं किया है।

35. याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच करने के बाद, यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता नियमों के नियम 2(बी) के प्रावधान के स्पष्टीकरण (बी) के तहत चीनी संस्थाओं से संबंधित है, क्योंकि दोनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान मामले में, सवेरा इंडिया और चीनी संबद्ध निर्यातक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एम.एस.जी. रिफिन बीवी ***, जो नीदरलैंड की अंतिम होल्लिंग कंपनी है, द्वारा नियंत्रित हैं।

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) केवल एक संभावित स्थिति का उल्लेख करता है, जहां किसी घरेलू उत्पादक को अपात्र माना जा सकता है। चूंकि नियमावली के तहत कोई निर्देश या शर्त निर्धारित

नहीं की गई हैं, इसलिए प्राधिकारी उन संभावित स्थितियों की जांच करते हैं, जहां प्राधिकारी घरेलू उत्पादकों को संबद्ध देशों के निर्यातकों के साथ संबंध के बावजूद पात्र या अपात्र मान सकता है। नियम को यंत्रवत् लागू करने के बजाय, मामले के तथ्यों का उचित मूल्यांकन करने और यह जांचने के बाद लागू किया जाना चाहिए कि क्या इस संबंध का उपयोग बाजार को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है।

37. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'बांस फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर' के आयात (दिनांक 17 मई 2010 की संख्या 14/6/2009-डीजीएडी) और चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश के मामले (दिनांक 14/17/2010-डीजीएडी) से संबंधित पाटनरोधी जांच में संबंधों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। पाटनरोधी नियमावली को वास्तव में "करेगा" से "कर सकता है" में संशोधित किया गया है ताकि प्राधिकारी को उन स्थितियों में विवेकाधिकार प्रदान किया जा सके जहाँ कोई घरेलू उत्पादक स्वयं आयातक है या किसी आयातक या विदेशी निर्यातक से संबद्ध है। इसके अलावा, चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका (फा. सं. 6/05/2023) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबर के आयात और जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका (केस सं. एडी (ओआई)-18/2023) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "हेलोब्यूटिल रबर (एचआईआईआर)" के आयात में हाल ही में संपन्न पाटनरोधी जांच में वर्तमान मुद्दे की विस्तृत जांच भी की गई है।

38. प्राधिकारी ने अब निम्नलिखित पैराग्राफों में जांच की है कि क्या सवेरा इंडिया और चीनी संबद्ध कंपनियों के बीच संबंधों ने पाटन से लाभ उठाने के इरादे से बाजार को प्रभावित किया है:

- क. क्या संबंधित पक्षकारों का व्यवहार असंबद्ध पक्षकारों से अलग है;
- ख. क्या कोई संकेत है कि घरेलू उत्पादक ने बाजार में पाटन शुरू किया है अथवा बढ़ाया है;
- ग. क्या घरेलू उत्पादक पाटन के प्रभावों से सुरक्षित हैं या इससे अनुचित लाभ प्राप्त करता है;
- घ. क्या घरेलू उत्पादक भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को दबाने का प्रयास कर रहा है;
- ङ. क्या क्षति, यदि कोई हो, विनिर्माण से व्यापार की ओर व्यवसाय मॉडल में बदलाव के कारण स्व-प्रभावित है।

39. प्राधिकारी का मानना है कि, एक संबद्ध पक्षकार होने के अलावा, किसी दिए गए मामले में संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए किसी भी निर्यात के प्रभाव का मूल्यांकन करना भी महत्वपूर्ण है। यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या संबद्ध पक्षकार ने प्रश्रुत अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात किया था, और यदि हाँ, तो इसका क्षति के दावों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि नहीं, तो क्या इसको बाहर करने का कोई अन्य औचित्य है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहाँ संबद्ध

पक्षकार ने संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, निम्नलिखित कारकों का भी मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है:

- क. ऐसे संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा;
- ख. संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे निर्यात का उद्देश्य;
- ग. क्या यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य है कि संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे निर्यात के कारण क्षति हुई थी;
- घ. क्या संबंधित घरेलू उत्पादक का सामान्य जोर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन पर था या क्या सामान्य जोर धीरे-धीरे या लगातार आयातों की ओर चला गया;
- ड. क्या ऐसे संबंधित पक्षकारों द्वारा निर्यात की मात्रा ऐसी थी कि संबंधित निर्यातक धीरे-धीरे या लगातार असंबंधित घरेलू उत्पादकों के बाजार को प्रतिस्थापित कर रहा है;
- च. कोई अन्य कारक जो कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया हो।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध देश के सभी निर्यातकों, जिनमें उसके अपने सहयोगी भी शामिल हैं, के विरुद्ध सक्रिय रूप से सुधारात्मक उपाय किए हैं। यह किसी भी ऐसे व्यवहार पैटर्न के अनुरूप नहीं है जिससे मिलीभगत या हितों के संरेखण का संकेत मिलता हो। याचिकाकर्ता का वाणिज्यिक आचरण स्वतंत्र रहा है और उत्पादन पर केंद्रित रहा है। विनिर्माण क्षमता का विस्तार और प्रमुख भारतीय लिफ्ट निर्माताओं के साथ निरंतर आपूर्ति संबंध घरेलू विनिर्माण के प्रति याचिकाकर्ता की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।
41. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का आयात चीन में अपनी सहयोगी कंपनियों से किया है। तथापि, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात केवल जांच की अवधि तक ही सीमित थे और क्षति अवधि के अन्य वर्षों के दौरान नहीं हुए थे। रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से भारत के भीतर विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण और बिक्री में लगा हुआ है। जांच की अवधि के दौरान किए गए आयातों की कुल मात्रा [***एमटी] थी, जिसमें याचिकाकर्ता के अपने उत्पादन का केवल [***], उसकी बिक्री का [***], कुल आयात का [***] और विचाराधीन उत्पाद की कुल भारतीय मांग का [***] हिस्सा शामिल था। आयात की ये मात्राएँ बाज़ार की स्थितियों को बिगाड़ने या घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने के लिए अपर्याप्त हैं। इसके अलावा, इन सीमित आयातों के लिए बेंचमार्किंग, पुनर्रचना और ग्राहक-विशिष्ट तकनीकी मानकों के साथ अनुरूपता का कथित तर्क घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग परिपाटियों के अनुरूप है और उत्पादन को आयात से प्रतिस्थापित करने के इरादे का सुझाव नहीं देता है।
42. रिकॉर्ड में मौजूद सूचना से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को पाटन के प्रभावों से बचाया नहीं गया है, न ही उसे इससे अनुचित लाभ हुआ है। जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात में

से याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात ***% हैं, और ऐसे नगण्य आयात यह संकेत नहीं देते हैं कि याचिकाकर्ता ने पाटन का लाभ उठाया है।

43. प्राधिकारी को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग करके भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को दबाने का प्रयास कर रहा है।
44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता का ध्यान विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री पर रहा, जैसा कि जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा किए गए क्षमता विस्तार और आगे विस्तार की उसकी योजनाओं से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता की उत्पादन गतिविधियाँ उसके आयातों से विस्थापित या कमजोर नहीं हुई हैं। आयात-आधारित लाभ अधिकतमीकरण का कोई साक्ष्य नहीं है, और सभी संकेतक स्वदेशी उत्पादन पर निरंतर और मज़बूत ध्यान केंद्रित करने की ओर इशारा करते हैं। जांच की अवधि के दौरान और उसके बाद क्षमता विस्तार, व्यापार मॉडल की ओर बदलाव की धारणा को और भी नकारता है। इसलिए, याचिकाकर्ता को हुई क्षति को स्व-प्रभावित नहीं माना जा सकता।
45. रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि संबद्ध निर्यातकों ने कुल संबद्ध आयातों में से केवल [***] का ही निर्यात किया है, जबकि चीन जन.गण. से [***] निर्यात याचिकाकर्ता को असंबद्ध निर्यातकों द्वारा किया गया है। इसके अलावा, संबद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात भारत में संबद्ध वस्तुओं की कुल खपत का [***] हिस्सा हैं। याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित संबद्ध से किए गए आयात भारत में कुल मांग का केवल [***] और भारत में कुल आयात का [***] हिस्सा हैं। संबद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा याचिकाकर्ता को क्षति पहुँचाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
46. याचिकाकर्ता द्वारा जांच की अवधि में किए गए आयातों के संबंध में, प्राधिकारी ने इसके उद्देश्य और वाणिज्यिक संदर्भ की जांच की है। यह विश्लेषण यह निर्धारित करने का एक अनिवार्य हिस्सा है कि क्या ऐसे आयात, विशेष रूप से संबद्ध कंपनियों से प्राप्त आयात, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत याचिकाकर्ता की पात्रता को प्रभावित करते हैं। ऐसा करते समय, प्राधिकारी ने संबद्ध पक्षकारों से आयात की मात्रा, याचिकाकर्ता के प्रचालन मॉडल और संगत अवधि के दौरान प्रदर्शित समग्र बाजार व्यवहार पर विचार किया है।
47. यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध देश में स्थित संबद्ध निर्यातकों से *** एमटी संबद्ध सामानों का आयात किया है, जो उसके अपने उत्पादन और बिक्री का ***% और जांच की अवधि के दौरान भारत में कुल आयात का ***% है। क्षति अवधि के शेष वर्षों में याचिकाकर्ता द्वारा कोई आयात नहीं किया गया। बार-बार या नियमित आयात पैटर्न का अभाव यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के

नियमित आयात में संलग्न नहीं है। बल्कि, याचिकाकर्ता के मुख्य प्रचालन स्पष्ट रूप से भारत के भीतर विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण और बिक्री पर केंद्रित हैं।

48. आयात मात्रा, संबद्धता और वाणिज्यिक स्वतंत्रता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई चिंताओं सहित सभी अनुरोधों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग से बाहर करने का कोई आधार नहीं है। किए गए आयात सीमित, औचित्यपूर्ण हैं और पाटित आयातों के आयात प्रतिस्थापन अथवा तद्विरुद्ध पर आधारित व्यापारिक मॉडल के संकेतात्मक नहीं हैं। याचिकाकर्ता का वाणिज्यिक रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से व्यवहार यह दर्शाता है कि अनुचित व्यापार परिपाटियों से मांग करने वाला घरेलू उत्पादक अपेक्षाकृत उनसे लाभ लेने वाले किसी से भिन्न है।
49. प्राधिकारी ने यह पाया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने नियम 2(ख) के अंतर्गत प्राधिकारी के विवेकाधिकार का विरोध नहीं किया है, जिसके तहत किसी उत्पादक को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल या बाहर किया जा सकता है, भले ही ऐसा उत्पादक आयातक हो या संबद्ध सामानों के निर्यातक से संबद्ध हो।
50. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत आधार की आवश्यकता को पूरा करता है।
51. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि नव दुर्गा ने पाटन के कारण अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं और आधार के लिए अपने उत्पादन को माना है, जैसा कि ऊपर जांच की गई है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि याचिकाकर्ता, समर्थक के साथ, नव दुर्गा के उत्पादन पर ध्यान दिए बिना, पीयूसी के कुल घरेलू उत्पादन का 95% से अधिक हिस्सा बनाता है।
52. इसके अतिरिक्त, इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध पक्षकारों से गाइड रेल या कच्चे माल के अन्य ग्रेड का आयात किया है, प्राधिकारी ने अनुरोधों की समीक्षा की है और पाया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आयातित गाइड रेल के अन्य ग्रेड, यदि वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो वर्तमान जाँच के लिए संगत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध पक्षकारों से कच्चे माल के आयात के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने सॉलिड गाइड रेल, अर्थात् टी-प्रोफाइल्स, के लिए मूल स्वदेशी इनपुट सवेरा कोठारी से प्राप्त किया है, और क्षति खंड में निकटतम कीमत निर्धारण के मुद्दे की जाँच की गई है।

ड. गोपनीयता**ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

53. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. में अपनी संबद्ध कंपनियों से संबंधित सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है, भले ही ऐसी सूचना उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
- ii. केवल तीन संबद्ध कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया, और उनके नामों का खुलासा किया गया है। चीन जन.गण. में अन्य संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों के नाम, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात नहीं किया, का खुलासा नहीं किया गया।
- iii. पाटनरोधी उपायों को जारी रखने के लिए दायर याचिका में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है, विशेष रूप से व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के तहत आवश्यक महत्वपूर्ण सूचना का खुलासा करने में विफलता है।
- iv. याचिका में गोपनीय अनुरोधों के साथ दिए गए अगोपनीय सारांश अपर्याप्त हैं और अंतर्निहित सूचना की उचित समझ के लिए अनुमति नहीं देते हैं।
- v. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता पर टिप्पणियाँ 20 जनवरी, 2025 की समय सीमा के बाद दायर की गईं, और इसलिए ये पाटनरोधी नियमावली और व्यापार सूचना के नियम 7 का उल्लंघन हैं। प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रूपांतर 15 जनवरी, 2025 को प्राप्त हुआ और टिप्पणियाँ 20 जनवरी, 2025 तक देय थीं। इसलिए 31 जनवरी, 2025 को दायर करना असामयिक है।
- vi. याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने के लिए याचिका में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 का उल्लंघन है। गोपनीय सूचना का कोई सार्थक अगोपनीय सारांश प्रदान नहीं किया गया है, जिससे प्रदाता को अपने हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने से रोका जा रहा है।
- vii. समग्र तर्क यह था कि याचिकाकर्ता सार्थक अगोपनीय सारांश प्रदान करने में विफल रहा और उसने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया, जिससे प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और अन्य पक्षकारों की प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

54. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. गोपनीयता संबंधी आपत्तियाँ प्रक्रियात्मक रूप से अस्वीकार्य हैं, क्योंकि इन्हें जाँच की शुरुआत की सूचना के पैराग्राफ 37 के तहत निर्धारित सात-दिवसीय समय-सीमा के बाद दायर किया गया है। घरेलू उद्योग ने निर्धारित अवधि के भीतर याचिका का अगोपनीय रूपांतर परिचालित किया और इसकी प्राप्ति की सूचना दी गई। इस प्रकार, 14 अप्रैल, 2025 को दायर की गई

विलंबित आपत्तियाँ समय-सीमा पार कर चुकी हैं और अब उन पर विचार करने से उचित प्रक्रिया कमजोर होगी और घरेलू उद्योग को नुकसान होगा।

- ii. जाँच की अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात करने वाली सभी संबद्ध चीनी कंपनियों का खुलासा कर दिया गया है। प्रकटन की आवश्यकता केवल निर्यातक कंपनियों पर लागू होती है, सभी वैश्विक संबद्ध कंपनियों पर नहीं। इसके अलावा, व्यापार सूचना संख्या 10/2018 प्राधिकारी को विचलन की अनुमति देने का विवेकाधिकार प्रदान करती है और चीन जन.गण. में गैर-निर्यातक सहयोगियों का खुलासा करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।
- iii. यह दावा कि घरेलू उद्योग द्वारा कथित रूप से सूचना न देने के कारण संबंधित पक्षकार आयात आँकड़ों का सत्यापन करने में असमर्थ है, अटकलबाज़ी है। घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने वाली संबद्ध कंपनियों का पहले ही खुलासा कर दिया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

55. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है:
56. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया है। जहां तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की गोपनीयता का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

“(1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार कार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार कार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार कार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार कार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार कार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है। (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

57. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग, दोनों द्वारा उठाए गए गोपनीयता के दावों और आपत्तियों की गहन समीक्षा की है, और इन आपत्तियों की समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया है। जांच की शुरुआत की सूचना के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को दस्तावेजों का अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर गोपनीयता संबंधी कोई भी आपत्ति प्रस्तुत करनी थी।
58. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग, दोनों द्वारा उठाए गए गोपनीयता संबंधी दावों और आपत्तियों का विस्तृत मूल्यांकन किया है। यह मूल्यांकन न केवल दावों की मूल विषय-वस्तु द्वारा, बल्कि विशेष रूप से समयबद्धता के संदर्भ में भी निर्देशित किया गया है। जैसा कि जांच की शुरुआत की सूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सूचना की गोपनीयता से संबंधित कोई भी आपत्ति संबंधित दस्तावेजों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए जाने की तिथि से सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जानी थी। निर्धारित समय-सीमा, प्राधिकारी को जाँच प्रक्रिया में अनावश्यक देरी किए बिना गोपनीयता संबंधी दावों की एक संरचित समीक्षा करने में सक्षम बनाती है और यह सुनिश्चित करती कि सभी पक्षकारों को समान प्रक्रियात्मक आधार पर प्रतिक्रिया देने का समान अवसर प्रदान किया जाता है।
59. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों दोनों ने अपने-अपने गोपनीयता संबंधी दावे और आपत्तियाँ निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद ही प्रस्तुत की हैं। प्रक्रिया की अखंडता स्थापित समय सीमाओं के सख्त पालन पर निर्भर करती है। विलंबित अनुरोधों पर विचार करने की अनुमति देने से न केवल जाँच की दक्षता और पूर्वानुमेयता प्रभावित होगी, बल्कि उन अन्य प्रतिभागियों के अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा का सदभावपूर्वक अनुपालन किया है। तदनुसार, प्रक्रियात्मक समय-सीमाओं से जुड़े अंतिमता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए और जांच की शुरुआत की सूचना में निर्दिष्ट सीमा अवधि को लागू करने में, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों दोनों द्वारा दायर गोपनीयता-संबंधी अनुरोध स्वीकार्य समय-सीमा से परे हैं और उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
60. आपत्तियों की प्रक्रियात्मक अस्वीकार्यता के बावजूद, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों दोनों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता संबंधी दावों की गहन जाँच की है। समीक्षा के बाद, प्राधिकारी ने पाया कि ये दावे, सामान्यतः, उचित रूप से प्रमाणित थे और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप थे। तदनुसार, संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ भी आवश्यक हुआ, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करें।

च. विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: -

- i. याचिकाकर्ता द्वारा डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त विश्वसनीय आयात आँकड़े उपलब्ध कराने में विफलता चिंता का विषय है। याचिका में प्रयुक्त गौण आँकड़े अविश्वसनीय माने गए हैं और अनुरोध है कि प्राधिकारी क्षति और पाटन की जाँच के लिए डीजीसीआईएंडएस के आधिकारिक आँकड़ों पर ही भरोसा करें।
- ii. यह अनुरोध किया गया है कि याचिका में तीन संबद्ध निर्यातकों के नाम थे, लेकिन केवल दो ने ही जाँच में भाग लिया है। तीसरे संबद्ध ने जाँच अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया और इसलिए उसने भाग नहीं लिया। जाँच में भाग नहीं लेने वाली संबद्ध कंपनियों द्वारा आगामी वर्षों में नई शिपर समीक्षा के लिए आवेदन करने की संभावना के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं।
- iii. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद का स्रोत चुनने का निर्णय केवल कीमत निर्धारण पर आधारित नहीं था, बल्कि वितरण समय-सीमा और बदलती माँग के प्रति आपूर्तिकर्ता की प्रतिक्रिया पर भी आधारित था।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति में देरी के कारण कथित तौर पर ऑर्डर छूट गए, परियोजनाओं में देरी हुई, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा और सीमित वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता बढ़ गई। यह भी अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पाद ग्राहक विनिर्देशों और मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके परिणामस्वरूप ऑर्डरों में हानि हुई।
- v. गाइडरेल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आराम और कंपन संबंधी मुद्दों के संबंध में। संभावित विसंगतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए विस्तृत जाँच की जानी चाहिए।
- vi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के तहत मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मौखिक तर्कों पर उचित रूप से विचार किया जाए। दूसरी मौखिक सुनवाई के बाद दी गई दो कार्य-दिवसों की अत्यंत कम समय-सीमा अनुचित है और हितबद्ध पक्षकारों को अपनी लिखित अनुरोध तैयार करने के उचित अवसर से वंचित करती है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
- vii. निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन और जाँच के निष्कर्ष से पहले पर्याप्त समय शेष होने को देखते हुए, सुनवाई के बाद अनुरोधों के लिए संक्षिप्त समय-सीमा मनमानी और पूर्वाग्रहपूर्ण है। यह प्रक्रियात्मक अनुचितता सुनवाई और उसके बाद के किसी भी निष्कर्ष की वैधता को कमजोर करती है, जिससे वे कानूनी रूप से अस्थिर हो जाते हैं।
- viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी ने व्यापार सूचना संख्या 11/2018 दिनांक 10.09.2018 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दायर न करने से जाँच के बाद के चरणों में भागीदारी में बाधा नहीं आती है, जिसमें कानूनी अनुरोध दायर करना और जन सुनवाई में भाग लेना शामिल है।
- ix. उपरोक्त परिपाटी इस बात की पुष्टि करती है कि प्रक्रियात्मक भागीदारी पूर्व प्रश्नावली दायर करने पर निर्भर नहीं है, खासकर जहाँ पक्षकार प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसलिए,

हितबद्ध पक्षकार को ये लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है, जिन्हें रिकॉर्ड में लेने और अंतिम निर्धारण में विचार करने का विनम्र अनुरोध है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

62. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. घरेलू उद्योग का कहना है कि उसने उस समय डीजीसीआईएंडएस के आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण और केवल *प्रथम दृष्टया* मामला स्थापित करने के लिए ही गौण स्रोतों पर भरोसा किया था। हालाँकि, प्राधिकारी ने जाँच शुरू करने से पहले डीजी सिस्टम के आँकड़ों का उपयोग करके आयात आँकड़ों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया, जैसा कि जाँच की शुरुआत की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है।
- ii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार, सवेरा इंडिया के अन्य सहयोगियों द्वारा संभावित न्यू शिपर समीक्षाओं के बारे में चिंताएँ निराधार हैं। ये सहयोगी पहले से ही शुल्क के अधीन निर्यातकों से संबंधित हैं और इसलिए ऐसी समीक्षाओं के लिए पात्र नहीं हैं।
- iii. आपूर्ति में देरी और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों से संबंधित आरोपों के समर्थन में कुछ आंतरिक पत्र और दस्तावेजों का हवाला दिया गया था। हालाँकि, इन दस्तावेजों को लिखित अनुरोधों के सार्वजनिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया था। घरेलू उत्पादक द्वारा 21 अप्रैल को प्रकटन के लिए औपचारिक अनुरोध किए गए थे और 25 अप्रैल, 2025 को अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। उद्धृत दस्तावेज प्राप्त होने पर, अब एक विस्तृत प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जा रही है।
- iv. ये दावे मुख्यतः 2009 की एक घटना से संबंधित हैं, जो घरेलू उत्पादक के प्रारंभिक प्रचालनात्मक चरण के दौरान की है। घरेलू उत्पादक ने 2008 में गाइड रेल के स्थानीय निर्माता के रूप में उत्पादन शुरू किया था। शुरुआती चुनौतियों का सामना घरेलू बाजार में रोलड टी-सेक्शन स्टील प्रोफाइल की अनुपलब्धता के कारण हुआ, जो टी75 गाइड रेल के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है।
- v. उत्पाद की गुणवत्ता और विनिर्देशों में विसंगतियों के आरोप एक ही घटना से संबंधित हैं, जो किसी तकनीकी या विनिर्माण दोष के बजाय एक प्रशासनिक त्रुटि के कारण हुई थी। उत्पाद विनिर्देशों या सुरक्षा मापदंडों में कोई विचलन नहीं हुआ, और आंतरिक सत्यापन तंत्र के माध्यम से मामले का तुरंत समाधान कर दिया गया।
- vi. घरेलू उत्पादक कड़े गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को बनाए रखता है और बड़े ओईएम सहित कई खरीदारों द्वारा आवश्यक तकनीकी विनिर्देशों को लगातार पूरा करता है। स्थायी व्यावसायिक जुड़ाव, अब उद्धृत एकाध प्रशासनिक निरीक्षण को छोड़कर, गुणवत्ता और निष्पादन दोनों के साथ समग्र संतुष्टि को दर्शाता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

63. प्राधिकारी ने याचिका में जिन आयात आँकड़ों का सहारा लिया गया है, उनकी विश्वसनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट करते हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने याचिका दायर करते समय डीजीसीआईएंडएस के आँकड़ों के अभाव में, और केवल क्षति का *प्रथम दृष्टया* मामला सिद्ध करने के लिए, गौण आँकड़ों के स्रोतों पर भरोसा किया। जैसा कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना

में उल्लिखित है, प्राधिकारी ने जांच आरंभ करने से पहले लेनदेन-वार डीजी सिस्टम आंकड़ों का उपयोग करके आयात आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से जांच की है। इस प्रकार के सत्यापन पर, आवेदन-पत्र में बताए गए आयातों की मात्रा और मूल्य तथा डीजी सिस्टम आंकड़ों में दर्शाए गए आंकड़ों में कोई वास्तविक असंगति नहीं पाई गई। तदनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जांच की शुरुआत के चरण में जिन आंकड़ों पर भरोसा किया गया, वे जांच आरंभ करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त और सटीक थे।

64. संबद्ध निर्यातकों की भागीदारी के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर, यह नोट किया जाता है कि याचिका में तीन संबद्ध निर्यातकों के नाम थे, परंतु केवल दो संबद्ध निर्यातकों ने जांच में भाग लिया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे संबद्ध निर्यातक, अर्थात्, तियानजिन सनराइज मशीनरी पाटर्स कंपनी लिमिटेड ने प्राधिकारी को ईमेल द्वारा सूचित किया कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया था और इसलिए उसे भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। प्राधिकारी ने आगामी वर्षों में ऐसे संबद्धों द्वारा नई शिपर समीक्षा के लिए आवेदन करने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की। हालांकि, पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार, पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन किसी निर्यातक का सहयोगी एनएसआर प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी को इस तर्क में कोई औचित्य नहीं दिखता है।
65. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि खरीद निर्णय कीमत निर्धारण से परे कारकों पर आधारित थे, जिसमें सुपुर्दगी की समय-सीमा और उतार-चढ़ाव वाली मांग के प्रति जवाबदेही शामिल है। इस संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों ने आपूर्ति और उत्पाद की गुणवत्ता में देरी के संबंध में अनुरोध किए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आंतरिक पत्रों सहित इन दावों के समर्थन में उद्धृत साक्ष्य घरेलू उद्योग को प्रदान नहीं किए गए थे, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा उक्त दस्तावेजों के प्रकटन का अनुरोध किया गया था।
66. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उक्त मुद्दा मुख्यतः 2009 में हुई एक अलग घटना से संबंधित है, जो 2008 में घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने के तुरंत बाद की घटना है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस प्रारंभिक चरण के दौरान, घरेलू स्तर पर उपलब्ध रोलड टी-सेक्शन प्रोफाइल, जो टी75 गाइड रेल के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, की अनुपस्थिति के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्धृत घटना प्रचालनों के प्रारंभिक स्थिरीकरण चरण के दौरान हुई थी। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि क्षति अवधि या जांच की अवधि में ऐसी देरी या गुणवत्ता संबंधी समस्याएं बनीं रहीं।
67. असंगठित क्षेत्र की लिफ्ट निर्माण कंपनियों द्वारा उजागर किए गए गुणवत्ता संबंधी मुद्दे के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त दावे की पुष्टि किसी भी सकारात्मक साक्ष्य से नहीं हुई है।

68. उत्पाद विनिर्देशों के साथ बेमेल होने के आरोप एक विशिष्ट प्रशासनिक चूक से संबंधित हैं। घरेलू उद्योग ने आंतरिक दस्तावेजीकरण के माध्यम से दर्शाया है कि अंतिम उत्पाद के विनिर्देशों और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया गया था और यह विचलन उत्पादन या उत्पाद अखंडता में किसी दोष के बजाय प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुआ था।
69. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस आरोप के संबंध में कि सुनवाई के बाद दूसरी लिखित अनुरोधों के लिए दिए गए दो कार्यदिवस हितबद्ध पक्षकारों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय नहीं देते, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को पूरी जाँच के दौरान भाग लेने का पूरा अवसर दिया गया है। जाँच के दौरान पहले ही एक विस्तृत मौखिक सुनवाई की जा चुकी है, जिसके बाद सभी हितबद्ध पक्षकारों की ओर से लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर अनुरोध दिए गए हैं।
70. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि दूसरी मौखिक सुनवाई केवल निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण आवश्यक थी और इसमें कोई नई या वास्तविक रूप से भिन्न अनुरोध शामिल नहीं थे जिनके लिए समय-सीमा बढ़ाई गई हो। दूसरी सुनवाई के बाद प्रदान की गई दो दिन की अवधि दिए गए संदर्भ में पर्याप्त थी, विशेष रूप से यह देखते हुए कि पक्षकारों ने पहले ही व्यापक तर्क और दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर रख दिए थे।
71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई के लिए अनिश्चितकालीन नहीं, बल्कि निष्पक्ष अवसर की आवश्यकता होती है, और इस निष्पक्षता का मूल्यांकन पूरी प्रक्रिया के आलोक में किया जाना चाहिए। तदनुसार, यह तर्क कि सीमित समय-सीमा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, बिना किसी औचित्य के पाया गया है। प्राधिकारी का मानना है कि सुनवाई और उसके बाद की प्रक्रियाएँ प्राकृतिक न्याय के अनुरूप की गई थी।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध:

72. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- विश्व व्यापार संगठन में चीन जन.गण. के अभिगम संबंधी नयाचार की धारा 15(क)(ii) के अंतर्गत चीन जन.गण. पर गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था पद्धति लागू करने का कानूनी आधार 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया।

- ii. चीन के अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(ii) की समाप्ति के बाद, भारत के पास अब चीन जन.गण. से आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँचों में गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था पद्धति लागू करने के लिए विश्व व्यापार संगठन-संगत कानूनी आधार नहीं है।
- iii. विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के तहत दायित्वों के अनुसार, जाँचकर्ता प्राधिकारी को विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुरूप पाटन मार्जिन की गणना के लिए संगत सूचना एकत्र करना आवश्यक है।
- iv. गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था पद्धति के अनुप्रयोग के अभाव में, सामान्य मूल्य, तीसरे देश या अनुरूप देश के आँकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय, चीनी उत्पादक द्वारा प्रदान किए गए लागत और कीमत आँकड़ों पर आधारित होना चाहिए।
- v. बोनली ने प्रस्तुत किया कि सत्यापन से संबंधित चालान 07 अप्रैल 2025 को पहले ही दाखिल किए जा चुके थे और प्राधिकरण के 19 अगस्त 2025 के ईमेल के जवाब में, चालान, क्रय आदेश, अनुबंध और ग्राहक आरेखों की प्रतियां प्रदान की गई हैं, जिसमें शिंडलर के साथ मास्टर अनुबंध भी शामिल है।
- vi. बोनली ने स्पष्ट किया कि शिंडलर के अलावा, अन्य आयातकों के साथ कोई दीर्घकालिक अनुबंध या क्रय आदेश नहीं हैं। ऐसे मामलों में, कोटेशन मांगे जाते हैं और प्रोफार्मा चालान जारी किए जाते हैं, जिनमें लंबाई, वजन और अन्य विशिष्टताओं का उल्लेख होता है। ये दस्तावेज़ पहले प्रस्तुत की गई जानकारी से पूरी तरह मेल खाते हैं।
- vii. गाइड रेल के वजन में अंतर के संबंध में, बोनली ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण ने संबंधित आईएसओ मानक निर्दिष्ट नहीं किया है। कई आईएसओ मानक पीयूसी को कवर करते हैं और किसी विशेष मानक की प्रयोज्यता पर पक्षों के बीच बातचीत की जाती है। याचिका में IS 8100-33:2022 (पूर्व में ISO 7465:2007) और IS 17806:2022 का उल्लेख है, लेकिन इन मानकों का अनुपालन अनिवार्य नहीं है क्योंकि भारत में कोई गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया गया है।
- viii. IS 8100-33:2022 हॉट रोलिंग के बाद कच्ची गाइड रेल का रैखिक घनत्व (किलोग्राम/मी) निर्धारित करता है, न कि तैयार रेल का भार। तैयार रेल का वास्तविक रैखिक घनत्व या भार कम होता है, क्योंकि मशीनिंग के परिणामस्वरूप सामग्री की हानि होती है। बोनली के चालानों में दर्ज भार दस्तावेज़ी साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं, सीमा शुल्क द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और ग्राहक के विनिर्देशों से मेल खाते हैं। यहाँ तक कि घरेलू उद्योग भी ISO मानकों से कम हल्के प्रोफाइल का निर्माण करता है।
- ix. बोनली ने प्रस्तुत किया कि न तो रेखाचित्र और न ही ISO मानक तैयार भार निर्दिष्ट करते हैं, जो केवल चालान और प्रवेश बिल जैसे वाणिज्यिक दस्तावेज़ों में ही दर्शाए जाते हैं। ऐसे दस्तावेज़, जिनमें ग्राहकों के दस्तावेज़ भी शामिल हैं, विधिवत प्रदान किए गए हैं और

स्वीकार किए गए हैं। टी-45 ग्रेड, कोल्ड-ड्रॉ होने के कारण, पीयूसी से बाहर रखा गया है। यदि डंपिंग और क्षति मार्जिन में संशोधन किया जाता है, तो बोनली टिप्पणी दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय के साथ एक नया प्रकटीकरण विवरण जारी करने का अनुरोध करता है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

73. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. ऐतिहासिक रूप से, भारत और कई अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा समान उत्पाद श्रेणियों सहित, पाटनरोधी जाँचों में चीन को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाता रहा है। वर्तमान जाँच में, चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाज़ार अर्थव्यवस्था उत्पादक के रूप में व्यवहार के लिए कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है या यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया है कि उनके क्षेत्र में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं।
- ii. चूँकि किसी भी प्रतिवादी द्वारा बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार का कोई दावा नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकारी बाज़ार अर्थव्यवस्था मानकों के तहत चीनी निर्यातकों का मूल्यांकन करने के लिए बाध्य नहीं है।
- iii. ऐसी परिस्थितियों में, प्राधिकारी द्वारा चीन को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना जारी रखना और इस व्यवहार के अनुरूप कार्यप्रणालियों को लागू करना औचित्यपूर्ण है, जिसमें भारतीय लागत आँकड़ों पर आधारित निर्मित सामान्य मूल्य का उपयोग भी शामिल है।
- iv. घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादन लागत के आधार पर गणनाओं का एक पूरा सेट दिया है, जिसमें निर्मित सामान्य मूल्य के समर्थन में सामान्य व्ययों के लिए पर्याप्त प्रावधान और उचित लाभ मार्जिन शामिल है।
- v. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से विश्वसनीय कीमत निर्धारण या लागत संबंधी आंकड़े एकत्र करने का प्रयास किया था; हालाँकि, कोई भी आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- vi. घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संबद्ध सामानों और संबंधित घटकों का आयात कई अलग-अलग सीमा शुल्क वर्गीकरणों के तहत किया जाता है, जिससे कीमत तुलना के लिए किसी एक तीसरे देश के मानक की पहचान करना अव्यावहारिक हो जाता है।
- vii. परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए अवशेष पद्धति पर भरोसा किया है, जो आंतरिक वित्तीय आंकड़ों द्वारा समर्थित है और एनएमई देश से संबंधित इसी तरह की जाँच में पिछले परिपाटी के अनुरूप है।
- viii. प्राधिकारी को एमईटी की मांग करने वाले चीनी उत्पादकों/निर्यातकों से किसी भी प्रमाणित दावे या सहायक दस्तावेजों के अभाव में निर्मित सामान्य मूल्य दृष्टिकोण को लागू करना जारी रखने का पूर्ण हकदार है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच सामान्य मूल्य का निर्धारण

74. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत,

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

75. निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर चीन के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर किया गया है:

- i. वूशी कोएनिग एलेवेटर एक्सेसरीज़ कंपनी लिमिटेड
- ii. तियानजिन सवेरा एलेवेटर राइडिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड
- iii. सूज़ौ सवेरा शांगवु एलेवेटर राइडिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड
- iv. मराज़ी (जियांग्सू) एलेवेटर गाइड रेल कंपनी लिमिटेड
- v. झांगजियागांग ऑस्कर एंड जेसन एलेवेटर पार्ट्स कंपनी लिमिटेड
- vi. झेजियांग बोनली एलेवेटर गाइड रेल निर्माता कंपनी लिमिटेड

76. नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार, यद्यपि प्राधिकारी उन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे जिन्होंने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, किन्तु ऐसी स्थिति में जहाँ बड़ी संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, प्राधिकारी उत्तर को सीमित संख्या में उत्पादकों तक सीमित करके नमूनाकरण का सहारा ले सकते हैं। इस संबंध में नियमावली में निम्नलिखित प्रावधान हैं।

“17(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी, जाँचाधीन वस्तु के प्रत्येक ज्ञात संबंधित निर्यातक या उत्पादक के लिए एक अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे:

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहाँ निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों या शामिल वस्तुओं के प्रकारों की संख्या इतनी अधिक हो कि ऐसा निर्धारण अव्यावहारिक हो, वह अपने निष्कर्षों को या तो चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूनों का उपयोग करके हितबद्ध पक्षकारों या वस्तुओं की उचित संख्या तक सीमित कर सकता है, या संबंधित देश से निर्यात की मात्रा के उस अधिकतम प्रतिशत तक सीमित कर सकता है जिसकी उचित रूप से जाँच की जा सकती है, और इस प्रावधान के अंतर्गत निर्यातकों, उत्पादकों या वस्तुओं के प्रकारों का कोई भी चयन, अधिमानतः संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों या आयातकों के परामर्श और उनकी सहमति से किया जाएगा:

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी, किसी भी निर्यातक या उत्पादक के लिए, भले ही उसका चयन प्रारंभ में न किया गया हो, जो आवश्यक सूचना समय पर प्रस्तुत करता है, एक अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे, सिवाय इसके कि जहाँ निर्यातकों या उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक हो कि अलग जाँच अत्यधिक बोझिल हो और जाँच के समय पर पूरा होने में बाधा डाले।”

77. बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, प्राधिकारी ने उत्पादकों के नमूने लेने पर विचार किया। 19 मार्च 2025 की अधिसूचना के अनुसार इस पर विचार किया गया। विचारित नमूना भारत को निर्यात की मात्रा पर आधारित था, और सबसे अधिक निर्यात मात्रा वाले उत्पादकों को नमूने का हिस्सा माना गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि नमूने में केवल तीन उत्पादकों का चयन किया गया है, फिर भी उन उत्पादकों/निर्यातकों की संख्या, जिनके लिए शुल्क निर्धारित किया जाएगा, बहुत अधिक है। प्राधिकारी ने आगे नोट किया कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी द्वारा जारी नमूनाकरण प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी दायर नहीं की।
78. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत के आधार पर, अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए चीन जन.गण. से तीन उत्पादकों और उनके संबद्ध निर्यातकों का चयन किया। प्राधिकारी द्वारा चीन से निम्नलिखित उत्पादकों के नमूने लिए गए:

- i. मराज़ी (जियांग्सू) एलिवेटर गाइड रेल कंपनी लिमिटेड
- ii. वूशी कोएनिग एलिवेटर एक्सेसरीज़ कंपनी लिमिटेड
- iii. झेजियांग बोनली लिफ्ट गाइड रेल निर्माण कंपनी लिमिटेड

79. प्राधिकारी चीन जन.गण. में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और पैरा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों को नोट करते हैं:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय उप उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।

8 (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य सामानों कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सामानों के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने

वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप-पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जो संगत मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें उप-पैरा (3) में निर्धारित मानदंड शामिल हों, उस किसी देश द्वारा पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए निर्धारित अथवा सार्वजनिक दस्तावेज में उस मूल्यांकन के प्रकाशन से माना गया हो, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है।

80. जांच की शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानने की धारणा से कार्यवाही की। जांच की में, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर दें और यह सूचना प्रदान करें कि क्या उनके आंकड़ों/सूचनाओं को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

81. विश्व व्यापार संगठन में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“ (क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में एमईटी स्तर का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों की अपेक्षा होती है।
83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित अवधारणाओं का खंडन करने के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी है।

84. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने की तीन पद्धतियां निर्धारित की गई हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत शामिल हैं।
85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत, सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वप्रथम किसी प्रतिनिधिक देश में कीमत या निर्मित मूल्य, अथवा ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। तथापि, जब ऐसा आधार संभव न हो, तभी प्राधिकारी भारत में भुगतान की गई या देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।
86. प्रथम और द्वितीय पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए, प्राधिकारी ने तृतीय पद्धति, अर्थात् भारत में भुगतान की गई या देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की उत्पादन की इष्टतम लागत पर विचार करते हैं, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से जोड़ा जाएगा। संबद्ध देश में सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

i. मराज़ी (जियांगसू) एलिवेटर गाइड रेल कंपनी लिमिटेड

87. मराज़ी (जियांगसू) एलिवेटर गाइड रेल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. एक सीमित देयता कंपनी विदेशी निवेश, गैर-एकल स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे *** को पीआरसी के कंपनी कानून के तहत स्थापित किया गया है। मराज़ी (जियांगसू) एलिवेटर गाइड रेल कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर एक इतालवी कंपनी, मराज़ी एस.आर.एल. द्वारा निवेशित और संगठित कंपनी है।
88. जांच की अवधि के दौरान: मराज़ी (जियांगसू) एलिवेटर गाइड रेल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने भारत में असंबद्ध क्रेताओं को सीधे ही भारत को ***अमेरिकी डॉलर बीजक मूल्य के ***एमटी बेचा है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्ययों,

ऋण लागत और बैंक शुल्कों के समायोजन का दावा किया है ताकि कारखानागत स्तर पर पीसीएन-वार निर्यात कीमत निकाली जा सके, और इसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ii. वूशी कोएनिग एलीवेटर एक्सेसरीज़ कंपनी लिमिटेड

89. वूशी कोएनिग एलीवेटर एक्सेसरीज़ कंपनी लिमिटेड, चीन, जन.गण. एक निजी कंपनी है जो इक्विटी द्वारा सीमित है। वूशी कोएनिग एलीवेटर एक्सेसरीज़ कंपनी लिमिटेड, चीन, जन.गण. की स्थापना पी.आर.सी. के कंपनी कानून के तहत की गई थी।

90. जांच की अवधि के दौरान: वूशी कोएनिग एलीवेटर एक्सेसरीज़ कंपनी लिमिटेड, चीन, जन.गण. ने भारत में असंबद्ध क्रेताओं को सीधे ही *** अमेरिकी डॉलर बीजक मूल्य के *** एमटी बेचे हैं। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और बंदरगाह तथा अन्य संबंधित व्ययों, पैकिंग व्यय और बैंक शुल्कों के मदों में समायोजन का दावा किया है ताकि कारखानागत स्तर पर पीसीएन-वार निर्यात कीमत निकाली जा सके और उसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

iii. झेजियांग बोनली एलीवेटर गाइड रेल मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड

91. निर्यातकों में से एक, मराज़ी, ने अपने प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों में, यह तर्क दिया है कि मराज़ी और बोनली को सौंपे गए डंपिंग मार्जिन में उल्लेखनीय अंतर है। इसने प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण की वर्तमान कार्यप्रणाली, विचाराधीन उत्पाद और समान उत्पादों के बीच भार के अंतर को अनदेखा करके परिणामों को विकृत करती है। कुछ चीनी उत्पादक गाइड रेल की मशीनी सतहों पर अनुप्रस्थ काट के मापदंडों को मैन्युअल रूप से कम करके, जिससे उत्पाद का वास्तविक भार कम हो जाता है, कच्चे माल की लागत कम करते हैं। हालाँकि, वर्तमान डंपिंग मार्जिन गणना पद्धति, घोषित सीमा शुल्क भार के आधार पर शुद्ध मूल्य निर्धारित करती है। यद्यपि इकाई मूल्य अपरिवर्तित रहता है, प्रति उत्पाद कम भार का अर्थ है कि समान घोषित सीमा शुल्क भार के लिए, अधिक इकाइयाँ बेची जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रति टन शुद्ध मूल्य की गणना गलत तरीके से बढ़ा दी जाती है।

92. घरेलू उद्योग ने भी, प्रकटीकरण के बाद की अपनी टिप्पणियों में, प्राधिकरण से बोन्ली के लिए परिकल्पित मार्जिन की पुनः जाँच करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि जाँच अवधि के बाद की अवधि में बोन्ली के निर्यात में उल्लेखनीय रूप से कम कीमतों पर पर्याप्त वृद्धि हुई है।

93. निर्यातक और घरेलू उद्योग दोनों द्वारा किए गए दावों की जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने जांच की अवधि में भारत को बोनली द्वारा निर्यात की गई गाइड रेल के प्रति इकाई भार की गणना की, जैसा कि इसके परिशिष्ट-3ए में रिपोर्ट किया गया है। प्राधिकारी ने उन लेनदेनों के लिए प्रति इकाई भार की गणना की, जिनके चालान बोनली द्वारा सत्यापन सूचना के भाग के रूप में प्रदान किए गए हैं, क्योंकि चालानों में रिपोर्ट की गई माप की इकाई टुकड़े हैं। विभिन्न गाइड रेल के लिए इस प्रति इकाई भार की तुलना मराज़ी द्वारा निर्यात की गई समान गाइड रेल के प्रति इकाई औसत भार के साथ की गई। तुलना करने पर, प्राधिकारी ने पाया कि इन दोनों निर्यातकों द्वारा निर्यात की गई गाइड रेल के प्रति इकाई भार में अंतर है। प्राधिकारी ने बोनली द्वारा निर्यात की गई गाइड रेल के प्रति इकाई भार की तुलना घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई गाइड रेल के साथ की, साथ ही आईएस 8100-33:2022 (पूर्व में आईएसओ 7465:2007) में दिए गए रैखिक घनत्व का उपयोग करके गणना की गई प्रति इकाई भार की भी तुलना की, नीचे दी गई तालिका प्रति इकाई भार की तुलना दर्शाती है-

ठोस गाइड रेल	बोनली	माराज़ी	डि	आईएस 8100-33:2022 (पूर्व में आईएसओ 7465:2007)
टी 70	***	***	***	
टी 75	***	***	***	42.82
टी-78	***	***	***	38.65
टी-82	***	***	***	61.9
टी-89	***	***	***	67.7

94. इन भिन्नताओं को देखते हुए, प्राधिकरण ने दिनांक 19.08.2025 के ईमेल के माध्यम से बोनली से विशिष्ट चालानों के लिए निम्नलिखित जानकारी मांगी:

- क) ग्राहक पीओ और अनुबंध
- ख) ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया चित्र
- ग) आईएसओ में दिए गए वजन की तुलना में गाइड रेल के वजन में अंतर का कारण

95. उपर्युक्त जानकारी के जवाब में, बोनली ने 21.08.2025 को ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किया:

- क) प्रवेश पत्र
- ख) क्रय आदेश और अनुबंध/प्रोफार्मा चालान

ग) ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया चित्र.

96. प्राधिकरण ने प्रत्येक प्रश्न के उत्तर और उसमें उल्लिखित दस्तावेजों की निम्नलिखित पैराग्राफों में जांच की है:

(ए) ग्राहक पीओ और अनुबंध और (बी) खरीद आदेश और अनुबंध/प्रोफार्मा चालान

97. 97. ग्राहक पीओ और अनुबंध से संबंधित बोनली के प्रस्तुतीकरण के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि ग्राहकों में से एक, *** द्वारा बोनली को जारी किए गए पीओ में स्पष्ट रूप से आईएस 8100-33:2022 (पूर्व में आईएसओ 7465:2007) का संदर्भ है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि ग्राहक आईएस की आवश्यकताओं के अनुसार गाइड रेल के लिए बोनली को ऑर्डर देता है और यह ग्राहकों के लिए उक्त आईएस के महत्व को भी दर्शाता है। *** और अन्य ग्राहकों के लिए बोनली द्वारा प्रदान किए गए बीओई और प्रोफार्मा चालान के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि ग्राहक पीओ और अनुबंध के लिए कॉल करने का पूरा उद्देश्य यह सहसंबंधित करना था कि क्या बीओई/चालान पर घोषित वजन ग्राहक की आवश्यकताओं और उद्योग में प्रति इकाई वजन के लिए अपनाए गए मानकों के अनुसार है। इसके अलावा, प्रोफार्मा इनवॉयस और बीओई की जांच करने पर, प्राधिकरण ने पाया कि इन दस्तावेजों में दर्शाया गया वजन, पीओ में उल्लिखित आईएस 8100-33:2022 (पूर्व में आईएसओ 7465:2007) में दिए गए रेखिक घनत्व का उपयोग करके गणना किए गए वजन से मेल नहीं खाता है।
98. इसके अलावा, बोनली द्वारा उपलब्ध कराए गए *** से संबंधित एक चित्र के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि उक्त चित्र स्वयं में चित्र नहीं है, बल्कि पीयूसी की तकनीकी जानकारी है। बोनली द्वारा प्रदान की गई अन्य ड्राइंग के संबंध में, जो *** से भी संबंधित है, प्राधिकरण नोट करता है कि उक्त ड्राइंग में आईएस 7465:2001 का संदर्भ है (जिसमें "टिप्पणी है: - गाइड रेल आईएसओ के अनुसार टी70-1/ए के आधार मॉडल के अनुरूप है" गाइड रेल आईएसओ 7465:1997 के अनुसार टी70-1/ए के आधार मॉडल के अनुरूप है सिवाय: - ब्लेड की मशीनी सतह - फिशप्लेट के स्थान के लिए मशीनी सतह - सामग्री - अन्य सभी आयाम और सहनशीलता आईएसओ 7465:1997 (टी70-1/ए) या आईएसओ संस्करण के बाद के संस्करण के अनुसार होनी चाहिए - जंग-रोधी सुरक्षा फिनिश और पैकिंग देखें जे 210246 - वैकल्पिक सामग्री: क्यू235ए यदि आरएम>=410 एन/एम)। इसका तात्पर्य यह है कि गाइड रेल के आयाम और सहनशीलता। विशिष्ट चालानों में शामिल अन्य ग्राहकों के लिए, बोनली ने न तो चित्र उपलब्ध कराए और न ही कोई वैध औचित्य बताया।

99. संक्षेप में, ग्राहक पीओ और ड्राइंग स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि बोनली को आईएस 8100-33: 2022 (पूर्व में आईएसओ 7465: 2007) की आवश्यकताओं के अनुसार गाइड रेल की आपूर्ति करनी है, जो कि उद्योग में गाइड रेल के लिए ग्राहक की आवश्यकता और मानक भी है।

ग.) आईएसओ में दिए गए वजन की तुलना में गाइड रेल के वजन में अंतर का कारण

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि झेजियांग बोनली एलीवेटर गाइड रेल मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "बोनली" कहा जाएगा) चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और निर्यातक है। इसने जांच अवधि के दौरान भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन का निर्यात किया है।
101. उत्पादकों/निर्यातकों ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बैंक शुल्क और ऋण लागत जैसे समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकरण द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए इन्हें अनुमति दी गई है। निर्धारित कारखाना-बाहरी निर्यात मूल्य डंपिंग मार्जिन तालिका में दिया गया है।
102. बोनली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बोनली ने तुलनात्मक उद्देश्यों के लिए आईएस अर्थात आईएस 8100-33:2022 (पूर्व में आईएस 7465:2007) पर सही ढंग से विचार किया है। इसके अतिरिक्त, यह दावा कि पीयूसी को कवर करने वाले कई आईएसओ मानक हैं और ऑर्डर देते समय, ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार लागू आईएसओ मानक निर्दिष्ट कर सकता है, गलत है क्योंकि प्राधिकारी ने न केवल बोनली द्वारा प्रस्तुत चित्रों की जाँच की है, बल्कि अन्य सहभागी निर्यातकों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए चित्रों की भी जाँच की है। यह देखा गया कि सभी उपलब्ध कराए गए चित्रों में या तो आईएसओ मानक अर्थात आईएसओ 8100-33:2022 (पूर्व में आईएसओ 7465:2007) या चीनी मानक जीबी/टी 22562-2008 (आईएस 7465 के समतुल्य) का उल्लेख किया गया है, जिससे न केवल ग्राहकों के लिए बल्कि पूरे उद्योग में इसकी व्यापक स्वीकृति के संदर्भ में भी इन मानकों की प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया है।
103. इसके अलावा, 22.08.2025 के ईमेल के जरिए प्राधिकरण ने बोनली को फिर से अन्य गाइड रेल यानी टी-75 और टी-89 के लिए शेष चित्र प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट चालान के तहत निर्यात किया गया था। हालांकि, बोनली इसे प्रदान करने में विफल रही और केवल 22.08.2025 के ईमेल के जरिए कहा कि चित्र आईएस 7465 को संदर्भित करते हैं जो बोनली के अनुसार तैयार गाइड रेल के लिए वजन प्रदान नहीं करता है। बोनली ने यह भी दावा किया कि आईएस

7465 में प्रदान की गई रैखिक घनत्व हॉट रोलिंग के बाद गाइड रेल के कच्चे माल के रैखिक घनत्व को संदर्भित करती है और तैयार गाइड रेल का वास्तविक रैखिक घनत्व कच्चे गाइड रेल के रैखिक घनत्व से कम होगा क्योंकि मशीनिंग प्रक्रिया के बाद कुछ सामग्री खो जाती है।

104. इस संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि बोन्ली ने उनसे मांगी गई गाइड रेल के लिए चित्र उपलब्ध नहीं कराए और साथ ही वह इन्हें उपलब्ध न कराने का वैध औचित्य भी नहीं दे पाई। इस दावे के संबंध में कि आईएस 8100-33:2022 (पूर्व में आईएस 7465:2007) हॉट रोलिंग के बाद कच्चे माल के रैखिक घनत्व को संदर्भित करता है न कि तैयार गाइड रेल के रैखिक घनत्व को, बोन्ली का दावा गलत है। प्राधिकरण ने नोट किया कि आईएस 7465:2007 सीधे वजन की जानकारी नहीं देता है, हालांकि आईएस 7465 में दिए गए गाइड रेल के रैखिक घनत्व का उपयोग करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। उक्त आईएस 7465 में प्रत्येक प्रकार की गाइड रेल के लिए रैखिक घनत्व दिया गया है और इसका उपयोग गाइड रेल का वजन निकालने के लिए किया जा सकता है। इसलिए, बोन्ली का यह कहना कि उक्त आई.एस. में तैयार गाइड रेल के वजन की जानकारी नहीं है, गलत है, क्योंकि उक्त आई.एस. तैयार गाइड रेल का रैखिक घनत्व प्रदान करता है, जो कि आई.एस. के पृष्ठ 3 और 8 पर प्रयुक्त पदनाम से स्पष्ट है।
105. बोन्ली के इस दावे की पुष्टि करने के लिए कि आरेखों में भार नहीं दिया गया है, प्राधिकरण ने निर्यातकों और घरेलू उद्योग से ग्राहकों के आरेख मांगे। सूचना की जाँच करने पर, प्राधिकरण ने पाया कि यद्यपि सभी आरेखों में वास्तविक भार की जानकारी नहीं है, फिर भी उनमें IS 8100-33:2022 (पूर्व में IS 7465:2007) या चीनी मानकों GB/T 22562-2008। प्राधिकरण ने आगे कहा कि बोन्ली ने स्वयं प्रस्तुत किया है कि आईएस 7465 में रैखिक घनत्व की जानकारी शामिल है। तदनुसार, इसमें निर्दिष्ट रैखिक घनत्व का उपयोग करके, गाइड रेल के भार की गणना की जा सकती है।
106. बोन्ली के इस निवेदन के संबंध में कि प्राधिकारी ने इस बात की अनदेखी की है कि घरेलू उद्योग के ब्रोशर में दी गई गाइड रेलों का रैखिक घनत्व आईएसओ मानक से भिन्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बोन्ली द्वारा प्रस्तुत ब्रोशर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि वह घरेलू उद्योग से संबंधित नहीं है, बल्कि स्पेन स्थित उसकी मूल कंपनी से संबंधित है। चूंकि घरेलू उद्योग की मूल कंपनी ने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात नहीं किया है, इसलिए उसका ब्रोशर वर्तमान जाँच के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है।

107. इसलिए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अन्य निर्यातकों द्वारा निर्यातित तुलनीय गाइड रेल और घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई गाइड रेल के प्रति इकाई भार की तुलना में बोनली द्वारा भारत को निर्यातित गाइड रेल के परिकलित प्रति इकाई भार में उल्लेखनीय अंतर है। इसके अतिरिक्त, बोनली द्वारा निर्यातित गाइड रेल का प्रति इकाई भार आईएस 8100-33:2022 (पूर्व में आईएस 7465:2007) की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता है, जिसका अनुपालन बोनली के अपने ग्राहकों के क्रय आदेशों के साथ किया जाना आवश्यक था। पीओ, तकनीकी शीट और बोनली द्वारा उपलब्ध कराए गए चित्र में आईएस 7465 का संदर्भ दर्शाता है कि ग्राहक गाइड रेल का ऑर्डर देते समय हमेशा आईएस 7465 का उपयोग करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि बार-बार अनुरोध के बाद भी विशिष्ट चालानों के लिए चित्र उपलब्ध कराने में बोनली की विफलता न केवल उसकी अनिच्छा दर्शाती है, बल्कि प्राधिकारी से सूचना छिपाने का एक प्रयास भी है। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि कुछ मामलों में, बोनली द्वारा निर्यातित गाइड रेल का प्रति इकाई भार अन्य निर्यातकों द्वारा निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई तुलनीय गाइड रेल की तुलना में काफी कम था। इसके अलावा, बोनली इन गाइड रेल के कम भार के लिए कोई वैध औचित्य प्रस्तुत करने में विफल रही।
108. परिशिष्ट-3ए में बोनली द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच करने पर, प्राधिकारी ने पाया कि पीयूसी के लिए सूचित किए गए इनवॉइस मूल्य और मात्रा में फिशप्लेट्स का मूल्य और मात्रा भी शामिल है, जो पीयूसी का हिस्सा नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बोनली द्वारा सूचित किए गए इनवॉइस मात्रा और मूल्य बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए हैं।
109. प्राधिकारी द्वारा पहचानी गई विसंगतियों, विशेष रूप से अन्य निर्यातकों द्वारा निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई गाइड रेल की तुलना में बोनली द्वारा निर्यातित गाइड रेल के प्रति नग कम भार के संबंध में, को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमों के नियम 6(8) के अनुसार, उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर बोनली के निर्यात मूल्य की पुनर्गणना की है। तदनुसार, प्राधिकरण ने बोनली द्वारा निर्यातित गाइड रेल के प्रति नग भार पर IS 7465 के अंतर्गत निर्धारित मानक रैखिक घनत्व मानों को लागू करते हुए विचार किया है, जो तुलनीय गाइड रेल के प्रतिनिधि हैं। यह भी ध्यान दिया जाता है कि प्राधिकरण ने परिशिष्ट-3A में बोनली द्वारा दावा किए गए चालान मूल्य पर भी विचार किया है।
- iv. चीन जन.गण. के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत
110. चीन के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

111. संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
		यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	%	रेंज
1	माराज़ी (जियांग्सू) लिफ्ट गाइड रेल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
2	वूशी कोएनिग लिफ्ट एक्सेसरीज़ कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
3	झेजियांग बोनली लिफ्ट गाइड रेल निर्माण कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
4	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक	***	***	***	***	45-55
5	अन्य	***	***	***	***	80-90

112. चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से भी अधिक है।

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच**ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

113. क्षति और कारणात्मक संपर्क के मुद्दे पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में लिए गए दीर्घकालिक ऋणों के कारण याचिकाकर्ता की ब्याज लागत में वृद्धि हुई। हालाँकि, याचिकाकर्ता का पीबीआईटी वित्त वर्ष 2022-23 में 253 सूचकांक से जांच की अवधि के दौरान 33 सूचकांक तक भारी गिरावट के साथ रह गया, जिसे असामान्य माना जाता है।
- इसके अतिरिक्त, जबकि पूंजी विस्तार के कारण मूल्यहास में वृद्धि हुई, जांच अवधि के दौरान पीबीआईटी और नकद लाभ में भारी गिरावट अस्पष्ट बनी हुई है।
- घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री लागत के अनुरूप बढ़ी हैं। याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2022-23 में 10-20% और जांच की अवधि के दौरान 20-30% की कीमत कटौती का अनुभव किया। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता के उत्पादन, बिक्री की मात्रा और क्षमता उपयोग पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा।
- क्षमता उपयोग में गिरावट का कारण एक नए संयंत्र की स्थापना थी, जो जांच की अवधि के दौरान चालू नहीं था। यदि याचिकाकर्ता ने अपनी क्षमता का विस्तार नहीं किया होता, तो

- क्षमता उपयोग में वृद्धि होने की संभावना होती। महानिदेशक को क्षमता विस्तार के उपयोग पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए इस पहलू की जांच करनी चाहिए।
- v. याचिकाकर्ता मुख्यतः संबंधित पक्षकारों से बढ़ी हुई कीमतों पर कच्चा माल खरीदता है, और उसकी क्षति कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत के कारण हो सकती है। यदि याचिकाकर्ता की बिक्री लागत में वृद्धि भी हुई, तो कथित रूप से कम कीमत वाले आयातों ने याचिकाकर्ता के उत्पादन और बिक्री को अधिक प्रभावित नहीं किया।
 - vi. घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादक अच्छा निष्पादन कर रहे हैं और उन्हें आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में पूरी क्षति अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में 27% की वृद्धि हुई है।
 - vii. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान क्षमता विस्तार किया और क्षमता में 58% की वृद्धि की। आवेदक की घरेलू बिक्री भी पूरी क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है, जो दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात से कोई क्षति नहीं हुई है।
 - viii. कर्मचारियों की संख्या, प्रति कर्मचारी उत्पादन और मजदूरी सभी में वृद्धि हुई है, जो क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक रुझान दर्शाती है।
 - ix. औसत मासूची 2020-21 में 100 के सूचीबद्ध मूल्य से बढ़कर जांच की अवधि में 322 हो गई, जो एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ को दर्शाती है। बिना बिके उत्पादों में यह वृद्धि भंडारण, बीमा और पूंजी की अवसर लागत सहित उच्च होल्लिंग लागत की ओर ले जाती है। आवेदक की उत्पादन क्षमता में गिरावट का कारण बिना बिके उत्पाद हो सकते हैं, आयात नहीं।
 - x. मालसूची का जमा होना आवश्यक रूप से क्षति या खराब आर्थिक प्रदर्शन का सूचक नहीं है। स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2 अगस्त 2011) में सेस्टेट के एक निर्णय के अनुसार, मालसूची में वृद्धि अधिक बिक्री मात्रा के कारण हो सकती है, जिसकी जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी करने में विफल रहे हैं। उदाहरण के लिए, 2004-05 में, 9999 एमटी की बिक्री के साथ, मालसूची 1161 एमटी या 11.6% थी। जांच की अवधि में, 24159 एमटी की बिक्री से, मालसूची 2846 एमटी या 11.8% थी। इससे पता चलता है कि मालसूची में वृद्धि बिक्री में वृद्धि के समानुपाती थी और इसे क्षति के संकेतक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
 - xi. वित्तीय संकेतक भी सकारात्मक रुझान दिखाते हैं। 2020-2021 से 2022-2023 तक कारोबार में 180% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में प्रचालनों से राजस्व में 187% और 208% की वृद्धि हुई है। आयकर के प्रावधान में लगातार वृद्धि का रुझान है, जो लाभप्रदता का संकेत देता है।
 - xii. चीन जन.गण. से आयात 2020-2021 में 24,754 एमटी से बढ़कर 2021-2022 में 31,983 एमटी हो गए, जो लगातार बढ़ रहे हैं। हालाँकि, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि इसकी बिक्री 2020-2021 में 100 के सूचीबद्ध मूल्य से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 144 हो गई। यह उच्च आयात के बावजूद घरेलू उद्योग की अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और बढ़ाने की क्षमता को दर्शाता है।
 - xiii. कुल बाजार मांग में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2020-2021 में 100 से बढ़कर जांच की अवधि में 174 हो गई। यह दर्शाता है कि समग्र बाजार में वृद्धि हुई है, न कि घरेलू उद्योग को बढ़े हुए आयात से क्षति हुई है।

- xiv. याचिकाकर्ता ने बिक्री लागत में वृद्धि के संबंध में चिंता जताई है। तथापि, कच्चे माल की कीमतों पर गौर करना महत्वपूर्ण है, जो कि विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत (सीओपी) का अधिकांश हिस्सा है। हॉट रोल्ड (एचआर) और कोल्ड रोल्ड (सीआर) स्टील प्लेट प्राथमिक कच्चे माल हैं।
- xv. एचआर प्लेट और सीआर कॉइल/शीट की आयात कीमतों में कमी देखी गई है। "गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात प्लेट उत्पादों" के आयात पर चल रही सुरक्षा जांच के अनुसार, एचआर प्लेट की कीमतों में 1% की कमी आई है, जबकि सीआर कॉइल/शीट की कीमतों में 14% की गिरावट आई है।
- xvi. घरेलू उद्योग के वित्तीय आंकड़ों से ब्याज और मूल्यहास लागत में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है, जिसने वित्तीय दबाव में योगदान दिया।
- xvii. याचिकाकर्ता ने आधार वर्ष 2020-2021 में अपनी क्षमता 100 से बढ़ाकर जांच अवधि के दौरान 118 कर दी है। जांच अवधि के दौरान इसका उत्पादन भी 100 से बढ़कर 151 हो गया। तथापि, इस वृद्धि के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- xviii. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री की मात्रा 100 से बढ़कर 144 हो गई है। तथापि, इस अवधि के दौरान कोई निर्यात बिक्री दर्ज नहीं की गई, जिसे घरेलू उद्योग को हुई समग्र क्षति का आकलन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- xix. कंपनी ने महत्वपूर्ण पूंजी निवेश किया है, जिसमें औसत नियोजित पूंजी में 52% की वृद्धि हुई है और निवल अचल संपत्ति में 97% की वृद्धि हुई है। इन निवेशों के कारण मूल्यहास में वृद्धि हुई है।
- xx. इन निवेशों के बावजूद, निवेश पर आय (आरओआई) में 78% की भारी गिरावट आई है, जो 2020-2021 में 290% से घटकर जांच की अवधि में केवल 22% रह गई है। इससे पता चलता है कि कंपनी बढ़ती लागत, अदक्षताओं या कम राजस्व के कारण अपनी बढ़ी हुई पूंजी से पर्याप्त आय नहीं कमा रही है।
- xxi. इस मामले में कोई मात्रा-आधारित क्षति स्थापित नहीं की जा सकती। आंकड़ों से पता चलता है कि आयात में वृद्धि मांग में वृद्धि से आगे निकल गई है, और घरेलू उद्योग ने स्वयं भारतीय बाजार में बढ़ी हुई मांग का अधिकांश हिस्सा ले लिया है। चीन जन.गण. से आयात 2022-23 से जांच की अवधि तक 15 सूचकांक की वृद्धि के साथ 179 से 194 हो गया। इस बीच, इसी अवधि के दौरान कुल घरेलू मांग 165 सूचकांक से बढ़कर 232 हो गई, जो दर्शाता है कि आयात बढ़ती मांग के साथ गति नहीं रख पाया।
- xxii. आधार वर्ष (2020-21) से जांच की अवधि तक, मांग में 132 सूचकांक की वृद्धि हुई, जो 100 से 232 हो गई, जबकि चीन से आयात केवल 94 सूचकांक की वृद्धि के साथ 100 से 194 हो गया। इससे पता चलता है कि आयात मांग की तुलना में धीमी गति से बढ़ा, और घरेलू उद्योग ने न केवल अपनी बाजार हिस्सेदारी बरकरार रखी, बल्कि उत्पाद की बढ़ती मांग से लाभान्वित होकर इसका विस्तार भी किया।
- xxiii. सॉलिड गाइड रेल्स के लिए, जांच की अवधि में पहुंच कीमत 63,223/रु. एमटी था, जो आधार वर्ष से 1% की वृद्धि थी, फिर भी रिपोर्ट की गई कीमत कटौती 0-10% से 20-30% तक

- असमान रूप से बढ़ गई। पहुंच कीमतों में मामूली वृद्धि और कटौती में बड़ी वृद्धि के बीच यह अंतर घरेलू उद्योग की कीमत निर्धारण परिपाटियों में अदक्षताएं बताता है।
- xxiv. हॉलो गाइड रेल्स के लिए, जांच की अवधि में पहुंच कीमत 8% तक घटकर 72,806/रु. एमटी से 66,812/रु. एमटी हो गई, लेकिन कीमत कटौती पांच गुना बढ़कर 0-10% से 50-60% हो गई। आयात कीमतों में मामूली गिरावट के बावजूद कटौती में यह तेज वृद्धि, पाटित आयातों के किसी प्रभाव के बजाय, घरेलू उद्योग के कीमत निर्धारण में आंतरिक अदक्षताएं दर्शाती हैं।
- xxv. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की। यह सर्वविदित है कि नई जोड़ी गई क्षमता तुरंत इष्टतम उपयोग प्राप्त नहीं कर सकती है, और ऐसी वृद्धि अक्सर क्षमता उपयोग में अस्थायी गिरावट का कारण बनती है। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग जांच की अवधि में क्षमता उपयोग को 127% पर बनाए रखने में सफल रहा, जो अतिरिक्त क्षमता को कुशलता पूर्व लिए जाने को दर्शाता है।
- xxvi. घरेलू उद्योग का बिक्री निष्पादन भी उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। घरेलू बिक्री मात्रा जांच की अवधि में 44% बढ़कर 100 से 144 हो गई। बिक्री मूल्य 82% बढ़कर 100 से 182 हो गया और प्रति इकाई औसत बिक्री मूल्य कीमत बढ़कर 100 से 126 हो गई। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने बढ़ते बाजार का लाभ उठाया है, क्योंकि चीन जन.गण. से आयात जांच की अवधि में केवल 94 सूचकांक तक बढ़ा, जबकि कुल घरेलू मांग में 132 सूचकांक की वृद्धि हुई।
- xxvii. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान बढ़े हुए घाटे का अनुमान लगाया था, लेकिन आईसीआरए लिमिटेड की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना इस दावे का खंडन करती है। आईसीआरए ने लगातार घरेलू उद्योग की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है, जो बेहतर वित्तीय स्थिरता का संकेत देता है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन याचिका में किए गए दावे से कहीं बेहतर है।
- xxviii. 22% नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) को अपनाना अनुचित और मौजूदा कर और ब्याज दर संरचना के साथ असंगत माना जाता है। लाभ मार्जिन अब अवधि के दौरान लाभ के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए, जब पाटन नहीं था न कि काल्पनिक आंकड़ों पर, अतः, महानिदेशक से अनुरोध कि वे 22% आरओसी को लागू करने पर पुनः विचार और तदनुसार समायोजन करें।
- xxix. विचाराधीन उत्पाद की वर्तमान घरेलू आपूर्ति मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, घरेलू उद्योग 65,675 एमटी की मांग की तुलना में केवल 26,000 एमटी का उत्पादन करने में सक्षम है, जो अंतर को पाटने के लिए आयात की आवश्यकता को उजागर करता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से इन आवश्यक आयातों तक पहुंच सीमित हो जाएगी।
- xxx. घरेलू उद्योग ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी की है जो स्वतंत्र रूप से इसके निष्पादन में योगदान करते हैं। इनमें आंतरिक प्रचालनात्मक चुनौतियां, कमजोर वैश्विक मांग, इनपुट की कीमत में अस्थिरता, बढ़ते ओवरहेड्स, राजस्व में गिरावट, कोविड-19 से संबंधित व्यवधान, रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनीतिक तनाव और अस्थायी रूप से संयंत्र बंदी होना शामिल हैं।
- xxxi. घरेलू उद्योगों के वित्तीय आंकड़ों से स्पष्ट, ब्याज और मूल्यहास जैसे वित्तीय व्ययों में पर्याप्त वृद्धि, पूंजी गहनता और कम उपयोग की गई परिसंपत्तियों की ओर इशारा करती है, जो बाहरी प्रतिस्पर्धा से असंबद्ध आंतरिक अदक्षताओं के दोनों संकेतक हैं।

- xxxii. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार किया है। ऐसा विस्तार आम तौर पर संक्रमणकालीन अदक्षताओं से होता है, जो अल्पावधि में वित्तीय प्रदर्शन को कम कर सकता है और इसे पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- xxxiii. आधार वर्ष से जांच की अवधि तक याचिकाकर्ता की बिक्री लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि कच्चे माल, विशेष रूप से कोल्ड-रोल्ड स्टील की कीमतों में कोई समान वृद्धि नहीं हुई है। लागत में यह वृद्धि बाहरी कीमत दबावों के बजाय खरीद या उत्पादन में अदक्षताओं का संकेत है।
- xxxiv. चीन में अप्रयुक्त क्षमताओं और भारत में पाटने में संभावित वृद्धि के दावे विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं हैं। उत्पादन क्षमता या उपयोग के लिए उद्धृत आंकड़ों का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र आंकड़े या सत्यापित स्रोत उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- xxxv. उपयोग में न लाई गई क्षमता की मौजूदगी मात्र पाटन के इरादे का संकेत नहीं देता है, न ही यह इस धारणा को सही ठहराता है कि ऐसी क्षमता भारतीय बाजार की ओर निर्देशित की जाएगी। व्यापारिक निर्णय वाणिज्यिक कारकों से प्रेरित होते हैं, और यह दिखाने के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि चीनी उत्पादक पाटित उत्पादों को भारत की ओर ले जा रहे हैं।
- xxxvi. चीन में संपत्ति क्षेत्र के संकट का संदर्भ एक सामान्य आर्थिक अवलोकन है, न कि किसी व्यापार मोड़ का विशिष्ट प्रमाण। ये आरोप काल्पनिक हैं और प्राधिकारी द्वारा इन्हें नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए।
- xxxvii. जांच अवधि के दौरान चीन से आयात में वृद्धि मामूली है, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में केवल 7% की वृद्धि है, जो वास्तविक क्षति के दावे का औचित्य नहीं बनाती। इसके अलावा, आयात में वृद्धि घरेलू मांग में विस्तार से आगे निकल गई है, जो दर्शाता है कि आयात ने घरेलू उत्पादन को विस्थापित नहीं किया है।
- xxxviii. चीन में अप्रयुक्त क्षमता की मौजूदगी मात्र क्षति का खतरा नहीं है। भारतीय बाजार के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमता के दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं।
- xxxix. वार्षिक रिपोर्ट में याचिकाकर्ता की व्यावसायिक गतिविधि का विवरण "लिफ्ट और एलीवेटर के लिए गाइड रेल" है। यद्यपि व्यवसाय में वे गाइड रेल शामिल हो सकते हैं जिन्हें जाँच के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, तथापि यह असामान्य है कि इस तरह बाहर करना पर्याप्त लाभ को घाटे में बदल देगा।
- xl. परिशिष्ट आईवीए में बताए गए कर-पूर्व लाभ के रुझानों और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ मौजूद हैं। परिशिष्ट आईवीए और वित्तीय वर्ष 2023 के वित्तीय विवरणों, दोनों में 2022-23 के रुझान लगभग समान हैं, और इसलिए जाँच अवधि और वित्तीय वर्ष 2024 के वित्तीय विवरणों के बीच कर-पूर्व लाभ रुझान में महत्वपूर्ण अंतर समझ से परे है। यह देखते हुए कि वित्तीय वर्ष 2024 के वित्तीय आंकड़े जाँच अवधि के नौ महीनों के साथ ओवरलैप होते हैं, इतना तीव्र विचलन बेहद असामान्य है।
- xli. याचिकाकर्ता का क्षति का दावा संदिग्ध है क्योंकि याचिका के समर्थक ने 26 मई, 2025 को मौखिक सुनवाई के दौरान कहा था कि उच्च परिवहन लागत के कारण क्षति हो रही है। इससे पता चलता है कि संबंधित सामानों की कथित पाटन और दावा की गई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है, जो दर्शाता है कि क्षति उच्च परिवहन लागत के कारण हो सकती है।

- xlii. याचिकाकर्ता द्वारा पूरे भारत में माल पहुँचाने में वहन की गई उच्च परिवहन लागत, याचिकाकर्ता के अपने रसद और आपूर्ति श्रृंखला निर्णयों से उत्पन्न वाणिज्यिक व्यय हैं और इसलिए इन्हें पाटित आयातों से हुई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- xliii. याचिकाकर्ता द्वारा इन आंतरिक अदक्षताओं और स्व-प्रभावित लागत वृद्धि को कथित पाटन से जोड़ने का प्रयास भ्रामक है, क्योंकि हुई क्षति खराब लागत प्रबंधन और प्रचालनात्मक संबंधी मुद्दों के कारण है, न कि संबद्ध देशों से आयात के कारण।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

114. क्षति और कारणात्मक संपर्क के मुद्दे पर घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग ने संपूर्ण क्षति की अवधि के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है। इस अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयात में निरंतर वृद्धि हुई है। भारतीय मांग और उत्पादन के संबंध में आयात 2021-22 तक स्थिर रहे, जिसके बाद 2022-23 और जाँच की अवधि में इनमें वृद्धि हुई।
- ii. भारतीय उत्पादन और मांग के सापेक्ष संबद्ध आयात, घरेलू बाजार में प्रवेश करने वाली महत्वपूर्ण मात्रा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, भले ही भारतीय क्षमता का एक बड़ा हिस्सा बेकार रहता है।
- iii. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के संबंध में सूचना से पता चलता है कि जाँच की अवधि में, सॉलिड गाइड रेल्स की बिक्री लागत में कमी आई, लेकिन बिक्री कीमत में और भी अधिक गिरावट आई। यह गिरावट चीन से आयात की पहुंच कीमत में तेजी से गिरावट के कारण हुई, जो घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत से कम थी। इसी प्रकार, हॉलो गाइड रेल्स के लिए, बिक्री कीमत में उत्पादन लागत की तुलना में काफी अधिक गिरावट आई, जो पुनः आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के कारण हुआ।
- iv. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड उसे हुई वास्तविक क्षति को और अधिक स्पष्ट करते हैं। घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता स्थिर रही, जिसमें जून 2023 में क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है। हालाँकि, भारत में विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती माँग के बावजूद, घरेलू उद्योग जाँच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता उपयोग में वृद्धि नहीं कर सका। इसके बजाय, बाजार में विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त माँग के बावजूद, जाँच की अवधि में क्षमता उपयोग में तीव्र गिरावट आई और यह ***% रह गई।
- v. उत्पादन और बिक्री की मात्रा में 2022-23 तक वृद्धि का रुझान रहा, लेकिन जाँच की अवधि के दौरान उत्पादन में नगण्य वृद्धि और बिक्री में गिरावट देखी गई। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में वृद्धि न्यूनतम थी और भारत में बढ़ती माँग के अनुरूप नहीं थी।
- vi. उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी के आँकड़े दर्शाते हैं कि यद्यपि कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी में वृद्धि हुई, लेकिन जाँच की अवधि में उत्पादन के निम्न स्तर के कारण प्रति कर्मचारी उत्पादकता में कमी आई। उत्पादकता में गिरावट कम उत्पादन के कारण हुई है, हालाँकि घरेलू उद्योग को अभी भी वेतन और मजदूरी में वृद्धि का बोझ उठाना पड़ा है।

- vii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई। घरेलू उद्योग द्वारा अपनी क्षमता बढ़ाने के बावजूद, बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में ***% से घटकर जांच की अवधि में ***% हो गई।
- viii. हालाँकि, चीन से आयात की बाजार हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई और जांच की अवधि में भारतीय बाजार का ***% हिस्सा कवर किया। बाजार हिस्सेदारी में यह वृद्धि घरेलू उद्योग की अपने उत्पादों को उचित कीमत पर बेचने की क्षमता पर पाटित आयातों के प्रभाव को दर्शाती है।
- ix. लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर आय गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। जबकि वित्त वर्ष 2021-22 तक लाभप्रदता में वृद्धि हुई, 2021-22 के बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई। वास्तव में, घरेलू उद्योग को संबद्ध सामानों के आक्रामक पाटन के कारण जांच की अवधि में घाटा हुआ। कर-पूर्व लाभ और ब्याज एवं कर-पूर्व लाभ, साथ ही नकद लाभ, जांच की अवधि में काफी कम हो गए। संबद्ध आयातों के कारण नियोजित पूंजी पर आय में भी भारी गिरावट आई।
- x. घरेलू उद्योग का औसत स्टॉक पूरी क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ा, जिसमें जांच की अवधि में तीव्र वृद्धि हुई। स्टॉक में यह वृद्धि सीधे तौर पर बाजार में संबद्ध आयातों के बड़े पैमाने पर आने से संबंधित है।
- xi. उत्पादन को छोड़कर, घरेलू उद्योग के सभी मात्रा मापदंडों ने जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई। इसी प्रकार, सभी कीमत मापदंडों ने 2022-23 और जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में भी पूरी क्षति अवधि के दौरान गिरावट देखी गई।
- xii. डीजीटीआर ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार, एनआईपी का निर्धारण करते समय लगातार 22% कर-पूर्व आरओसीई मानक अपनाया है। यह मानक ब्याज वसूली, कॉर्पोरेट कर और उचित लाभ मार्जिन को ध्यान में रखता है, और कई जांचों में इसका नियमित रूप से पालन किया गया है।
- xiii. 22% आरओसीई का उपयोग करने की पद्धति का विभिन्न मामलों में समर्थन किया गया है, जिनमें पर्सटॉप केमिकल्स जीएमबीएच एंड ऑर्स शामिल हैं बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2017 (357) ई.एल.टी. 349), गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2017 (345) ई.एल.टी. 144), और तांगशान सान्यो ग्रुप हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ (2017 (349) ई.एल.टी. 667)। इन मामलों में, न्यायाधिकरण ने डीजीटीआर के दृष्टिकोण को बरकरार रखा और इस आय की तर्कसंगतता को स्वीकार किया।
- xiv. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान क्षमता विस्तार किया, जिसे दीर्घकालिक उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया, जिससे ब्याज लागत में वृद्धि हुई। हालांकि, ब्याज व्यय में वृद्धि पीबीआईटी में गिरावट का एकमात्र कारण नहीं थी। घरेलू उद्योग की समग्र लाभप्रदता जांच की अवधि के दौरान घाटे में बदल गई, जिससे पीबीआईटी और नकद लाभ दोनों में उल्लेखनीय गिरावट आई।
- xv. नकद लाभ में गिरावट मूल्यहास व्यय में वृद्धि से और अधिक प्रभावित हुई, जो क्षमता विस्तार का प्रत्यक्ष परिणाम था। ये वित्तीय परिवर्तन जांच की अवधि के दौरान प्रचालनात्मक

- वास्तविकताओं के अनुरूप थे और रिपोर्टिंग या निष्पादन में किसी भी अनियमितता को नहीं दर्शाते।
- xvi. बिक्री कीमतों में उतार-चढ़ाव बिक्री कीमत की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं था। सॉलिड गाइड रेल्स के लिए, बिक्री कीमत में ***रुपये प्रति एमटी तक की गिरावट आई, जबकि बिक्री लागत में केवल ***रुपये प्रति एमटी की कमी आई। इसी प्रकार, हॉलो गाइड रेल्स के लिए, बिक्री कीमत में ***रुपये प्रति एमटी तक गिरावट आई, जबकि बिक्री लागत में केवल ***रुपये प्रति एमटी तक की कमी आई। यह दर्शाता है कि बिक्री कीमतें बिक्री लागत के अनुरूप नहीं बढ़ी हैं।
- xvii. यद्यपि घरेलू उद्योग ने उत्पादन और बिक्री की मात्रा में वृद्धि देखी, यह वृद्धि भारतीय बाजार में उत्पाद की बढ़ती मांग से काफी कम थी। अधिक मांग के बावजूद, क्षमता उपयोग कम रहा, जिसका कारण आंतरिक अदक्षताएं नहीं बल्कि पाटित आयातों का निरंतर प्रभाव माना जा सकता है।
- xviii. संबद्ध पक्षकारों से कच्ची सामग्री की खरीद, असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं की कीमत की तुलना में निकटतम कीमत पर की गई थी। बिक्री लागत के आंकड़े लेखापरीक्षित लेखाओं में दर्ज उपभोग मूल्यों पर आधारित हैं।
- xix. बढ़ती मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग विस्तारित बाजार से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो सका। सूचीबद्ध बिक्री 100 से बढ़कर 144 हो गई, जबकि चीन जन.गण. से आयात 100 से बढ़कर 194 हो गया, जिससे पता चलता है कि आयात ने बढ़ती बाजार मांग का अधिक हिस्सा हासिल किया।
- xx. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के आंकड़े उसकी लेखापरीक्षित बहियों से प्राप्त होते हैं, जो भारतीय जीएएपी के अनुसार तैयार की जाती हैं और सांविधिक और लागत लेखा परीक्षकों दोनों द्वारा सत्यापित की जाती हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि 2021-22 और 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में बिक्री लागत में गिरावट आई, लेकिन आधार वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई।
- xxi. बिक्री लागत के आंकड़े कच्चे माल की खपत कीमतों पर आधारित समग्र उत्पादन और बिक्री लागतों को दर्शाते हैं, न कि खरीद कीमतों पर। इनका सत्यापन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के माध्यम से किया जाता है और प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण और एनआईपी मूल्यांकन में लगातार उपयोग किया जाता है।
- xxii. कच्चे माल की खरीद कीमतों और बिक्री लागत के बीच कोई भी सीधी तुलना भ्रामक है और मानक लेखांकन एवं लागत निर्धारण सिद्धांतों के साथ असंगत है। घरेलू उद्योग का कच्चे माल का मूल्य निर्धारण धातु सूचकांक पर आधारित है।
- xxiii. उत्तरदाताओं द्वारा उद्धृत तुलना तालिका एक भिन्न आधार वर्ष (2021-22) वाली सुरक्षा जांच पर आधारित है, जबकि वर्तमान जांच 2020-21 का उपयोग करती है। इसलिए, इससे की गई तुलना सार्थक नहीं है। यहाँ तक कि उस संदर्भित सुरक्षा मामले में भी, प्राधिकारी ने पाया था कि सभी आयातों पर विचार करने पर कोई कीमत कटौती नहीं हुई थी। केवल कटौती दर्शाने वाले चुनिंदा आँकड़े अविश्वसनीय हैं।
- xxiv. टी-प्रोफाइल और कॉइल/शीट्स के खरीद कीमतों के आँकड़े पहले से ही रिकॉर्ड में हैं। प्राधिकारी कीमत निर्धारण प्रवृत्तियों और लागत वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे की पुष्टि के लिए इसका सत्यापन कर सकते हैं।

- xxv. साक्ष्य यह भी पुष्टि करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उतार-चढ़ाव बिक्री लागत के अनुरूप नहीं है, जिसका मुख्य कारण चीन से आक्रामक पाटन है, जिसने घरेलू कीमतों का ह्रास कर दिया है।
- xxvi. घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता में वृद्धि भारत में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक कदम था। हालाँकि, निरंतर आक्रामक पाटन के कारण घरेलू उद्योग इस बड़ी हुई क्षमता का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कर सका।
- xxvii. पाटित आयातों ने बाजार में अतिरिक्त मांग को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाया। यह कम उपयोग अधिक क्षमता अथवा आंतरिक अदक्षताओं के कारण नहीं है।
- xxviii. घरेलू उद्योग ने रोज़गार के आंकड़ों के आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है। रोज़गार में वृद्धि नियोजित विस्तार का परिणाम थी और यह क्षति न होने का संकेत नहीं देती है।
- xxix. प्रतिदिन उत्पादकता जाँच अवधि में सूचीबद्ध 100 से बढ़कर 151 हो गई। फिर भी, यह वृद्धि पाटित आयातों से हुई व्यापक वित्तीय क्षति की भरपाई नहीं कर पाई।
- xxx. घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण पूँजी निवेश किया, जिससे औसत नियोजित पूँजी में ***% और निवल अचल परिसंपत्तियों में ***% की वृद्धि हुई। इन विस्तारों के कारण मूल्यह्रास व्यय में भी वृद्धि हुई।
- xxxi. निवेश पर लाभ में गिरावट अकुशलता या उच्च लागत के कारण नहीं, बल्कि कम कीमत वाले चीनी आयातों से अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण हुई। इन आयातों ने बाज़ार के अवसरों को बाधित किया और घरेलू उद्योग की आय को सीमित कर दिया।
- xxxii. घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 26,000 एमटी है, जिसे निकट भविष्य में 60,000 एमटी तक बढ़ाने की योजना है। इसके अतिरिक्त, इसकी समर्थक, एन. लिफ्टी इंजीनियर्स, 5,500 एमटी का योगदान देती है, जिससे जांच की अवधि के दौरान संयुक्त क्षमता 31,500 एमटी हो जाती है, जो पीयूसी की कुल घरेलू मांग का आधा है, जो लगभग 65,675 एमटी है।
- xxxiii. पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य आयात को समाप्त करना नहीं है, बल्कि पाटन जैसी अनुचित व्यापार परिपाटियों से होने वाली क्षति का प्रतिकार करना है।
- xxxiv. हालांकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार किया, इस विस्तार को बढ़ती मांग और उसके निष्पादन पर पाटित आयातों के प्रभाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा बाजार में बढ़ती मांग के साथ गति नहीं रख पाई है, जो पाटित आयातों के कारण बाजार हिस्सेदारी में क्षति का संकेत देती है।
- xxxv. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 89% की वृद्धि हुई, जबकि प्रति इकाई औसत बिक्री कीमत में 26% की वृद्धि हुई। इससे संकेत मिलता है कि बिक्री मूल्य में वृद्धि बढ़ती लागतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी, जिसके कारण लाभप्रदता में गिरावट आई और पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति की मौजूदगी को समर्थन मिला।
- xxxvi. घरेलू उद्योग की क्रेडिट रेटिंग में सुधार, समेकित परिचालन, अन्य व्यावसायिक खंडों और दीर्घकालिक वित्तीय दृष्टिकोण जैसे कारकों पर विचार करते हुए, इसकी समग्र साख और वित्तीय

दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। हालाँकि, पाटनरोधी जाँच में क्षति विश्लेषण पूरी तरह से उत्पाद-विशिष्ट होता है, और प्रस्तुत आँकड़े पीयूसी खंड की लाभप्रदता में तीव्र गिरावट दर्शाते हैं, जिसमें कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) और निवेश पर आय (आरओआई) जाँच की अवधि के दौरान नकारात्मक हो गए हैं।

- xxxvii. घरेलू उद्योग का मालसूची स्तर बिक्री की तुलना में असमान रूप से बढ़ा है, जो बिना बिके स्टॉक और वित्तीय दबाव को दर्शाता है। यह सीधे तौर पर चीन जन.गण. से पाटन के कारण घरेलू बाजार में अपने उत्पादों को बेचने में घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण है।
- xxxviii. घरेलू उद्योग द्वारा लिए गए उधार, 2023 में नई मशीनरी की स्थापना सहित वैध पूंजी विस्तार गतिविधियों का समर्थन करने के लिए व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। जांच की अवधि में हुए नुकसान से स्पष्ट रूप से यह स्थापित होता है कि ऐसे निवेश, पाटित आयातों से प्रतिकूल कीमत निर्धारण दबाव के कारण आय में परिवर्तित नहीं हुए हैं।
- xxxix. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, और आगे भी क्षति का खतरा बना हुआ है, जो सीधे तौर पर संबद्ध देश से पाटित आयातों में वृद्धि के साथ मेल खाता है।
- xl. जांच अवधि के दौरान भारत में हुए आयातों में से संपूर्ण आयात संबद्ध देश से हुए हैं। इसलिए, अन्य देशों से आयात को क्षति में योगदान देने वाला कारक नहीं माना जा सकता।
- xli. क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग काफी अप्रयुक्त क्षमता के साथ काम करना जारी रखे हुए है, जो दर्शाता है कि घटती मांग क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- xlii. कोई प्रतिबंधात्मक व्यापार परिपाटियां या बाहरी प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दे नहीं हैं जो क्षति में योगदान दे सकते हों। कोई भी तकनीकी परिवर्तन नहीं हुआ है जो अन्यथा निष्पादन में गिरावट की व्याख्या कर सके।
- xliii. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद में निर्यात क्रियाकलाप नहीं किए हैं; इसलिए, क्षति को निर्यात निष्पादन या बाहरी बाजार गतिशीलता से नहीं जोड़ा जा सकता।
- xliv. क्षति विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है, न कि घरेलू उद्योग के किसी अन्य व्यापारिक क्षेत्र या उत्पाद लाइन से।
- xlv. संबद्ध देश से पाटित आयातों के अलावा, घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण के रूप में कोई वैकल्पिक स्पष्टीकरण या बाह्य कारकों की पहचान नहीं की गई है।
- xlvi. पाटित आयातों में वृद्धि के कारण कीमतों में उल्लेखनीय कटौती और कीमत ह्रास हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए बाजार हिस्सेदारी में कमी और वित्तीय हानियां हुई हैं।
- xlvi. जो क्षति हो रही है वह पूरी तरह से पाटित आयातों के कारण है। प्रचालनात्मक लागतें, वैश्विक व्यवधान या बाजार में उतार-चढ़ाव जैसे अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को इस तरह से प्रभावित नहीं किया है जिससे कारणात्मक संपर्क टूट जाए।
- xlvi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार है।
- xlix. घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में वास्तव में कोविड अवधि (2021-22) के दौरान सुधार हुआ। हालाँकि, जांच की अवधि के दौरान निष्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई, जो कोविड समय सीमा से बाहर थी, यह दर्शाता है कि महामारी संबंधी व्यवधान वर्तमान क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

- I. घरेलू उद्योग ने 2023 में नई मशीनरी की स्थापना सहित वास्तविक पूंजी विस्तार के लिए कारोबार के सामान्य क्रम में उधारी ली है और जांच की अवधि में घाटा पाटित आयातों से प्रतिकूल कीमत निर्धारण दबाव के कारण हुआ है, न कि कर चोरी या क्षति में हेरफेर करने के किसी इरादे से।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के लिए स्थिरीकरण अवधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी संबद्ध सामानों का दीर्घकालिक उत्पादक है। इसलिए, क्षमता वृद्धि के प्रभाव को क्षति में योगदान देने वाला कारक नहीं माना जा सकता है।
- iii. घरेलू उद्योग को कई कारकों के कारण क्षति का खतरा है। क्षति अवधि के दौरान पाटित आयातों में लगातार वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में प्रशुल्क उपशीर्ष 8431 31 और 8431 39 के अंतर्गत चीन के वैश्विक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जैसा कि निर्यात मूल्य के आंकड़ों से स्पष्ट है।
- liii. चीनी निर्यातकों के पास पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता है, जिसका अनुमान 24,30,000 एमटी है, जो भारत की मांग का 37 गुना है। वर्तमान उत्पादन 16,43,000 एमटी है, जिसमें 68% क्षमता उपयोग में है, और 32% अप्रयुक्त है। इस अतिरिक्त क्षमता का उपयोग भारत में उत्पादों के पाटन के लिए किया जा सकता है, खासकर जब चीन में संपत्ति क्षेत्र के संकट के कारण मांग में कमी आई है।
- liv. एवरग्रांडे समूह के डिफॉल्ट से चीन में संपत्ति क्षेत्र में संकट पैदा हो गया है, जिससे निर्माण उद्योग में मंदी आई है, जिससे गाइड रेल की मांग प्रभावित हुई है। चीनी निर्माता अब नए बाजारों, खासकर भारत, की तलाश कर रहे हैं। मराज़ी जियांगसू और झेजियांग बोनली जैसे निर्माता, उत्पादन में भारी निवेश करने के बाद, अपना ध्यान भारत की ओर मोड़ रहे हैं, जहाँ निर्माण गतिविधियाँ फलफूल रही हैं।
- iv. कोविड के बाद निर्माण में वृद्धि के कारण भारत में गाइड रेल की मांग बढ़ने से चीनी उत्पादकों की ओर से लगातार पाटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे संभवतः भारत के प्रमुख पीयूसी निर्माताओं के बंद होने की संभावना है।
- lvi. झांगजियांग ऑस्कर जेसन एलेवेटर और चांगजियांग रनफा मशीनरी सहित अन्य चीनी निर्यातकों ने पहले ही भारत को एक प्रमुख बाजार के रूप में पहचान लिया था। चीन के निर्माण क्षेत्र में मंदी के कारण, ये निर्यातक भारत को अपने निर्यात बढ़ा रहे हैं, जिससे समस्या और बढ़ गई है।
- lvii. आंकड़ों से पता चलता है कि पाटित आयात भारत में कीमतों में भारी गिरावट का कारण बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त, चीनी निर्यातकों के पास भारी मात्रा में मालसूची मौजूद है जिसे भारत में पाटित किया जा सकता है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह चीन जन.गण. के प्रतिभागी उत्पादकों से इन दावों का सत्यापन करें।
- lviii. 26 मई 2025 को मौखिक सुनवाई के दौरान एन. लिफ्टी द्वारा परिवहन लागत के संदर्भ को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और संदर्भ से बाहर लिया गया है। किसी भी बिंदु पर यह सुझाव नहीं दिया गया कि घरेलू उद्योग को क्षति केवल परिवहन व्यय के कारण हुई है।
- lix. परिवहन लागत कुल उत्पादन लागत का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, जो याचिकाकर्ता को वास्तविक रूप से प्रभावित करने या हुई क्षति की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त है। इसके

विपरीत, रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़े परिवहन व्यय पर विचार किए बिना ही संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा कीमतों में काफी कटौती दर्शाते हैं। इससे पुष्टि होती है कि क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

- ix. हितबद्ध पक्षकार याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई लाभप्रदता में अंतर दिखाने के लिए दो अलग-अलग समयावधियों, यानी जनवरी 2023 से दिसंबर 2023, और अप्रैल 2023 से मार्च 2024, की गलत तुलना कर रहे हैं। इन अवधियों के बीच छह महीने का अंतर इस तुलना को भ्रामक बनाता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने पीयूसी और एनपीयूसी, दोनों के लिए लाभप्रदता के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

115. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जाँच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं,

“... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए...”।

116. इसके अतिरिक्त, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट लाना या कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी हद तक हो सकती थी। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।
117. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतिवादों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर प्रकाश डालता है।
118. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए बयानों और आंकड़ों के आधार पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न तर्कों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी के जांच परिणाम सत्यापित आंकड़ों पर आधारित हैं।
119. हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में लिए गए दीर्घकालिक ऋणों के कारण याचिकाकर्ता की ब्याज लागत में वृद्धि के बावजूद, याचिकाकर्ता का

पीबीआईटी वित्त वर्ष 2022-23 में 253 सूचकांक से जांच की अवधि के दौरान 33 सूचकांक तक भारी गिरावट के साथ रह गया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभ में 2022-23 में उल्लेखनीय गिरावट आई और जांच अवधि में यह घाटे में बदल गया। लाभ में गिरावट इतनी अधिक थी कि ब्याज लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप पीबीआईटी में वृद्धि नहीं हुई। इसके विपरीत, जांच अवधि में घरेलू उद्योग के पीबीआईटी में तेजी से गिरावट आई। क्षमता वृद्धि के कारण मूल्यहास में वृद्धि के कारण नकद लाभ और पीबीआईटी के मामले में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई।

120. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री लागत के अनुरूप रही और घरेलू उद्योग को वित्त वर्ष 2022-23 में 10-20% और जांच की अवधि के दौरान 20-30% की कीमत कटौती का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता के उत्पादन, बिक्री मात्रा और क्षमता उपयोग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस संबंध में, प्राधिकारी ने नीचे दी गई तालिका में घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत और बिक्री लागत की तुलना की है। यह देखा जाता है कि घरेलू बिक्री कीमत में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में आई गिरावट से अधिक गिरावट आई है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
क	सॉलिड गाइड रेल					
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	136	131
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	138	128
3	वृद्धि/(कमी)					
4	बिक्री लागत	रु./एमटी		***	***	***
5	बिक्री कीमत	रु./एमटी		***	***	***
ख	होलो गाइड रेल्स					
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	130	129
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	165	146	135
3	वृद्धि/(कमी)					
4	बिक्री लागत	रु./एमटी		***	***	***
5	बिक्री कीमत	रु./एमटी		***	***	***

121. हितबद्ध पक्षकारों के इस अतिरिक्त तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि में कीमत कटौती में वृद्धि हुई है और याचिकाकर्ता के उत्पादन, बिक्री की मात्रा और क्षमता उपयोग पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में कीमत कटौती में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री की मात्रा और क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि यद्यपि जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है, फिर भी घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। यह भी देखा गया है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है और साथ ही, घरेलू उद्योग को इसके साथ ही महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमताओं का भी सामना करना पड़ा है।
122. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि क्षमता उपयोग में गिरावट एक नए संयंत्र की स्थापना के कारण हुई, जो जांच की अवधि के दौरान चालू नहीं था। नीचे दी गई तालिका क्षमता विस्तार के साथ या उसके बिना घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग को दर्शाती है-

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	क्षमता -विस्तार से पहले	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	क्षमता - विस्तार के बाद	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	118
3	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	149	151
4	क्षमता उपयोग		***	***	***	***
क	पुरानी क्षमता पर विचार करते हुए	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	149	151
ख	विस्तारित क्षमता पर विचार करते हुए	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	149	127

123. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 2022-23 तक बढ़ा, तथापि विस्तारित क्षमता पर विचार करने के बाद जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। प्राधिकारी ने विस्तार के प्रभाव को हटाकर जांच की अवधि में क्षमता उपयोग की अतिरिक्त गणना की है और नोट करते हैं कि जांच की अवधि में क्षमता उपयोग में केवल (0-5) % की वृद्धि हुई है और आगे यह भी पाया है कि घरेलू उद्योग के पास अभी भी (25-35) % अप्रयुक्त पुरानी क्षमता मौजूद है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में पर्याप्त मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त मात्रा में काफी बेकार क्षमताएँ हैं।
124. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से संबंधित पक्षकारों से कच्चा माल खरीदता है और उसे कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत के कारण क्षति हो सकता है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया-
- क. टी-प्रोफाइल सवेरा इंडिया द्वारा सवेरा कोठारी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("सवेरा कोठारी") से खरीदे जाते हैं, जिनका उपयोग सॉलिड गाइड रेल के निर्माण में किया जाता है। सवेरा इंडिया और सवेरा कोठारी दोनों अलग-अलग कानूनी कंपनियाँ हैं और उनके बीच सभी खरीद और बिक्री एक-दूसरे से निकटतम पर होती हैं।
 - ख. सवेरा इंडिया मुख्य रूप से सवेरा कोठारी से टी-प्रोफाइल खरीदती है क्योंकि पीयूसी के निर्माण के लिए टी-प्रोफाइल की विशिष्ट तकनीकी संरचना का उपयोग किया जाना है। हालाँकि, पीओआई में टी-प्रोफाइल की कुछ खरीद ऐसी है जो असंबद्ध कंपनी यानी [***] से की गई है।
 - ग. सवेरा कोठारी और *** से टी-प्रोफाइल खरीद के लिए नमूना बीजक प्रदान किए गए थे। यह दावा किया गया था कि *** से टी-प्रोफाइल खरीद कीमत सवेरा कोठारी की कीमतों से तुलनीय हैं और अगस्त के महीने में भी *** की कीमतें सवेरा कोठारी की कीमतों से कहीं अधिक हैं। यह साबित करता है कि सवेरा इंडिया ने सवेरा कोठारी से अधिक कीमत पर टी-प्रोफाइल नहीं खरीदी है और सवेरा इंडिया द्वारा दावा की गई क्षति को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया गया है।
 - घ. सवेरा इंडिया ने सवेरा कोठारी की बिक्री कीमतों की सवेरा इंडिया और अन्य असंबद्ध ग्राहकों से तुलना करने के लिए जांच की अवधि के लिए सवेरा कोठारी का बिक्री खाता भी उपलब्ध कराया है। यह प्रमाणित हुआ कि सवेरा कोठारी द्वारा सवेरा इंडिया और असंबद्ध ग्राहकों को बेचे गए टी-प्रोफाइल्स की बिक्री कीमत समान रेंज में हैं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि सवेरा इंडिया और सवेरा कोठारी के बीच टी-प्रोफाइल्स की खरीद और बिक्री निकटतम पर हैं।
 - इ. सवेरा इंडिया ने समर्थक कंपनी अर्थात् एन. लिफ्टी इंजीनियर्स ("एन. लिफ्टी") के क्रय बीजक भी उपलब्ध कराए हैं और एन. लिफ्टी के टी-प्रोफाइल्स का क्रय खरीद कीमत सेवा इंडिया के खरीद कीमत से कहीं अधिक है।
 - च. हॉलो गाइड रेल के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट के संबंध में, यह अनुरोध है कि हॉलो गाइड रेल के निर्माण में एचआर कॉइल शीट्स का उपयोग किया जाता है। एचआर कॉइल शीट्स असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से एकत्रित की जा रही हैं; इसलिए, निकटतम कीमत निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।
125. उपर्युक्त अनुरोधों पर विचार करने और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनी संबद्ध कंपनी अर्थात् सवेरा कोठारी से टी-

प्रोफाइल की खरीद कीमतें निकटतम पर हैं। यह भी नोट किया जाता है कि सवेरा कोठारी से घरेलू उद्योग द्वारा टी-प्रोफाइल की खरीद कीमतें एन. लिफ्टी की टी-प्रोफाइल की खरीद कीमतों से काफी कम हैं।

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचआर कॉइल शीट्स का उपयोग हॉलो गाइड रेल्स के विनिर्माण के लिए किया जाता है और इन्हें घरेलू उद्योग द्वारा असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा जाता है।
127. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने क्षमता विस्तार किया है, जांच की अवधि के दौरान क्षमता में ***% की वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री भी पूरी क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है, जो पाटित आयातों से कोई क्षति नहीं होने का संकेत देती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में क्षमता में ***% की वृद्धि की है और घरेलू बिक्री 2022-23 तक बढ़ी है और उसके बाद घट गई है।
128. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि कर्मचारियों की संख्या, प्रति कर्मचारी उत्पादन और मजदूरी सभी में वृद्धि हुई है, जो क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने ऐसे मापदंडों के कारण क्षति का दावा नहीं किया है।
129. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि मालसूची का जमा होना आवश्यक रूप से क्षति या खराब आर्थिक निष्पादन का सूचक नहीं है और स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2 अगस्त 2011) में सेस्टैट के निर्णय पर भरोसा किया गया है। मामले की जांच की गई है और निम्नलिखित तालिका घरेलू उद्योग की बिक्री के प्रतिशत के रूप में औसत मालसूची दर्शाती है:

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	146	144
2	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	159	322
3	घरेलू बिक्री के % के रूप में औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	100	200

130. यह देखा गया है कि औसत मालसूची में न केवल निरपेक्ष रूप से बल्कि घरेलू बिक्री के प्रतिशत के रूप में भी वृद्धि हुई है।

131. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि वित्तीय संकेतक भी सकारात्मक रुझान दर्शाते हैं। आधार वर्ष की तुलना में 2021-22 और 2022-23 में कारोबार में क्रमशः 180% और 198% की वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने 2021-22 और 2022-23 में घरेलू उद्योग के कारोबार में क्रमशः 180% और 198% की वृद्धि का गलत अनुमान लगाया है। कारोबार में वास्तविक वृद्धि 80% और 98% है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि कंपनी के कारोबार में व्यापारिक क्रियाकलापों की बिक्री भी शामिल है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में भी 2021-22 और 2022-23 में 73% और 106% की वृद्धि हुई है, इसलिए, अलग से घरेलू उद्योग के कारोबार की तुलना भ्रामक है। अतः, कारोबार में वृद्धि को वित्तीय निष्पादन में वृद्धि का सकारात्मक संकेतक नहीं माना जा सकता है।
132. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि चीन जन.गण. से आयात 2020-2021 में 24,754 एमटी से बढ़कर 2021-2022 में 31,983 एमटी हो गया, जो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि इसकी बिक्री 2020-2021 में 100 के सूचीबद्ध मूल्य से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 144 हो गई। यह उच्च आयात के बावजूद घरेलू उद्योग की अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और विस्तार करने की क्षमता को दर्शाता करता है। नीचे दी गई तालिका क्षति अवधि में चीन से आयात, घरेलू उद्योग की बिक्री, समर्थक और अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री और भारत में संबद्ध सामानों की मांग को दर्शाती है-

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	चीन से आयात	एमटी	25,181	32,266	45,293	49,098
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	180	195
2	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	146	144
3	समर्थक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	164	94	58
4	अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
5	भारतीय मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	164	171
4	वृद्धि/(कमी)					
क	चीन से आयात	एमटी		7,085	13,027	3,805
ख	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी		***	***	***

ग	भारतीय मांग	एमटी		***	***	***
घ	समर्थक की बिक्री	एमटी		***	***	***
ड.	अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री	एमटी		-	-	-

133. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है। चीन से आयात ने क्षति अवधि में बढ़ी हुई मांग का एक बड़ा हिस्सा लगातार हासिल किया है। घरेलू उद्योग की बिक्री 2022-23 तक बढ़ी और मांग में वृद्धि के बावजूद जांच की अवधि में गिरावट आई। यह भी नोट किया गया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है, तथापि, यह वृद्धि मांग में वृद्धि से काफी कम है।
134. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग का निवेश पर लाभ (आरओआई) 2020-2021 में 290% से 78% की भारी गिरावट के साथ जांच की अवधि में केवल 22% रह गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपनी बढ़ी हुई पूंजी से पर्याप्त लाभ नहीं कमा रही है, संभवतः बढ़ती लागत, अदक्षताओं या कम राजस्व के कारण। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने गलती से सूचीबद्ध आधार अंक को % के रूप में उपयोग किया है और दावा किया है कि घरेलू उद्योग का निवेश पर लाभ 290% से घटकर 22% हो गया है। इसके अलावा, आरओआई में गिरावट का तात्पर्य यह है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण अपनी बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया और जांच की अवधि में इसके निवेश पर आय में तेजी से गिरावट आई। निवेश पर आय में गिरावट इसकी बढ़ती लागत और अदक्षताओं के कारण नहीं है, बल्कि घरेलू बाजार में चीन से पाटित आयातों के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा के कारण है।
135. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के वित्तीय आंकड़ों से पता चलता है कि क्षमता विस्तार के कारण ब्याज और मूल्यहास लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने वित्तीय दबाव में योगदान दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विस्तार के मामले में मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि एक सामान्य घटना है। नीचे दी गई तालिका क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के पीबीआईटी और नकद लाभ को दर्शाती है:

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	469	291	(48)
2	ब्याज	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	66	164	220
3	मूल्यहास	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	103	207

4	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	337	227	39
5	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	348	253	33

136. यह देखा जाता है कि यदि मूल्यहास और ब्याज लागत पर विचार नहीं किया जाता है, तब भी पीबीआईटी और नकद लाभ में गिरावट आई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति क्षमता विस्तार के कारण नहीं है।

137. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि कुछ आंकड़ों में विसंगतियां हैं जिनकी जांच आवश्यक है। सॉलिड गाइड रेल्स के लिए, जांच की अवधि में पहुंच कीमत ***/ रु. एमटी था, जो आधार वर्ष से ***% की वृद्धि है, फिर भी सूचित की गई कीमत कटौती असमान रूप से (0-10%) से बढ़कर 20-30% हो गई। पहुंच कीमत में थोड़ी सी वृद्धि और कटौती में भारी वृद्धि के बीच यह अंतर घरेलू उद्योग की कीमत निर्धारण परकपाब्कयां में अदक्षताएं बताती हैं। नीचे दी गई तालिका बिक्री लागत, बिक्री कीमत, पहुंच कीमत और कीमत कटौती को दर्शाती है-

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	136	131
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	138	128
3	पहुंच कीमत	रु./एमटी	61,406	86,892	75,596	62,306
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	123	101
4	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***
5	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		(0-10) %	(0-10) %	10-20%	20-30%
6	वृद्धि /(कमी)					
क	बिक्री लागत	रु./एमटी		***	***	***
ख	बिक्री कीमत	रु./एमटी		***	***	***
ग	पहुंच कीमत	रु./एमटी		25,487	-11,296	-13,290
घ	कीमत कटौती	रु./एमटी		***	***	***
ड.	कीमत कटौती	%		***	***	***

138. यह नोट किया जाता है कि मध्यवर्ती प्रवृत्ति का विश्लेषण किए बिना आधार वर्ष के साथ जांच की अवधि की हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई तुलना सही और भ्रामक नहीं है। इसके अलावा, वर्ष-दर-वर्ष तुलना करने पर, यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 में, आयात कीमतें घरेलू बिक्री कीमत से थोड़ा अधिक थी और परिणामस्वरूप कीमत कटौती थोड़ी नकारात्मक थी। वर्ष 2021-22 में, आयात कीमत में वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग ने भी घरेलू बिक्री कीमतों में वृद्धि की और कोविड-19 के कारण उच्च समुद्री माल दुलाई के कारण पहुँच कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक थी और कीमत कटौती उल्लेखनीय रूप से नकारात्मक थी। वर्ष 2022-23 में, बिक्री कीमतें बिक्री लागत में वृद्धि के कारण बढ़ी, तथापि, पहुँच कीमतों में काफी गिरावट आई और परिणामस्वरूप, कीमत कटौती काफी सकारात्मक थी। जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट आई, हालांकि, घरेलू बिक्री कीमतों में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से अधिक तीव्र थी। इसके विपरीत, जांच की अवधि में पहुँच कीमत में इतनी तेजी से गिरावट आई कि जांच की अवधि और आधार वर्ष में पहुँच कीमत लगभग समान रही। अतः, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार जांच की अवधि में पहुँच कीमत में 1% की वृद्धि हुई लेकिन कीमत कटौती आधार वर्ष में (0-10%) से अनुपातहीन रूप से बढ़कर जांच की अवधि में 20% से 30% हो गई, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।
139. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि खोखले गाइड रेल के लिए पहुँच कीमत में जांच की अवधि में 8% तक गिरावट आई, जो 72,806/रु. एमटी से कम होकर 66,812/-रु. एमटी हो गई, परंतु कीमत कटौती में पांच गुना उछाल आया जो (0-10%) से बढ़कर 50-60% हो गई। आयात कीमतों में सामान्य गिरावट के बावजूद कटौती में ये तेज वृद्धि पाटित आयातों से किसी प्रभाव की अपेक्षा घरेलू उद्योग की कीमत निर्धारित में आंतरिक अदक्षताएं दर्शाती हैं।

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	130	129
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	165	146	135
3	पहुँच कीमत	रु./एमटी	76,163	95,741	82,126	68,571
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	108	90
4	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***

5	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		(0-10) %	20-30%	30-40%	40-50%
6	वृद्धि /(कमी)					
क	बिक्री लागत	रु./एमटी		***	***	***
ख	बिक्री कीमत	रु./एमटी		***	***	***
ग	पहुंच कीमत	रु./एमटी		***	***	***
घ	कीमत कटौती	रु./एमटी		***	***	***
ड.	कीमत कटौती	%		***	***	***

140. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मध्यवर्ती प्रवृत्ति का विश्लेषण किए बिना आधार वर्ष के साथ जांच की अवधि की हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई तुलना गलत और भ्रामक है। इसके अलावा, वर्ष-दर-वर्ष तुलना करने पर, यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 में आयात कीमत घरेलू बिक्री कीमत से थोड़ा अधिक थी और परिणामस्वरूप कीमत कटौती नकारात्मक थी। वर्ष 2021-22 में आयात कीमत में वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग ने भी घरेलू बिक्री कीमत बढ़ाई। घरेलू बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक थी और कीमत कटौती सकारात्मक थी। वर्ष 2022-23 में, बिक्री की लागत में कमी के कारण बिक्री कीमत में गिरावट आई, हालांकि, पहुंच कीमतों में काफी गिरावट आई और परिणामस्वरूप, कीमत कटौती में वृद्धि हुई। जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट आई, हालांकि, घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से अधिक तेज थी। इसके विपरीत, जांच की अवधि में पहुंच कीमत में इतनी तेजी से गिरावट आई कि यह आधार वर्ष में पहुंच कीमत से अधिक स्तर तक कम हो गई। इसलिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार जांच की अवधि में पहुंच कीमत में 8% की गिरावट आई, जो 72,806/रु. एमटी से 66,812/रु. एमटी हो गई, लेकिन कीमत कटौती पांच गुना बढ़कर (0-10%) से 50-60% हो गई, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।

141. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आईसीआरए ने घरेलू उद्योग की क्रेडिट रेटिंग को लगातार अपग्रेड किया है, जो बेहतर वित्तीय स्थिरता का संकेत देता है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन याचिका में दावे से कहीं बेहतर है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये रेटिंग मुख्य रूप से कंपनी की ऋण चुकौती क्षमता का आकलन करती हैं, न कि उत्पाद-विशिष्ट आधार पर इसकी लाभप्रदता का। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति विश्लेषण किया गया है और इसके वित्तीय निष्पादन में गिरावट दिखाई देती है।

142. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि नियोजित पूंजी पर 22% आय को अपनाना अनुचित और मौजूदा कर एवं व्याज दर संरचना के साथ असंगत माना जाता है। लाभ मार्जिन उस अवधि के दौरान लाभों के विक्षेपण पर आधारित होना चाहिए जब कोई पाटन नहीं था, न कि काल्पनिक आंकड़ों पर। इसलिए, महानिदेशक से 22% नियोजित पूंजी पर आय के आवेदन-पत्र पर पुनर्विचार करने और तदनुसार समायोजन करने का आग्रह किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण नियोजित पूंजी पर उचित आय, जो 22% है, के आधार पर करना प्राधिकारी की एक सतत परिपाटी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब कोई पाटन नहीं था, तब घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर ***% की औसत आय अर्जित की थी। प्राधिकारी द्वारा नियोजित पूंजी पर आय याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित आय से कम है और प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार है।
143. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पीयूसी की वर्तमान घरेलू आपूर्ति मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, घरेलू उद्योग *** एमटी की मांग की तुलना में केवल 26,000 एमटी का उत्पादन करने में सक्षम है, जो इस अंतर को पाटने के लिए आयात की आवश्यकता को उजागर करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से केवल घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे। इससे भारत में आयात बंद नहीं होगा। मांग-आपूर्ति का अंतर पाटन का कोई औचित्य नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित होता है कि आयात पाटित कीमतों पर नहीं हैं।
144. याचिका के परिशिष्ट आईवीए में बताए गए कर-पूर्व लाभ के रुझानों और घरेलू उद्योग के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए रुझानों के बीच विसंगति का आरोप लगाने वाले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार द्वारा उठाया गया तर्क विभिन्न अवधियों की तुलना पर आधारित है। विशेष रूप से, परफॉर्मा आईवीए में प्रस्तुत पीबीटी आंकड़े पीओआई, यानी जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 से संबंधित है, जबकि लेखा-परीक्षित किए गए वित्तीय वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक से संबंधित हैं। छह महीने का अंतर लाभ की तुलना को भ्रामक बनाता है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़े केवल पीयूसी की लाभप्रदता से संबंधित है।
145. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति उच्च परिवहन लागत के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि परिवहन लागत क्रमशः खोखले गाइड रेल और ठोस गाइड रेल के लिए उत्पादन की कुल लागत का केवल [***] और [***] है। ये प्रतिशत कोई भी वास्तविक प्रभाव डालने या घरेलू उद्योग को नुकसान का कारण मानने के लिए बहुत कम हैं। इसलिए प्राधिकारी का विचार है कि घरेलू उद्योग को नुकसान का मुख्य कारण पीयूसी का निरंतर पाटन है।

ज.3.1. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**क) मांग का मूल्यांकन/स्पष्ट खपत**

146. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से, या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। इस प्रकार गणना की गई मांग/स्पष्ट खपत निम्नलिखित है:

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	चीन से आयात	एमटी	25,181	32,266	45,293	49,098
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	180	195
2	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	146	144
3	भारतीय मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	164	171
4	वृद्धि/(कमी)					
a	चीन से आयात	एमटी		***	***	***
ख	घरेलू बिक्री	एमटी		***	***	***
ब	भारतीय मांग	एमटी		***	***	***

147. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि देखी गई है।

ख) भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात की मात्रा

148. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा और संबद्ध आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	चीन से आयात	एमटी	25,181	32,266	45,293	49,098
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	180	195
2	अन्य देशों से आयात	एमटी	291	3,265	146	-
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,121	50	-
3	भारतीय माँग	एमटी	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	164	171
4	भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	137	134
5	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों के आयात -					
क	भारतीय माँग	%	***	***	***	***
	परिवर्तन	%		-5%	11%	3%
ख	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	परिवर्तन	%		-13%	72%	29%

149. यह देखा गया है कि चीन से संबद्ध सामानों के आयात में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से वृद्धि हुई है, जबकि अन्य देशों से आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का कोई आयात नहीं हुआ। भारतीय माँग और भारतीय उत्पादन के संदर्भ में चीन से आयात 2021-22 में घटा और उसके बाद 2022-23 और जांच की अवधि में बढ़ा।

ज.3.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

150. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत कटौती उल्लेखनीय रूप से हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी मात्रा तक करना या कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती।

क) कीमत कटौती

151. कीमत कटौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना जाँच अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। नीचे दी गई तालिका इसी स्थिति को दर्शाती है-

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	सॉलिड गाइड रेल					
i	निवल बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
ii	पहुंच कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***
iv	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
v	कीमत कटौती	रेज %	(0-10)%	(0-10) %	10-20%	20-30%

2	होलो गाइड रेल					
i	निवल बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
ii	पहुँच कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***
iv	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
v	कीमत कटौती	रेज %	(0-10)%	20-30%	30-40%	40-50%
3	समग्र रूप से गाइड रेल					
i	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***
ii	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	रेज %	(0-10)%	(0-10) %	10-20%	20-30%

152. यह देखा जाता है कि संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतों में जांच की अवधि के दौरान तीव्र गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत घरेलू बिक्री कीमतों से काफी कम है और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है। कीमतों में यह कटौती न केवल सकारात्मक है, बल्कि काफी भी है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

153. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों में उल्लेखनीय कमी लाना है या मूल्य वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा हुई होती, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत से की है।

154. नीचे दी गई तालिका सॉलिड गाइड रेल के आयातों की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और पहुँच कीमत दर्शाती है-

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	136	131
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	138	128
3	पहुँच कीमत	रु./एमटी	61,406	86,892	75,596	62,306
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	123	101
4	वृद्धि/(कमी)					

क	बिक्री लागत	रु./एमटी		***	***	***
ख	बिक्री कीमत	रु./एमटी		***	***	***
ग	पहुँच कीमत	रु./एमटी		25,487	-11,296	-13,290

155. यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि में, सॉलिड गाइड रेल की बिक्री लागत में *** रुपये प्रति एमटी की कमी आई है, जबकि बिक्री कीमत में *** रुपये प्रति एमटी की कमी आई है। घरेलू बिक्री कीमत में यह गिरावट घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में आई गिरावट से अधिक है, क्योंकि चीन से आयातित उत्पादों की पहुँच कीमत में 13,290 रुपये प्रति एमटी की तेज गिरावट आई है। इसलिए, संबद्ध आयातों के पहुँच कीमतों ने जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है।

156. नीचे दी गई तालिका हॉलो गाइड रेल के आयातों की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और पहुँच कीमत को दर्शाती है-

होलो गाइड रेल-

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	130	129
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	165	146	135
3	पहुँच कीमत	रु./एमटी	76,163	95,741	82,126	68,571
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	108	90
4	वृद्धि/(कमी)					
क	बिक्री लागत	रु./एमटी		***	***	***
ख	बिक्री कीमत	रु./एमटी		***	***	***
ग	पहुँच कीमत	रु./एमटी		19,578	-13,615	-13,556

157. यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि में, हॉलो गाइड रेल की उत्पादन लागत में *** रुपये प्रति एमटी की कमी आई है, जबकि बिक्री कीमत में *** रुपये प्रति एमटी की कमी आई है। घरेलू बिक्री कीमत में यह गिरावट घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में आई गिरावट से अधिक है, क्योंकि चीन से आयातों की की पहुँच कीमत में 13,556 रुपये प्रति एमटी की तेज गिरावट आई है। अतः, संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर दिया है।

158. नीचे दी गई तालिका समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और पहुँच कीमत को दर्शाती है-

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	135	131
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	139	129
3	पहुँच कीमत	रु./एमटी	61,873	87,513	75,922	62,762
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	123	101
6	वृद्धि/(कमी)					
क	बिक्री लागत	रु./एमटी		***	***	***
ख	बिक्री कीमत	रु./एमटी		***	***	***
ग	पहुँच कीमत	रु./एमटी		***	***	***

159. यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि में, विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत में *** रुपये प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है, जबकि बिक्री कीमत में *** रुपये तक प्रति एमटी तक गिरावट आई है। घरेलू बिक्री कीमत में यह गिरावट घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में आई गिरावट से अधिक है, क्योंकि चीन से आयातों की पहुँच कीमत में 13,160 रुपये प्रति एमटी की तेज गिरावट आई। इसलिए, संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

160. नियमावली के अनुबंध में II में अपेक्षा है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन तथा घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; निवेश पर आय या क्षमता का उपयोग, बिक्री में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता का उपयोग; पाटन मार्जिन की मात्रा नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और तत्वों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

161. घरेलू उद्योग का पूरी क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नानुसार है:

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	118
2	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	149	151
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	149	127
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	146	144

162. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है जो 28 जून 2023 से चालू हो गई है। घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार किया था। हालांकि, देश में बढ़ती मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग जांच की अवधि में अपनी क्षमता उपयोग में वृद्धि नहीं कर सका। इसके विपरीत, जांच की अवधि में क्षमता उपयोग में तेजी से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया है और देश में पीयूसी की पर्याप्त मांग के बावजूद जांच की अवधि में ***% पर प्रचालन कर रहा है।

163. इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि उत्पादन/उत्पादन और बिक्री की मात्रा के स्तर ने 2022-23 तक बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है और काफी अप्रयुक्त क्षमताओं के बावजूद जांच की अवधि में उत्पादन में केवल नगण्य वृद्धि हुई है। इसके अलावा, जांच की अवधि में घरेलू बिक्री में गिरावट देखी गई है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन/उत्पादन और बिक्री की मात्रा में वृद्धि काफी कम है और देश में बढ़ी हुई मांग के अनुपात में नहीं है।

ख) बाजार हिस्सा

164. घरेलू उद्योग का आयात और उसका बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	89	84
2	समर्थक का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	58	34
3	अन्य भारतीय उत्पादक का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	61	59
4	चीन का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	110	114
5	अन्य देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	810	31	-

165. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घटती रही है। घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी आधार वर्ष में पहले से ही कम ***% से घटकर जांच की अवधि में ***% रह गई है, जबकि उसके पास भारतीय मांग में कहीं अधिक हिस्सेदारी को पूरा करने की क्षमता है। इसके अलावा, समर्थक उत्पादकों सहित अन्य भारतीय उत्पादकों की हिस्सेदारी भी जांच अवधि में घटी है।

166. इसके विपरीत, संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का रुख रहा है और केवल 2021-22 में इसमें वृद्धि हुई है। जांच अवधि में, अन्य देशों की हिस्सेदारी शून्य हो गई है।

ग) मालसूची

167. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	आरंभिक	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	116	199
2	अंतिम	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	206	453
3	औसत	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	159	322

168. यह देखा जा सकता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में लगातार वृद्धि हुई और जांच अवधि में इसमें तेजी से वृद्धि हुई।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

169. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	पीबीटी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	469	291	(48)
2	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	348	253	33
3	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	337	227	39
4	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	290	152	22

170. घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय (आरओआई) 2021-22 तक बढ़ा और 2021-22 के बाद लगातार घट रहा है। वास्तव में, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में हानियां होने लगी थी।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

171. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जो नीचे दी गई है:

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	149	151
2	कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	149	162
3	उत्पादन/कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	93
4	मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	141	168
5	मजदूरी/कर्मचारी	रु./सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	94	104

172. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या और वेतन एवं मजदूरी में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है, हालाँकि उत्पादन स्तर कम होने के कारण जाँच अवधि में इसमें मामूली गिरावट आई है।

च) वृद्धि

173. घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में सूचना निम्नलिखित है:-

क्र.स.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	उत्पादन (एमटी)	वाई/वाई		***	***	***
2	घरेलू बिक्री (एमटी)	वाई/वाई		***	***	***
3	पीबीटी (लाख रु.)	वाई/वाई		***	***	***
4	मालसूची (एमटी)	वाई/वाई		***	***	***
5	बाजार हिस्सा (%)	वाई/वाई		***	***	***
6	नकद लाभ (लाख रु.)	वाई/वाई		***	***	***
7	आरओआई (%)	वाई/वाई		***	***	***

174. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के सभी मात्रा मापदंड जांच अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं, सिवाय उत्पादन के, जिसमें जांच अवधि में मामूली वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के सभी कीम मापदंड 2022-23 और जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी भी नकारात्मक वृद्धि दर्शाती है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

175. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने भारत में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु नए निवेश किए हैं, फिर भी घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ रहा है और पाटित आयातों के कारण घाटे का सामना कर रहा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता काफी क्षीण हो गई है।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

176. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा काफी अधिक थी और ऐसे आयात घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम कीमतों पर थे। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत

संबद्ध आयातों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस प्रकार, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है।

i) पाटन की मात्रा

177. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन काफी है और संबद्ध सामानों के कीमत निर्धारण का संकेतक है।

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण

178. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति, मात्रा और कीमत प्रभावों की मौजूदगी की जाँच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह जाँच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति, नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

179. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से आयात शून्य है। इसलिए, यह क्षति तीसरे देशों से आयात के कारण नहीं है।

ख. माँग में संकुचन

180. विचाराधीन उत्पाद की माँग में वृद्धि देखी गई है। इसलिए, माँग में गिरावट क्षति का कारण नहीं हो सकती। इस प्रकार, माँग में संभावित संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

181. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ

182. संबद्ध सामानों की बिक्री किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है और किसी भी प्रतिबंधात्मक परिपाटी को प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया गया है।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

183. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. उत्पादकता

184. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अतः, घरेलू उद्योग को इस कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

छ. निर्यात निष्पादन

185. आवेदक ने संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। अतः, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

186. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। अतः, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग के लिए क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

187. नियमावली के अनुबंध III के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की क्षतिरहित कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यात के पहुंच मूल्य के साथ की गई है और इस प्रकार निकाला गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन		
		यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	%	रेंज
1.	मराज़ी (जियांग्सू) एलेवेटर गाइड रेल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
2.	वूशी कोएनिग एलेवेटर एक्सेसरीज कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
3.	झेजियांग बोनली लिफ्ट गाइड रेल निर्माण कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
4.	गैर-नमूनाकृत सहकारी उत्पादक	***	***	***	***	20-30
5.	अन्य	***	***	***	***	40-50

ट. प्रयोक्ता प्रभाव विश्लेषण (भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे)**ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

188. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से प्रयोक्ता उद्योगों में गंभीर व्यवधान उत्पन्न होगा और आम जनता को नुकसान होगा। यह निर्णय उद्योगों के समक्ष मौजूदा वित्तीय और प्रचालनात्मक कठिनाइयों को और बढ़ा देगा, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रभावों से उबरने के दौरान।

- ii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से गाइड रेल जैसे प्रमुख घटकों की लागत बढ़ जाएगी, जबकि कोई व्यवहार्य घरेलू विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, जिससे प्रयोक्ताओं को उच्च लागत पर आयात जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे अंततः लिफ्ट निर्माण में लागत बढ़ेगी और इसका बोझ बुनियादी ढाँचा डेवलपर्स, ठेकेदारों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण और आवास की लागत बढ़ जाएगी।
- iii. लिफ्ट गाइड रेल पर शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जाने वाली लिफ्ट प्रणालियों की अंतिम कीमत में 0.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- iv. शुल्क लगाने से बेची गई वस्तुओं की लागत में वृद्धि होगी, जो अंततः वस्तुओं की अंतिम कीमत में परिलक्षित होगी, और प्रभाव की सीमा लगाए गए शुल्क की दर पर निर्भर करेगी।
- v. लिफ्ट गाइड रेल पर पाटनरोधी शुल्क इन घटकों पर निर्भर कंपनियों की खरीद और स्थापना लागत में वृद्धि करेगा। इसके परिणामस्वरूप, अंतिम उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएँगी, जिससे अंततः अंतिम उपभोक्ताओं पर लिफ्ट की बढ़ी हुई लागत का बोझ पड़ेगा।
- vi. अतिरिक्त शुल्क लगाने से होने वाली कीमत वृद्धि से ऑर्डर की मात्रा में कमी आने की संभावना है क्योंकि ग्राहक अधिक लागत-प्रभावी विकल्प तलाशेंगे, या खरीदारी में देरी करेंगे, जिससे प्रयोक्ता उद्योग के व्यवसाय और ऑर्डर बुकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- vii. गाइड रेल में सटीकता की कमी, उत्पाद की कथित सुरक्षा और विश्वसनीयता को कम करके, लिफ्ट जैसे तैयार उत्पादों की बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच सकता है और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण बिक्री में गिरावट आ सकती है।
- viii. 2024 में, लगभग 1,18,000 एलिवेटर इकाइयाँ बेची गईं, जिनमें असंगठित क्षेत्र का योगदान लगभग 38,000 इकाइयों का था, जो 30% बाजार हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है।
- ix. एलिवेटर उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है क्योंकि बाजार का 30% हिस्सा असंगठित क्षेत्र के लिए खुला है। जहाँ शीर्ष 8 कंपनियाँ अधिकांश बड़े ऑर्डर हासिल कर लेती हैं, वहीं असंगठित व्यापारियों को बाजार के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया जाता है।
- x. असंगठित क्षेत्र के व्यापारी अक्सर न्यूनतम मार्जिन पर, कभी-कभी ब्रेक-ईवन या घाटे पर, केवल परियोजनाओं को सुरक्षित करने और कुशल जनशक्ति को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, जो अन्यथा बड़े प्रतिस्पर्धियों द्वारा लूटे जाने के लिए सुभेद्य होते हैं।
- xi. विशिष्ट डिज़ाइन सीमाओं के कारण असंगठित क्षेत्र खोखले गाइडरेल का उपयोग करने में असमर्थ है।
- xii. सवेरा इंडिया अपने अधिकृत वितरक, जुपिटर एंटरप्राइजेज के माध्यम से केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़ी फर्मों को आपूर्ति करता है। परिणामस्वरूप, जुपिटर द्वारा छोटे स्थानीय खरीदारों को दी जाने वाली कीमतें, मात्रा-आधारित सौदेबाजी की शक्ति वाली बड़ी कंपनियों द्वारा बातचीत की गई कीमतों से काफी अधिक होती हैं।
- xiii. एलिवेटर उद्योग तेज़ी से फैल कर रहा है, जो बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों में तेज़ी से वृद्धि का कारण है। बड़ी कंपनियाँ भी अपनी बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास में, पारंपरिक रूप से

असंगठित क्षेत्र द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों, जैसे छोटी इमारतें, विला और कम गति वाले लिफ्ट, में प्रवेश कर रही हैं।

- xiv. एक परिदृश्य में, शीर्ष पाँच कंपनियाँ पाटन-संबंधी लागतों को वहन कर सकती हैं और सवेरा चाइना जैसे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से लेना जारी रख सकती हैं। इस बीच, अतिरिक्त मालसूची का सामना कर रहे घरेलू गाइडरेल निर्माता, ज्यूपिटर एंटरप्राइजेज के माध्यम से उत्पादों को बेच सकते हैं, जो मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचते हैं, जिससे असंगठित क्षेत्र के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं।
- xv. एक अन्य परिदृश्य में, किसी बड़ी कंपनी और एकमात्र घरेलू गाइडरेल विनिर्माता के बीच रणनीतिक गठजोड़ असंगठित कंपनियों को महंगे आयात पर पूरी तरह निर्भर रहने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर सवेरा को बीआईएस प्रमाणन मिल जाता है, तो वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं तक पहुँच न पाने वाली छोटी फर्मों को बंद करना पड़ सकता है, जिसका मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं, खासकर वरिष्ठ नागरिकों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जो किफायती एलिवेटर समाधानों पर निर्भर हैं।
- xvi. असंगठित क्षेत्र को दोनों ही परिदृश्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। समान अवसर के बिना, ये कंपनियाँ अलाभकारी हो जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप बंद हो जाएंगी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी, तथा मौजूदा एलिवेटर प्रणालियों की सर्विसिंग और रखरखाव में व्यवधान उत्पन्न होगा।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

189. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) का उद्देश्य भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित करने के लिए पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है, जो देश के सामान्य हित में है।
- ii. पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाने से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क भारत में उत्पाद के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकता है, परंतु इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी। इसके बजाय, यह पाटन के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकेगा, घरेलू उद्योग को और अधिक गिरावट से बचाएगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को संबद्ध सामानों के लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच प्राप्त हो।
- iii. विचाराधीन उत्पादक के अंतिम उत्पाद अर्थात् एलिवेटरों में एक छोटा घटक है। इस प्रकार, यदि शुल्क लगाया जाता है, तो अंतिम उत्पाद की लागत और कीमत पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- iv. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग लिफ्टों और एलिवेटरों की स्थापना में किया जाता है। इन उत्पादों में विचाराधीन उत्पाद की लागत आमतौर पर उनकी कुल लागत का 5-10% होती है,

- जो भार वहन क्षमता और सेवा प्रदान की गई मंजिलों की संख्या जैसे कारकों पर निर्भर करती है।
- v. लिफ्टों और एलिवेटर्स की बिक्री कीमत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की विस्तृत गणना प्रदान की गई है। यह प्रभाव नगण्य है, ठोस गाइड रेल 0.03% और खोखली गाइड रेल 0.02% तक कीमत को प्रभावित करती हैं।
- vi. कुछ हितबद्ध पक्षकारों, जैसे जॉनसन, कोन और ओटीआईएस, ने तैयार एलिवेटर्स/लिफ्टों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की सूचना दी है, जो 0.1% के न्यूनतम प्रभाव को दर्शाता है। चूँकि एलिवेटर/लिफ्ट पूँजीगत सामान हैं, अतः उत्पादों के उपयोगी जीवन पर शुल्क के प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

190. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का माहौल बने। यह केवल एक नियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य संबद्ध देश से आयातों में मनमाने ढंग से कटौती करना नहीं है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार उचित प्रतिस्पर्धा का सार उन उपायों को लगाने से अक्षुण्ण रहेगा। घटती हुई प्रतिस्पर्धा से अलग पाटनरोधी उपायों को लगाने से पाटन परिपाटियों के माध्यम से अनुचित लाभ अर्जित होने से रोकने में मदद मिलती है। यह संबद्ध सामानों के व्यापक चयन तक उपभोक्ताओं की पहुँच को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार परिपाटियों में बाधा नहीं बल्कि सहायक हैं।
191. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए, जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वर्तमान जांच से संबंधित संगत सूचना प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं।
192. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनता के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में सामानों की उपलब्धता पर शुल्क लगाने के प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर प्रभाव और आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया। यह निर्धारण वर्तमान जांच के दौरान प्रस्तुत

किए गए अनुरोधों और साक्ष्यों पर आधारित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपलब्धता कम होने का कोई कारण नहीं है।

193. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण आयात में संभावित कमी के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई आशंकाओं की सावधानीपूर्वक जांच की। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे शुल्क संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के निरंतर आयात को बाधित नहीं करते हैं। आयात जारी रह सकते हैं, बशर्ते वे उचित, गैर-पाटित कीमतों पर किए जाएं।
194. एमएसएमई एलिवेटर निर्माता कंपनियों द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक अभ्यावेदन दायर किया गया था और वह प्राधिकारी को 13 मई, 2025 को प्राप्त हो गया था। अभ्यावेदन में, उक्त उत्पादकों ने खुद को असंगठित क्षेत्र से होने का दावा किया था। यह नोट किया जाता है कि इन कंपनियों ने न तो अधिसूचित समय-सीमा के भीतर डीजीटीआर के साथ पंजीकरण कराया और न ही उन्होंने जांच के दौरान डीजीटीआर से संपर्क किया। तथापि, जांच शुरू होने की तारीख से 11 महीने की समाप्ति के बाद, उनके द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का विरोध करते हुए एक अभ्यावेदन दायर किया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि असंगठित क्षेत्र के एलिवेटर निर्माताओं द्वारा दायर ये अनुरोध विलंबित हैं और इन्हें घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं किया गया है। इसके बावजूद, प्राधिकारी ने उनके अनुरोधों पर विचार किया है।
195. प्राधिकारी ने नोट किया है कि भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों की उपलब्धता शुल्क लगाए जाने से प्रभावित नहीं होगी। इस उपाय की उपचारात्मक प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि आयात, जब क्षतिरहित परिस्थितियों में किए जाते हैं, तो बेरोकटोक जारी रहेंगे। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि इस हस्तक्षेप से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को नुकसान नहीं पहुँचता है। बल्कि, शुल्क लगाने से पाटित आयातों के कारण मौजूदा बाजार विकृति में सुधार होता है, जिससे न्यायसंगत प्रतिस्पर्धी स्थितियाँ बहाल होती हैं। घरेलू और आयातित दोनों प्रकार की वस्तुएँ सह-अस्तित्व में बनी रहेंगी, जिससे उपभोक्ता की पसंद सुरक्षित रहेगी और स्वस्थ बाजार गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
196. शुल्क लगाए जाने के कारण लिफ्टों की लागत में संभावित वृद्धि के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई चिंताएँ। इन चिंताओं का मूल्यांकन घरेलू उद्योग और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत लागत आंकड़ों और अनुभवजन्य साक्ष्य के आलोक में किया गया है। यह देखा गया है कि पीयूसी लिफ्टों की समग्र लागत संरचना का एक सीमित हिस्सा है, जो आम तौर पर 5% से 10% के बीच होता है, जो भवन की ऊंचाई और तकनीकी विनिर्देशनों जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराया गया मात्रात्मक मूल्यांकन यह दर्शाता है अंतिम एलिवेटर कीमत निर्धारण पर शुल्क का प्रभाव सॉलिड गाइड रेल के मामले में मामूली 0.03% और होलो गाइड रेल के मामले में 0.02% है। इन आंकड़ों की पुष्टि जॉनसन, कोन और ओटीआईएस जैसे हितबद्ध पक्षकारों के उत्तरों से होती है, जिन्होंने तैयार एलिवेटर पर केवल 0.1% का लागत प्रभाव बताया है।

197. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एलिवेटर, लंबे प्रचालनात्मक जीवन-काल वाले पूंजीगत सामानों के होने के कारण, समय के साथ परिशोधित होने पर ऐसे सीमांत लागत परिवर्तन नगण्य हो जाते हैं। इस प्रकार, अंतिम उपभोक्ताओं पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की आशंका का अनुभवजन्य समर्थन नहीं है और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री से इसकी पुष्टि नहीं होती है।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

198. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि, समग्र घरेलू मांग में वृद्धि से अधिक रही, जिससे पता चलता है कि आयातों ने केवल अतिरिक्त बाजार मांग को पूरा किया और घरेलू उद्योग की बिक्री को प्रभावित नहीं किया या मात्रा-आधारित क्षति नहीं पहुँचाई।
- ii. केवल आयातों को वास्तविक क्षति का कारण बताने से क्षमता विस्तार, उच्च ब्याज और मूल्यहास लागत और समष्टि आर्थिक स्थितियों जैसे अन्य कारणात्मक कारकों की अनदेखी होती है, जिसके लिए नियम 11(2) के अंतर्गत उचित गैर-आरोपण विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
- iii. दावा किए गए प्रतिकूल कीमत प्रभाव आंतरिक लागतों द्वारा बढ़ाए गए विकृत निवल बिक्री प्राप्ति आंकड़ों पर आधारित हैं, जिनमें असंगत कटौती प्रवृत्तियाँ आयातों से होने वाली क्षति के बजाय घरेलू उद्योग के कीमत निर्धारण में अदक्षताओं को दर्शाती हैं।
- iv. आधार वर्ष से जांच की अवधि तक घरेलू उद्योग का रोजगार 62% और मजदूरी परिव्यय 68% बढ़ा, जो आयातों से होने वाले संकट के बजाय व्यावसायिक वृद्धि, प्रचालनात्मक स्केलिंग और वित्तीय आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये सकारात्मक रुझान वास्तविक क्षति के आरोप को कमज़ोर करते हैं।
- v. केवल पाटित आयातों को क्षति का कारण बताना नियम 11(2) और अनुबंध II के तहत "अन्य कारकों" की अनदेखी करता है, जिसमें क्षमता विस्तार, बढ़ा हुआ ब्याज और मूल्यहास लागत और कोविड-19 व्यवधान शामिल हैं; उचित गैर-आरोपण विश्लेषण के बिना, कारणात्मक संपर्क अप्रमाणित रहता है।
- vi. गोपनीयता के प्रति प्राधिकारी का दृष्टिकोण अस्पष्ट है और इसमें पारदर्शिता का अभाव है, क्योंकि इसने पहले आपत्तियों को प्रक्रियात्मक रूप से अस्वीकार्य माना और फिर स्पष्ट तर्क के बिना "जहाँ भी आवश्यक हो" कुछ दावों को स्वीकार कर लिया।
- vii. प्रयोक्ताओं पर शुल्क लगाने के प्रभाव को पर्याप्त रूप से हल नहीं किया गया है, यह देखते हुए कि उच्चतर लागतें निर्माण, परिवहन और विनिर्माण जैसे उद्योगों को प्रभावित कर सकती है, साथ ही गाइड रेल में कम सटीकता के कारण एलिवेटर सुरक्षा से समझौता कर सकती है।
- viii. घरेलू उद्योग के वित्तीय आंकड़ों में सिद्ध आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभाव के कारण विश्वसनीयता का अभाव है, जैसा कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों में बार-बार उजागर किया गया है। यह कमी वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता को कम करती है और क्षति के आकलन को प्रभावित करती है।

- ix. घरेलू उद्योग ने व्याज व्यय और प्रचालनात्मक लागतें बढ़ाने के लिए जानबूझकर अतिरिक्त उधार लिया है, जिससे कृत्रिम क्षति हुई है। इस तरह के उधार, जैसा कि लेखा परीक्षक के राय देने में असमर्थता के बयान में उल्लेख किया गया है, कृत्रिम रूप से खर्चों को बढ़ाते हैं, संभावित रूप से कर योग्य आय को कम करते हैं और संबद्ध देश से आयात से असंबद्ध वित्तीय संकट की भ्रामक तस्वीर पेश करते हैं।
- x. चीन के अभिगम संबंधी डब्ल्यूटीओ नयाचार के तहत 11 दिसंबर 2016 से "प्रतिनिध देश" पद्धति का उपयोग कानूनी आधार के बिना है और अनुरोध करता है कि पाटन मार्जिन की गणना प्रतिनिधि देश दृष्टिकोण का उपयोग करने के बजाय निर्यातक के स्वयं के आंकड़े के आधार पर की जाए।
- xi. डीजीटीआर आवश्यक तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहा, जिसमें पीसीएन-वार निर्यात कीमत, पहुँच कीमत, विस्तृत सामान्य मूल्य गणना और क्षतिरहित कीमत शामिल हैं, जिससे वूशी कोएनिग की पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.9 के अनुसार अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता सीमित हो गई।
- xii. प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए पाटन और क्षति मार्जिन की गणना नहीं की, जिससे पीसीएन वर्गीकरण प्रक्रिया अप्रभावी हो गई और क्षति विश्लेषण की सटीकता कम हो गई।
- xiii. वूशी कोएनिग एलेवेटर एक्सेसरीज कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत के प्राधिकारियों के निर्धारण में बंदरगाह से संबंधित खर्चों को छोड़ दिया गया है और अनुरोध किया गया है कि अंतिम निर्धारण में इसकी समीक्षा की जाए और इसे स्पष्ट किया जाए।
- xiv. उत्पादक/निर्यातक का अनुरोध है कि जाँच की अवधि के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात मात्रा में नगण्य, प्रकृति में छिटपुट था और केवल वैध उद्देश्यों जैसे बेंचमार्किंग, पुनर्रचना और ग्राहक-विशिष्ट तकनीकी मानकों से अनुरूपता के लिए किया गया था। ये निर्यात न तो वाणिज्यिक पैमाने पर आपूर्ति के लिए थे और न ही घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँचाने में सक्षम थे। तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि सूजौ सवेरा शांगवु एलिवेटर राइडिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड और तियानजिन सवेरा एलिवेटर राइडिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड को वर्तमान पाटनरोधी जाँच के क्षेत्र से बाहर रखा जाए।
- xv. विश्व स्तरीय विनिर्माण, लागत-नियंत्रण क्षमताओं और प्रमुख भारतीय भागीदारों के साथ स्थिर संबंधों वाला एक चीन-इतालवी संयुक्त उद्यम, माराज़ी, कम कीमत पर पाटन किए बिना गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करता है। फिर भी, प्रकटन विवरण में इसे 40%-50% पाटन मार्जिन दिया गया है, जो झेजियांग बोनली जैसे प्रतिस्पर्धियों से अधिक है, और इसके प्रचालनात्मक रिकॉर्ड, कीमत निर्धारण परिपाटियों और बाजार आचरण के आलोक में सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।
- xvi. कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता एक वस्तुनिष्ठ, उद्योग-व्यापी कारक है जो सभी चीनी निर्यातकों को प्रभावित करता है। यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को सटीकता सुनिश्चित करने और समय के अंतर से होने वाली विकृतियों को रोकने के लिए मासिक औसत कच्चे माल की लागत या निर्यात कीमतों पर पाटन मार्जिन की गणना करनी चाहिए थी।
- xvii. कुछ निर्यातक क्रॉस-सेक्शनल मापदंडों को कम कर देते हैं, उत्पाद का वजन कम करते हुए भी वही सीमा शुल्क भार घोषित करते हैं, जिससे प्रति टन परिकलित मूल्य बढ़ जाता है और उनका पाटन मार्जिन कम हो जाता है। अनुरोध है कि प्राधिकारी ऐसे विनिर्देशन परिवर्तनों की जाँच

करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मार्जिन निर्धारण वास्तविक गुणवत्ता और मापदंडों को सटीक रूप से दर्शाते हैं।

- xviii. कुछ निर्यातकों ने हल्के विकल्प मॉडल पेश किए हैं, जिससे सुरक्षा कमज़ोर हो रही है और भार-आधारित पाटन मार्जिन गणनाएँ विकृत हो रही हैं। अनुरोध है कि प्राधिकारी बाज़ार की निष्पक्षता और सार्वजनिक अवसंरचना उत्पादों की गुणवत्ता की रक्षा के लिए ऐसे उत्पाद डाउनग्रेड को ध्यान में रखे।
- xix. प्रमुख कच्चे माल की आयात कीमतों में गिरावट, उद्योग-व्यापी इस्पात की कीमतों में नरमी के अनुरूप है, जैसा कि सीसीसीएमई द्वारा स्वीकार किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 17.90% की गिरावट और वित्त वर्ष 2024-25 में 1.30% की मामूली वृद्धि दर्शाने वाले खरीद आँकड़े सामान्य बाज़ार प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं, न कि निरंतर पाटन अथवा कीमत कटौती को।
- xx. कुछ हितबद्ध पक्षकार यह अनुरोध करते हैं कि प्रकटन विवरण में मालसूची समायोजन वास्तविक बाज़ार स्थितियों को नहीं दर्शाता है, क्योंकि मालसूची स्तर और लागत विभिन्न वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। उनका तर्क है कि लागू समायोजन इन गतिशीलताओं को नज़रअंदाज़ करता है, जिससे क्षति विश्लेषण विकृत हो जाता है।
- xxi. पक्षकार का तर्क है कि प्रकटन विवरण में गणना के अनुसार, कम कीमत पर बिक्री का निर्धारण वास्तविक बाज़ार कीमतों के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि इस्तेमाल की गई कार्यप्रणाली क्षति मार्जिन को बढ़ाती है और घरेलू बाज़ार में प्रचलित लेनदेन मूल्यों के अनुरूप नहीं है।
- xxii. 25%-70% पाटन मार्जिन रेंज खरीद प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 17.90% की गिरावट और उसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 में 1.30% की वृद्धि दर्शाती है। अधिकतर रेल प्रकारों के लिए भारित औसत कीमतें स्थिर हो गई हैं या बढ़ गई हैं, जो निरंतर कटौती की बजाय चक्रीय लागत-आधारित संचलन को दर्शाते हैं।
- xxiii. घरेलू उद्योग को कथित क्षति संबंधित आयातों के अलावा कई अन्य कारकों के कारण है, जैसे कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, प्रचालनात्मक निर्णय और लागत संरचनाएं। उनका दावा है कि इन कारकों ने क्षति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कारण विश्लेषण में इन पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।
- xxiv. 19 नवंबर 2024 की अंतिम पीयूसी/पीसीएन अधिसूचना और प्रकटन विवरण के बीच विसंगतियां मौजूद हैं, क्योंकि शुरू में शामिल कुछ मॉडलों (जैसे, टीके2ए और टीके3ए) पर ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि अधिसूचित क्षेत्र से बाहर के अन्य मॉडलों जैसे एसटी89-1बी को विश्लेषण में शामिल किया गया है।
- xxv. अंतिम उपाय, यदि लागू किया जाता है, तो उसे भविष्य में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्वव्यापी आवेदन पिछले अनुबंधों को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा, परियोजना अर्थशास्त्र को विकृत करेगा और निचले स्तर के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाएगा।
- xxvi. बोनली के पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन को, यदि संशोधित किया जाता है, तो टिप्पणी प्रदान करने के अवसर के साथ एक नया प्रकटन किया जाना चाहिए।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

199. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- i. पीयूसी एक मानकीकृत उत्पाद नहीं है और इसका कारोबार "संख्याओं", "सेटों" या "किलोग्रामों" सहित माप की कई इकाइयों में होता है। घरेलू उद्योग के साथ-साथ चीन के निर्यातक भी "संख्याओं" और "सेटों" में बीजक जारी करते हैं। इस प्रकार, निश्चित शुल्क दरें अव्यावहारिक हो जाती हैं और कम भुगतान का जोखिम बढ़ जाता है। उत्पाद की तकनीकी विविधताओं, सीमा शुल्क के लिए प्रशासनिक कठिनाइयों और प्राधिकारी की पिछली परिपाटियों को देखते हुए, अनुरोध है कि शुल्क की सिफारिश यथामूल्य आधार पर की जाए।
- ii. बोन्ली का क्षति मार्जिन (0%-10%) उसके पाटन मार्जिन (25%-35%) से काफी कम है और अन्य निर्यातकों के मार्जिन से कहीं कम है। बोन्ली की भारी उत्पादन क्षमता, जांच की अवधि के बाद निर्यात कीमतों में कमी और आयात में वृद्धि के जोखिम को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से बोन्ली के आंकड़ों की पुनः जांच करने का अनुरोध करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शुल्क अपने उपचारात्मक उद्देश्य को पूरा करता है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

200. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कई अनुरोध पुनरावृत्ति के हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल किए गए हैं। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।
201. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि समग्र घरेलू मांग में वृद्धि से अधिक थी, जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री को सिद्ध किए बिना या मात्रा-आधारित क्षति का कारण बने बिना केवल अतिरिक्त बाजार मांग को पूरा किया गया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि क्षति अवधि के दौरान बाजार मांग में वृद्धि हुई, चीन जन.गण. से आयातों में वृद्धि पर्याप्त थी और घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि से कहीं अधिक थी। देश में पर्याप्त मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग काफी कम रहा, जो पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण विस्तारित बाजार से पूरी तरह लाभ उठाने में इसकी असमर्थता को दर्शाता है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू बिक्री 100 से बढ़कर 144 हो गई, जबकि चीन जन.गण. से आयात 100 से बढ़कर 192 हो गया, जो आयात में असमानुपातिक वृद्धि को दर्शाता है। यह पैटर्न घरेलू उद्योग के स्पष्ट विस्थापन को दर्शाता है, क्योंकि बढ़ते बाजार में पाटित आयातों के बढ़ते हिस्से ने मांग को ले लिया है जिसे घरेलू उत्पादकों द्वारा पूरा किया जा सकता था, जिससे वास्तविक क्षति हुई है।
202. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि केवल आयातों को वास्तविक क्षति का कारण बताने से क्षमता विस्तार, उच्च ब्याज और मूल्यहास लागत, व्यापक आर्थिक स्थिति और कोविड-19 व्यवधानों के अवशिष्ट प्रभाव जैसे अन्य कारणात्मक कारकों की अनदेखी होती है, इसलिए नियम 11(2) के तहत उचित गैर-आरोपण विश्लेषण की आवश्यकता होती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने इन पहलुओं पर विधिवत विचार किया है और वर्तमान जांच में पहले ही एक विस्तृत गैर-आरोपण विश्लेषण किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन जांच की अवधि में पीबीआईटी

और लागत लाभ में ब्याज और मूल्यहास लागतों में तथाकथित वृद्धि के बावजूद गिरावट दर्शाता है। विशेष रूप से, पीवीआईटी 2021-22 में ***लाख रुपये से गिरकर जांच की अवधि में *** लाख रुपये हो गया, और इसी अवधि में नकद लाभ *** लाख रुपये से घटकर *** लाख रुपये हो गया, जो दर्शाता है कि गिरावट उच्च वित्तीय शुल्कों के बजाय पाटित आयातों के प्रभाव से जुड़ी है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि एक गैर-कोविड अवधि है, निष्पादन में गिरावट को कोविड-19 के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। घरेलू उद्योग परिपक्व उत्पादन प्रक्रियाओं और स्थापित ग्राहक नेटवर्क के साथ संबद्ध वस्तुओं का एक स्थापित उत्पादक है। परिणामस्वरूप, किए गए क्षमता विस्तार के लिए नए प्रवेशकों के लिए विशिष्ट जेस्टेशन या स्थिरीकरण अवधि की आवश्यकता नहीं होती है और इससे हुई क्षति की व्याख्या नहीं होती है। तदनुसार, न तो बड़ी हुई वित्तीय लागतें और न ही क्षमता विस्तार और न ही कोई अवशिष्ट कोविड-19 प्रभाव पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क को तोड़ते हैं।

203. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि कर्मचारियों की संख्या, प्रति कर्मचारी उत्पादन और मजदूरी सभी में वृद्धि हुई है, जो क्षति अवधि के दौरान एक सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने ऐसे मापदंडों के आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है।
204. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि प्रकटन विवरण में गोपनीयता विश्लेषण विरोधाभासी है, क्योंकि यह पहले गोपनीयता संबंधी आपत्तियों को देरी से दायर किए जाने के कारण प्रक्रियात्मक रूप से अस्वीकार्य घोषित करता है, लेकिन फिर गोपनीयता संबंधी दावों को स्वीकार करता है और उनकी जांच करता है, जिससे कथित रूप से निष्कर्ष अस्पष्ट, अपारदर्शी और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करने वाला हो जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों की यह व्याख्या गलत है। प्रक्रियात्मक अस्वीकार्यता केवल देर से दायर की गई आपत्तियों पर लागू होती है, जबकि नियम 7 के तहत प्राधिकारी को गोपनीयता के दावों का उनके गुण-दोष के आधार पर आकलन करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त है। जांच के दूसरा भाग इस पृथक सांविधिक समीक्षा को दर्शाता है, जिसमें गोपनीयता को केवल वहीं स्वीकार किया गया जहाँ इसकी आवश्यकता थी और जहाँ भी संभव हो, पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दिए गए थे। तदनुसार, प्राधिकारी के जांच परिणामों में कोई विरोधाभास नहीं है।
205. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत वित्तीय आंकड़ों की विश्वसनीयता पर इस आधार पर प्रश्न उठाए हैं कि हाल के वर्षों की सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में कमियाँ दर्ज की गई हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी का मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा उल्लिखित किए गए ऐसे नियंत्रणों में कोई भी कमजोरी, उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है जिनके माध्यम से वित्तीय सूचना संकलित की जाती है, और विसंगतियों या धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अभिप्रेत तंत्रों से संबंधित है। इन टिप्पणियों के बावजूद, लेखा परीक्षक ने कंपनी के वित्तीय परिणामों पर कोई प्रतिकूल

राय जारी नहीं की है, बल्कि एक सही रिपोर्ट जारी की है। ऐसी रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कुछ गलत विवरण या सीमाएँ नोट की गई थीं, हालाँकि, इन्हें समग्र वित्तीय विवरणों को बदलने के लिए नहीं माना गया था, और लेखा परीक्षक ने पहचाने गए मुद्दों “को छोड़कर” अपनी राय व्यक्त की है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि इस जाँच में प्रस्तुत वित्तीय सूचना की प्राधिकारी द्वारा स्वयं स्वतंत्र रूप से जाँच की गई है। इसलिए, आंतरिक नियंत्रणों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर घरेलू उद्योग के वित्तीय अनुरोधों को बदनाम करने के प्रयास काल्पनिक हैं। वास्तविक त्रुटि या गलतबयानी के किसी भी पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी प्रस्तुत वित्तीय आँकड़ों को विश्वसनीय और भरोसेमंद मानते हैं।

206. कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने जानबूझकर अतिरिक्त उधारी ली, जिससे "कृत्रिम क्षति" पैदा करने की एक सोची-समझी रणनीति के रूप में उसके व्याज व्यय और अन्य प्रचालनात्मक लागतें बढ़ गईं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये उधारी 2023 में नई मशीनरी की स्थापना सहित वैध पूंजी विस्तार गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सामान्य व्यावसायिक क्रम में लिए गए थे। जाँच अवधि में हुई हानियां यह सिद्ध करती हैं कि पाटित आयातों से प्रतिकूल कीमत निर्धारण दबाव के कारण ऐसे निवेश आय में परिवर्तित नहीं हुए हैं। अतः, यह तर्क कि उधारी का उद्देश्य कर से बचना या क्षति में हेरफेर करना था, पूरी तरह से निराधार है।
207. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि 19 नवंबर 2024 की अंतिम पीयूसी/पीसीएन अधिसूचना और प्रकटन विवरण के बीच विसंगतियां हैं, इस आधार पर कि आरंभ में शामिल कुछ मॉडलों (जैसे टीके2ए और टीके3ए) को प्रकटन विवरण में हल नहीं किया गया है, जबकि अधिसूचित क्षेत्र से बाहर के अन्य मॉडलों (जैसे एसटी89-1बी) को प्रकटन विवरण में शामिल किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतिम पीयूसी/पीसीएन अधिसूचना में स्पष्ट रूप से "अन्य" शीर्षक वाली एक अलग श्रेणी शामिल की गई है। इसमें प्रदान किए गए पीसीएन प्रकृति में सांकेतिक थे और उनका उद्देश्य केवल वर्तमान जांच के संदर्भ में पीयूसी की सटीक और निष्पक्ष तुलना को सुगम बनाना था। ये उदाहरण सभी उत्पाद श्रेणियों की संपूर्ण गणना नहीं करते थे। सॉलिड गाइड रेल और होलो गाइड रेल दोनों के लिए "अन्य" श्रेणी का समावेश यह सुनिश्चित करने के लिए एक जानबूझकर और तर्कपूर्ण उपाय था कि कोई भी श्रेणी स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है, परंतु विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आने से, विश्लेषण में विधिवत लिया गया था। इस प्रकार, उठाए गए तर्क पूरी तरह से निराधार और केवल काल्पनिक थे।
208. कच्चे माल की कीमत में अस्थिरता और मासिक मार्जिन गणना के मुद्दे के संबंध में, प्राधिकारी ने यह पाया कि जांच के दौरान किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने मासिक मार्जिन गणना का मामला नहीं उठाया। चूंकि इस मुद्दे का उल्लेख केवल प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में किया गया था और ऐसी गणनाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक आंकड़ों का अभाव है, इसलिए प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि मासिक मार्जिन गणना नहीं अपनाई जा सकती।
209. इस चिंता के संबंध में कि प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए पाटन और क्षति मार्जिन की गणना नहीं की, जिससे पीसीएन वर्गीकरण प्रक्रिया अप्रभावी हो गई और क्षति विश्लेषण की सटीकता कम हो गई,

यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वास्तव में पीसीएन-वार पाटन और क्षति मार्जिन गणनाएं की हैं। इसके अलावा, प्रकटन विवरण इन पीसीएन-वार मार्जिन के भारित औसत को दर्शाता है।

210. हल्के वजन वाली गाइड रेलों से संबंधित हितबद्ध पक्षों के निवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन अनुभाग के अंतर्गत इस मुद्दे की विस्तार से जांच की है।
211. यथा-मूल्य आधार पर शुल्क की सिफारिश के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी और इसका व्यापार माप की कई इकाइयों में होता है, जिनमें "संख्या", "सेट" या "किलोग्राम" शामिल हैं। घरेलू उद्योग के साथ-साथ चीन के निर्यातक भी "संख्या" या "सेट" में बीजक जारी करते हैं। निष्पक्ष तुलना करने के लिए, वर्तमान जाँच के प्रयोजनों के लिए माप की इकाई को भार (किलोग्राम) माना गया है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क की निश्चित दर के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिकारियों पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण करने में अनावश्यक बोझ और प्रशासनिक कठिनाई आएगी क्योंकि उन्हें आयातित ज्यामिति के प्रकार के आधार पर प्रत्येक शिपमेंट के भार की गणना करने की आवश्यकता होगी। यह भी संभावना है कि कुछ निर्यातक शिपमेंट का भार निकालने के लिए गलत आयाम घोषित कर दें, जिसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क का कम भुगतान हो सकता है। यदि कुछ निर्यातक शिपिंग दस्तावेजों में वजन घोषित भी कर देते हैं, तो भी उसकी सटीकता को सत्यापित करने प्रशासनिक रूप से कठिनाई होती है। इसलिए, विचाराधीन उत्पाद की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यथा-मूल्य आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना उचित समझता है।

ड. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

212. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:
- i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद टी-आकार के एलिवेटर/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल हैं, जिन्हें लिफ्ट गाइड रेल भी कहा जाता है। लिफ्ट गाइड रेल दो प्रकार के होते हैं, अर्थात् सॉलिड गाइड रेल और हॉलो गाइड रेल।
 - ii. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रकार और आयामों के टी-आकार के एलिवेटर/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल शामिल हैं:
 - क. कोल्ड-ड्रॉन गाइड रेल: टी65/ए, टी45/ए और टी50/ए कोल्ड-ड्रॉन गाइड रेल के सामान्य नाम हैं (जहां, नाम के अंत में /ए' कोल्ड-ड्रॉ प्रकार को इंगित करता है)।
 - ख. बड़े आकार/चौड़ाई की ठोस गाइड रेल, अर्थात् टी114/बी, टी127/बी, टी125/बी और टी140/बी विभिन्न प्रकारों में (अंत में 'बी' या 'बीई' मशीनी प्रकार और गुणवत्ता को दर्शाता है)
 - ग. वेल्डेड हॉलो गाइड रेल।
 - घ. पूर्ण लिफ्ट किट के भाग के रूप में आयातित टी-आकार की लिफ्ट/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल।

- ड. टी-आकार की लिफ्ट/लिफ्ट गाइड रेल के सहायक उपकरण जैसे बोल्ट, फिशप्लेट और क्लिप, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं हैं।
- iii. संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध सामान और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुएँ, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार एक-दूसरे के “समान वस्तुएँ” हैं।
- iv. भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन में अकेले घरेलू उद्योग का हिस्सा 89% है और समर्थक कंपनी का हिस्सा 95% है। इस प्रकार, यह विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन का अधिकांश हिस्सा है।
- v. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात कुल भारतीय मांग, कुल घरेलू उत्पादन, कुल आयात और उसके अपने उत्पादन की तुलना में नगण्य हैं, और भारतीय विनिर्माण को समर्थन और संवर्द्धन हेतु वैध कारणों से किए गए हैं।
- vi. संबद्ध देश के निर्यातकों के साथ संबंधों के संबंध में, याचिकाकर्ता और संबद्ध चीनी निर्यातक दोनों अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को परिभाषित करने और उनका पालन करने में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। याचिकाकर्ता भारतीय बाजार में स्वायत्त रूप से प्रचालन करता है, अपने स्वयं के उत्पादन और बिक्री पर केंद्रित रहता है, उसे पाटन से कोई लाभ नहीं हुआ है, और वह अनुचित व्यापार परिपाटियों के विरुद्ध सक्रिय रूप से निवारण की मांग कर रहा है, जबकि उसे हुई क्षति स्व-प्रभावित नहीं है। इसलिए, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत अपेक्षित शर्तों को पूरा करता है और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के आधार के मानदंडों को पूरा करता है।
- vii. संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है, और मार्जिन सकारात्मक और काफी हैं।
- viii. संबद्ध सामानों की मांग जांच की अवधि सहित संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में 71% की वृद्धि हुई है। भारत में विचाराधीन उत्पाद की लगभग 40% मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में पहले से ही कम हिस्सेदारी [***] से घटकर [***] हो गई है। घरेलू उद्योग उत्पादन का इष्टतम स्तर हासिल करने में असमर्थ रहा है।
- ix. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमतों में जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई है और वे घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत से कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक और काफी कीमत कटौती हुई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर आय में 2021-22 को छोड़कर संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान गिरावट देखी गई। आधार वर्ष में लाभ जांच की अवधि में घाटे में बदल गया।
- x. पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। क्षति मार्जिन काफी है।
- xi. पाटनरोधी शुल्क लगाने से ग्राहकों के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
213. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।

पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरू करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

214. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए गए अनुसार सामानों की सीआईएफ कीमत के प्रतिशत के रूप में, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख पांच वर्षों की अवधि के लिए चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप शीर्ष या प्रशुल्क मद*	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ के % के रूप में शुल्क
1	2	3	4	5	6	7
1	84313100, 84313910, 84313990, 73089090	टी-आकार की एलीवेटर /लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल**	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	माराज़ी (जियांग्सू) एलीवेटर गाइड रेल कंपनी लिमिटेड	24.11%
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	बूशी कोएनिग एलीवेटर एक्सेसरीज़ कंपनी लिमिटेड	31.20%
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	झेजियांग बोनली एलीवेटर गाइड रेल मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	32.26%
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	नीचे दी गई सूची के अनुसार गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक ***	26.10%
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई	क्रम संख्या 1 से 4 को छोड़कर कोई	51.87%

				देश	भी उत्पादक	
6	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	51.87%

*सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

** निम्नलिखित को हटाकर:

क. कोल्ड-ड्रान गाइड रेल: टी65/ए, टी45/ए और टी50/ए कोल्ड-ड्रान गाइड रेल के सामान्य नाम हैं (जहाँ, नाम के अंत में 'ए' कोल्ड-ड्रॉन टाइप को दर्शाता है)।

ख. बड़े आकार/चौड़ाई की सॉलिड गाइड रेल, अर्थात् टी114/बी, टी127/बी, टी125/बी और टी140/बी विभिन्न प्रकारों में (अंत में 'बी' या 'बीई' मशीनी प्रकार और गुणवत्ता को दर्शाता है)

ग. वेल्डेड होलो गाइड रेल।

घ. पूर्ण एलिवेटर किट के भाग के रूप में आयातित टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल।

ड. टी-आकार के एलिवेटर/लिफ्ट गाइड रेल के सहायक उपकरण जैसे बोल्ट, फिशप्लेट और क्लिप, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते हैं।

*** चीन जन.गण. के गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों की सूची-

क्र.सं.	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक
1	तियानजिन सवेरा एलेवेटर राइडिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड
2	सूज़ौ सवेरा शांगवु एलेवेटर राइडिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड
3	झांगजियागांग ऑस्कर एंड जेसन एलेवेटर पार्ट्स कंपनी लिमिटेड

ढ. आगे की प्रक्रिया

215. इस जांच परिणामों के निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(DEPARTMENT OF COMMERCE)****(Directorate General of Trade Remedies)****NOTIFICATION****New Delhi the 27th August, 2025****FINAL FINDINGS****Case No. AD (OI):12/2024**

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails" originating in or exported from China PR.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/14/2024-DGTR. —Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “the Rules”);

1. Whereas Savera India Riding Systems Company Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or “domestic industry” or “petitioner” or “Savera India”) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of an antidumping investigation on imports of T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods” or “PUC”) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification F. No. 6/14/2024-DGTR, dated 29th June, 2024, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from subject country in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
- i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.
 - ii. The Authority issued a public notice dated 29th June 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from the subject country.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 29th June 2024, to the Governments of the subject country, through their Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - iv. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through their Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.
 - v. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers to submit their responses to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
 - vi. The Authority sent exporter's questionnaire to the known producers/ exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - vii. In response to the initiation notification, the following producers/exporters from the subject country registered themselves as interested parties in the investigation:

S.No.	Producer/Exporter
1.	Wuxi KOENIG Elevator Accessories Co., Ltd.
2.	Tianjin Savera Elevator Riding Systems Co., Ltd.
3.	Suzhou Savera Shangwu Elevator Riding System Co., Ltd.
4.	Marazzi (Jiangsu) Elevator Guide Rail Co., Ltd.
5.	Zhangjiagang Oscar & Jason Elevator Parts Co., Ltd.
6.	Zhejiang BONLY Elevator Guide Rail Mfgr. Co., Ltd
7.	Zhangjiagang Xinlin Machinery Co., Ltd.

- viii. The Authority sent Importer's / User's Questionnaire to the known importers of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- ix. In response to the initiation of notification, the following importers/users registered themselves as interested parties:

S.No.	Importers/Users
1.	Bhumi Associates
2.	Kone Elevator India Private Limited
3.	Otis Elevator Company (India) Limited
4.	Johnson Lifts Private Limited
5.	Techno Industries Pvt. Ltd.
6.	Omega Elevators
7.	Hybon Elevators
8.	SSJ Enterprises
9.	Index System India Pvt. Ltd.
10.	Asian Elevators
11.	KSD Equipments Pvt. Ltd.
12.	TK Elevator India Private Limited
13.	Harshal Control System Pvt Ltd & Echar Elevator Fixtures
14.	Monteferro India Guiderails and Elevator parts private Limited
15.	Karma Enterprises
16.	Bhagyanagar Steel Industries
17.	SAMAX Engineering
18.	Sanjay Enterprise
19.	Schindler India Pvt. Ltd.

- x. A copy of the initiation notification and a non-confidential version of the application was sent to the known associations.
- xi. In response to the initiation of notification, the following associations have registered themselves as interested parties:

S.No.	Associations
1.	China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)
2.	Indian Electrical & Electronics Manufacturers' Association (IEEMA)
3.	Elevator & Escalator Component Manufacturers' Association of India (EECMAI)

- xii. Further, of these, CCCME and EECMAI made their respective submissions. The Authority has carefully considered and taken note of all these submissions.
- xiii. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to or not supplied relevant information to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- xiv. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to all the known producers and exporters, importers, and the applicant. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry.
- xv. The period of investigation (“period of investigation” or “POI”) for the purpose of the present investigation is 1st January 2023 to 31st December 2023 (12 months). The injury period will cover the period of investigation and the three preceding financial years 2020-21, 2021- 22, 2022-23.
- xvi. The Directorate General of Systems (DG Systems) was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the past injury investigation period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered for the subject investigation. For the purpose of the present final findings, the Authority has relied upon the DG System import data.
- xvii. The Authority held a meeting with all the interested parties to discuss the product under consideration and the PCN methodology on 04th September 2024. After receiving input from all the interested parties, the Authority vide notification dated 19th November 2024 clarified the scope of the PUC and also notified PCN.
- xviii. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of the interested parties to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this Final Findings.
- xx. The Authority sought further information to the extent deemed necessary. The on-site verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the domestic industry in its analysis in the present case.

- xxi. The Authority sought further information from the other interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- xxii. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the actual data/information furnished by the domestic industry. Optimization is done on the basis of the maximum capacity utilization projected to be achieved by the domestic industry. NIP based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry and in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xxiii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 8th April, 2025. Further, a second oral hearing was held on 26th May 2025 due to change in the Designated Authority. The parties, which presented their views in both the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions submitted by them with the other interested parties.
- xxiv. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 04th August 2025. The parties were requested to file the comments on disclosure statement if any by 10th August 2025 and further extended timeline for filing the comments by 11th August 2025, vide email dated 08th August 2025.
- xxv. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- xxvi. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- xxvii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- xxviii. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- xxix. ‘***’ in these final findings represent information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxx. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs 83.52.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“3. The product under consideration in the present investigation is T-shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rail, which are also known as Lift Guide Rails. Lift Guide Rails are of two types i.e., Solid Guide Rails and Hollow Guide Rails. Solid Guide Rails are T-shaped Guide Rails manufactured by machining or by cold-drawing T-profiles and are used for car guide rail applications and counterweight /balancing weight guide rail applications. Hollow Guide Rails are made of formed sheet metal and can be either open profiles or closed profiles and are used for counterweight / balancing weight guide rail applications. The PUC provides a guiding structure to ensure smooth and safe travel of the elevator car and counterweight/balancing weight.

4. The scope of the PUC includes T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails of all types and dimensions, excluding the following:

*i. **Cold-Drawn Guide Rails:** These solid guide rails are manufactured through a cold-drawing process, which gives the final dimensions of the finished guide rails and modifies their mechanical properties and the surface characteristics (roughness).*

*ii. **Solid Guide Rails of large sizes / widths,** i.e., T114/B, T127/B, T125/B and T140/B in different variants. These guide rails are referred to as special guide rails due to their large size.*

*iii. **Welded Hollow Guide Rails:** These hollow guide rails are manufactured by welding the edges of the hollow guide rails normally by high frequency welding process or another equivalent welding process*

5. The product under consideration is classifiable under Chapter 84, under the tariff heading 8431 and the tariff item 8431 31 00 “Of lifts, skip hoists or escalators” and 8431 39 10 “Of elevators, conveyors and moving equipment” of the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The subject goods are also imported under tariff item 8431 39 00 “Others”. However, the petitioner has claimed that there is possibility of import of the product under consideration under any other heading / tariff item. Therefore, the tariff item for the product under consideration is only indicative and in no way binding upon the product scope.

6. The petitioner has proposed the following product control number (PCN) for the product under consideration for fair comparison:

S.No.	Parameter	Type	PCN Code
1	Type of Guide	Solid Guide Rails	SGR

2	<i>Rails</i>	<i>Hollow Guide Rails</i>	<i>HGR</i>
---	--------------	-------------------------------	------------

C.1. Submissions by other interested parties

5. The other interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration:
 - i. Hollow closed profiles manufactured with a continuous welded seam are not produced by the domestic industry and differ significantly in manufacturing process and technical specifications from other types of guide rails. These must be excluded from the scope of the investigation.
 - ii. All Hollow Guide Rails, whether welded or non-welded, differ in characteristics, application, and design from Solid Guide Rails. They are made from formed sheet metal and used exclusively in counterweight systems of moderate or small weight without safety gears, as they cannot withstand high compressive loads. Accordingly, all Hollow Guide Rails should be excluded from the scope of the investigation.
 - iii. T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails that are imported as part of complete elevator systems or spare kits do not have a separate identity or valuation. These components are not assessed independently and should be excluded from the scope of the investigation.
 - iv. Accessories such as Bolts, Clips, and Fishplates are distinct commercial items that are typically sold along with the product under consideration. These accessories fall under different tariff classifications and serve separate functional roles. An express clarification is required to exclude these accessories from the scope of the investigation.
 - v. Cold-drawn Guide Rails and Solid Guide Rails of size T114 and above have already been excluded in the notice of initiation. This exclusion must be confirmed and retained in the final scope.
 - vi. Significant differences exist between Solid and Hollow Guide Rails in terms of cost structure, applications, design parameters, and processing methods. These differences necessitate separate treatment under the scope of the investigation and the adoption of distinct PCN methodologies to prevent distorted comparisons.
 - vii. Finalization of the product scope and PCN methodology is essential to enable accurate preparation of questionnaire responses. The deadline for submission of responses should be extended to 30 days from the date of finalization of the product scope and PCN structure.
 - viii. The petitioner does not manufacture T-90 Guide Rails, a fact confirmed by the petition, which only references production up to T-82. Accordingly, T-90 should be excluded from the scope of the investigation.
 - ix. The other interested parties have submitted that the EIQ filed on 26 December 2024 contains submissions stating that the petitioner does not manufacture T-90 Solid Guide Rails. Accordingly, the petitioner's claim that the request to exclude T-90 from the scope of the PUC was made beyond the prescribed timelines is misleading.
 - x. The principle of exclusion finds strong support in the CESTAT judgment in Technova Imaging Systems Pvt. Ltd. v. Designated Authority (AD/51425/2022), where the tribunal established that mere production of a product is not enough for a product to be included in the scope of the PUC;

the petitioner must show that it has catered to a certain amount of demand for that product for it to be included.

- xi. The other interested parties claimed that even a 1mm dimensional variation significantly affects raw material selection, production processes, engineering specifications, requires different raw materials, machining, moulds and impacts load-bearing capacity and cost structure.
- xii. The interested parties also submitted that the domestically produced subject goods suffer from issues of inadequate tensile strength and ductility, resulting in deformation under operational stress. It has also been contended that the domestic industry supplies guide rails in non-standard lengths of 14 to 15 feet, as opposed to the ISO 7465 prescribed standard length of 5000 mm, leading to installation inefficiencies, material wastage, and increased procurement costs.
- xiii. The product under consideration is a critical component that directly impacts on the overall safety and operational efficiency of an elevator system. Regrettably, several user industry members have consistently faced quality concerns with respect to rail joints. These imperfections do not compromise the riding experience but may also raise safety concerns, especially in high-rise applications where seamless alignment is essential.
- xiv. -90TFindings of the SVB and the higher pricing of imported goods support this. In contrast, domestic products may not consistently meet the precision standards necessary for elevator safety, and lower quality products pose risks to performance and public safety.
- xv. Imports of the product under consideration are driven by the need for reliable supply and responsiveness to demand, rather than price considerations. Multiple orders placed with domestic suppliers have allegedly resulted in deficient quantities being supplied, reportedly due to material shortages, leading to project delays and reputational damage.
- xvi. Raw material procurement, particularly steel, faces bottlenecks, causing production delays and straining supply chains, thereby limiting domestic production capacity.
- xvii. Several orders were placed with the domestic industry; however, these were supplied in deficient quantities. The deficient supply from domestic industry led to delays in the company's projects, despite several follow-ups, with the domestic industry citing material shortages as the reason. These delays resulted in reputational damage and loss of face before customers.
- xviii. Additionally, the products supplied by the domestic industry did not match the specifications and standards desired by customers, leading to order losses.
- xix. Some Chinese producers have supplied under-specification, shrunken-sized guiderails, compromising product integrity and safety. Shrunken-sized guiderails and weak counterweight systems, although technically compliant with standards, pose hidden threats and affect all elevator companies due to widespread outsourcing.
- xx. The interested parties submitted that petitioner's claim of lacking positive evidence on quality and safety issues is unfounded. The detailed technical evidence has already been submitted to the Authority via email, addressing rail joint quality, tensile strength and compliance with standardized dimensions.

C.2. Submissions made by the domestic industry

6. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration:

- i. The scope of the product under consideration in the present investigation is T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails. The product under consideration is primarily of 2 types i.e., Solid Guide Rails and Hollow Guide Rails.
- ii. Solid Guide Rails are T-shaped Guide Rails manufactured by machining or by cold-drawing T-profiles. Hollow Guide Rails are made of formed sheet metal and can be either open profiles or closed profiles. Hollow closed profiles are made by welding a continuous seam along the guide rail.
- iii. Guide Rails are essential safety components in an elevator, that forms the track that ensures safe operation by guiding the car and the counterweight / balancing weight of the elevator/lift in vertical direction in the hoist way.
- iv. The scope of product under consideration excludes cold-drawn guide rails, solid guide rails of larger sizes and closed profile welded hollow guide rails.
- v. The PCNs suggested by the domestic industry encompass all the parameters that can lead to a difference in cost. No further PCN parameters are required since the entire data for the purpose of this investigation has been converted into weight.
- vi. Welded hollow guide rails are already excluded from the scope of the product under consideration. There is no objection to a clarification that “closed profile” welded hollow guide rails are also excluded from the scope of the product under consideration.
- vii. Complete elevators with T-shaped Rails have never been considered as part of the product under consideration in the application. These are classified under a different tariff subheading along with complete machinery. Therefore, it may be clarified that such elevators are excluded from the scope of the product under consideration.
- viii. Spare kits containing product under consideration cannot be excluded from the scope of the product under consideration. Such kits often include product under consideration along with other parts like wheels, rollers, pulleys, fishplates, brake shoes, and fasteners. These are not part of complete machinery and are classified separately. Excluding spare kits would lead to circumvention of anti-dumping duty.
- ix. Descriptions in import documents clearly show that product under consideration is being imported as spare parts and accessories for elevators. Each component, including the product under consideration, is shown separately with quantity and value, confirming that they are being traded individually, not as part of complete elevators.
- x. If spare kits are excluded from the scope, it will encourage importers to bring in the product under consideration labelled as part of a spare kit, which will lead to circumvention of anti-dumping measures.
- xi. Import transactions described as spare parts were never excluded from the scope of the petition, and the risk of circumvention through such imports has been recognized in other cases as well.
- xii. Open profile hollow guide rails are manufactured by the domestic industry. Dumped imports of these products from the subject country have caused material injury. Hence, open profile hollow guide rails must remain within the scope of the product under consideration.
- xiii. Selling price is not a relevant parameter for PCN classification. It is affected by various factors like market type, order size, and customer terms, and therefore does not accurately reflect cost differences.

- xiv. No significant cost difference exists among different models of Solid or Hollow Guide Rails when data is considered in metric tons. The only notable cost difference is between Solid and Hollow types overall, which has already been accounted for by suggesting the PCNs as Solid and Hollow Guide Rails.
- xv. Data on the PCN parameters proposed by other parties is not available in import records or producer/exporter invoices. The proposed parameters are impractical to apply due to data limitations.
- xvi. No evidence has been shared publicly to support the proposed PCN parameters by the interested parties, which prevents a fair opportunity for rebuttal. This lack of non-confidential versions of evidence infringes on the right to defend.
- xvii. T45 Solid Guide Rails are already excluded from the scope as they are cold drawn. Therefore, no comparison arises with covered Solid Guide Rails like T70.
- xviii. All Solid Guide Rails must be manufactured using standardized steel grade E 275 B as per international standards. No other steel grades are used that could create cost variation.
- xix. The data for the product under consideration can and should be reported in weight. The product has standard per meter weight specifications as per international norms, making it feasible and appropriate to report all data in metric tons.
- xx. The domestic industry has submitted that the standard length of the product under consideration is 5 meters and cut-length guide rails are produced only upon specific customer requests, with the majority of sales being in the standard 5-meter length.
- xxi. Submissions concerning the performance, consistency, and safety of domestically produced product under consideration such as claims relating to rail joint quality, supply inconsistency, tensile strength, and deviations from standard lengths are general in nature and unsupported by any documentary evidence, empirical data, or technical validation. In the absence of affirmative and objective substantiation, such claims are speculative and lack credibility.
- xxii. To support the quality of the domestically produced product, a Supplier Quality Evaluation Certificate from Johnson has been submitted. This certificate assesses the overall performance of domestic industry as satisfactory and contradicts the negative assertions being made. The certificate has also been provided to the Authority.
- xxiii. The communications and documents, primarily those cited in support of claims related to order fulfilment and material shortages, have not been placed on the non-confidential record. There is no valid justification for withholding these documents, especially when specific references to such communications have been made.
- xxiv. In the absence of disclosure of these documents, the ability to respond is materially prejudiced, which undermines the principles of natural justice and due process. It is requested that the Authority direct the placement of all such documents on the non-confidential record. Until such time, no evidentiary weight should be attributed to the related portions of the submission, and the right to comment on the same is expressly reserved.
- xxv. The reference made to SVB proceedings is entirely misplaced and has no relevance to the ongoing anti-dumping investigation.
- xxvi. The request to exclude T-90 Solid Guide Rails from the scope of the PUC, raised during the oral hearing by other interested parties, is procedurally inadmissible as it was made well beyond

the prescribed timelines set by the Authority. Despite multiple opportunities, including written submissions and a meeting for determining the scope of PUC and PCN methodology, no such request was made within the stipulated deadline, making this belated request a clear violation of procedural requirements.

- xxvii. The petitioner has submitted that it possesses the technical capability, infrastructure, and resources to manufacture T-90 Solid Guide Rails. The petitioner has not produced T-90 Solid Guide Rails only because it has not received orders from customers.
- xxviii. The petitioner has not included freight costs in the calculation of either the normal value or the non-injurious price.

C.3 Examination by the Authority

7. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the product under consideration have been examined as under:
8. The Authority had granted an opportunity to all the interested parties to file their submissions on the scope of the product under consideration and PCNs. In the initiation notification, the Authority invited all the interested parties to provide comments on the product under consideration and the PCNs within 15 days of initiation of the present investigation. The Authority subsequently held a meeting on 04th September 2024 to discuss the scope of the product under consideration and the PCNs. Post the meeting, the Authority directed all the interested parties to provide their comments on scope of product under consideration and PCNs by 09th September 2024.
9. The Authority examined all the comments made by the domestic industry and the interested parties concerning the scope of the product under consideration and proposal on the PCN in the present investigation and notified the product under consideration scope and final PCN on 19th November 2024.
10. The interested parties have made submissions requesting the exclusion of Closed Profile Hollow Guide Rails formed by welding a continuous seam along the length of the rail. The Authority notes that the domestic industry has explicitly excluded Welded Hollow Guide Rails from the product under consideration scope in its application. In light of this, and for the purpose of clarity, the Authority affirms that such Closed Profile Welded Hollow Guide Rails are not within the scope of the present investigation.
11. The Authority has reviewed submissions concerning the inclusion of complete elevators containing T-Shaped Rails and spare kits comprising guide rail components. The Authority clarifies that T-Shaped Guide Rails, when imported as a part of the complete elevator units, are not under covered under the scope of the PUC.
12. However, the Authority also notes that spare kits, which may include individual guide rail components such as wheels, fishplates, and fasteners, when imported separately, could facilitate circumvention of anti-dumping measures. Therefore, while the Authority confirms the exclusion of complete elevators containing guide rails from the PUC scope, spare kits containing product under consideration with other components are retained within the scope of the present

investigation.

13. The Authority notes that the request for exclusion of T-90 Guide Rails from the scope of the product under consideration has been made at the stage of written submissions after the oral hearing, and not during the designated period for submitting comments on the scope of the product under consideration and proposed PCNs. In the initiation notification dated 29th June 2024, the Authority had invited all interested parties to provide their comments on the product under consideration and PCNs within 15 days of initiation. A meeting was held on 04th September 2024 to further deliberate on these issues, and the deadline for filing comments was extended to 09th September 2024. No request for exclusion of T-90 Solid Guide Rail was made by the interested parties during this prescribed period. Further, the claim of the party that T-90 Solid Guide Rail exclusion was sought in the EIQ filed on 26th December 2024, the Authority notes that the EIQ submissions only states that the domestic industry does not manufacture T-90 Solid Guide Rail and has nothing with respect to exclusion of the same. Despite the delayed submissions on exclusion of T-90, the Authority has analyzed the same and notes that the domestic industry has the capability of producing T-90 Solid Guide Rail, if the customer places order for supplying the same. The Authority further notes that T-90 Solid Guide Rail is not the standard guide rail and produced on the specific demand of the users.
14. Further, the interested parties have also requested for exclusion of all Hollow Guide Rails, based on their structural resemblance to general hollow profiles and alleged differentiation from solid rails. It is noted that Open Profile Hollow Guide Rails are produced by the domestic industry and therefore, the Authority finds no merit in the arguments of the interested parties and retains the Open Profile Hollow Guide Rails, in the product under consideration scope.
15. The Authority notes the submissions indicating that the product under consideration refers specifically to T-Shaped Guide Rails and does not include accessories such as bolts, clips, and fishplates. The Authority confirms that accessories such as bolts, clips, and fishplates are functionally distinct and do not form part of the product under consideration. Accordingly, these items are excluded from the scope of the investigation.
16. The interested parties have alleged that the domestic industry predominantly supplies guide rails in non-standard lengths of 14 to 15 feet i.e. less than 5 meters. The petitioner has clarified that 5 meters is, in fact, the standard production length, and cut-length guide rails are manufactured only to meet the specific customer requirements. Sales data provided by the domestic industry also supports this assertion, showing that the majority of sales are of 5-meter guide rails. In view of this, the Authority finds no merit in the claim that the domestic industry does not supply the product under consideration in standard lengths as per ISO 7465.
17. With respect to the issue raised by the interested parties that imported products conform to superior international standards and are of high quality whereas, the domestic products may not consistently meet the precision standards necessary for elevator safety, and lower quality products pose risks to performance and public safety, the Authority notes that no positive evidence has been placed on record to support this claim.
18. Issues have been raised by the interested parties that the imports of the product under

consideration are driven by the need for reliable supply and responsiveness to demand, rather than price considerations. It was also alleged that the domestic suppliers either failed to supply or supplied in deficient quantities and that led to material shortages, leading to project delays and reputational damage. The matter has been examined by the Authority, and it is noted that no positive evidence has been placed on record to support this claim. Further, the imposition of antidumping duty will not result in restriction of the imports of the PUC in the country.

19. The interested parties have contended that raw material procurement, particularly steel, faces bottlenecks, causing production delays and straining supply chains, thereby limiting domestic production capacity. It is noted that the interested parties have not provided any positive evidence to demonstrate that the domestic industry faced bottlenecks in procuring raw materials.
20. The interested parties have contended that several orders were placed with the domestic industry; however, these were supplied in deficient quantities. The Authority notes that the incidence referred to by the interested parties pertains to the year 2009, which is too old a period to derive any meaningful conclusion in the present investigation.
21. The interested parties have contended that the products supplied by domestic industry did not match the specifications and standards desired by customers, leading to order losses. The domestic industry clarified the issue and stated that 10 pieces of T70 were inadvertently delivered to Johnson in place of T75 as part of their bulk supply. This was not a technical issue but purely an administrative oversight. The matter was promptly identified, and appropriate corrective actions were implemented to prevent recurrence. It is noted that the issue has been resolved by the petitioner and reading of Quality Evaluation Certificate provided by Johnson to petitioner reveals that Johnson has considered Savera India's overall performance as satisfactory.
22. Following the disclosure, the Authority observed that certain importers had also brought in the PUC using an additional HS code 7308 90 90. It was also noted that there was a typographical error in one of the HS codes i.e. 8431 39 00 in the initiation notification. The HS code 8431 39 90 was inadvertently recorded as 8431 39 00. Accordingly, the Authority has corrected the said HS code in the present finding and considered HS codes 8431 31 00, 8431 39 10, 8431 39 90, and 7308 90 90 for the purpose of assessing the import volume and value of the PUC. This assessment has been thoroughly examined in the injury analysis section.
23. In view of the foregoing, the scope of the product under consideration is as follows:

“The product under consideration in the present investigation is T-shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails, which are also known as Lift Guide Rails. Lift Guide Rails are of two types i.e., Solid Guide Rails and Hollow Guide Rails. Solid Guide Rails are T-shaped Guide Rails manufactured by machining or by cold-drawing T-profiles and are used for car guide rail applications and counterweight / balancing weight guide rail applications. Hollow Guide Rails are made of formed sheet metal and can be either open profiles or closed profiles and are used for counterweight / balancing weight guide rail applications. The PUC provides a guiding structure to ensure smooth and safe travel of the elevator car and counterweight/balancing weight.

The scope of the PUC includes T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails of all types and dimensions, excluding the following:

*i.) **Cold-Drawn Guide Rails:** These solid guide rails are manufactured through a cold-drawing process, which gives the final dimensions of the finished guide rails and modifies their mechanical properties and the surface characteristics (roughness). These guide rails can be used for the car and the counterweight / balancing weight. T65/A, T45/A and T50/A are usual designations of Cold-Drawn Guide Rails (where, /A' at end of the nomenclature indicates cold-drawn type).*

*ii.) **Solid Guide Rails of large sizes / widths,** namely, T114/B, T127/B, T125/B and T140/B in different variants (/B' or 'BE' at the end indicates machined type and quality). These guide rails are referred to as special guide rails due to their large size.*

*iii.) **Welded Hollow Guide Rails:** These hollow guide rails are manufactured by welding the edges of the hollow guide rails normally by high frequency welding process or another equivalent welding process.*

*iv.) **T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails** imported as a part of a complete elevator kit.*

*v.) **The accessories of T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails** such as – Bolts, fishplates and clips are not in the scope of the PUC.*

24. Further, it is noted that the product produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject country. The products produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The imported goods and the goods produced by the domestic industry are used interchangeably. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product imported into India.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submissions made by the other interested parties:

25. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
- The petitioner imported the subject goods from related foreign producers/exporters in China, namely Tianjin Savera Elevator Riding Systems Co. Ltd., Suzhou Savera Shangwu Elevator Riding Systems Co. Ltd., and Tianjin Sunrise Machinery Components Manufacture Co. Ltd. These entities are part of the same corporate group, under common ownership and control, with interlocking directorships. This creates a related relationship between the petitioner and the exporters.
 - The petitioner has imported a significant volume of subject goods from its related Chinese exporters. This dual role as both producer and importer raises doubts about the petitioner's qualification as an independent domestic producer.

- iii. The petitioner's claim that its imports are "miniscule" is contradicted by factual data. The petitioner imported approximately 848 MT of the subject goods, representing 5-7% of its own production, which is not negligible. These imports also account for 10-12% of the total imports of the product into India during the POI.
- iv. The petitioner also imported approximately 1100 MT of cold drawn and solid guide rails from related producers in China, showing a pattern of substantial imports from related foreign entities.
- v. Some interested parties have submitted that the import volumes as low as 3-5% have been acknowledged as significant in recent cases. The petitioner's import volumes, frequency, and pattern are material and should not be considered insignificant.
- vi. The petitioner's preference for importing solely from related entities, despite the availability of non-related producers, raises further concerns.
- vii. The petitioner acknowledges importing the subject goods, despite characterizing these imports as "minuscule." The stated reasons for these imports are enhancing understanding of the product, improving manufacturing processes, and supporting localization and product reengineering efforts.
- viii. Common directors between Savera India and the Chinese exporters suggest common ownership and control, raising concerns regarding the petitioner's independence.
- ix. Some interested parties have submitted that contrary to the petitioner's claim of "minor imports," third-party data indicates that the petitioner imported approximately 2,190 MT of the subject goods during the POI. This represents nearly 5% of the total imports of the product into India, which is not negligible.
- x. The Authority may disregard producers of the product under consideration from the definition of the domestic industry if they have imported the alleged dumped article themselves. The petitioner has imported the product under consideration from related parties in the subject country. The petitioner's substantial import volumes, combined with its affiliations with Chinese exporters, significantly undermine its status as part of the domestic industry.
- xi. The import data shows that the petitioner has consistently imported various grades of the product under consideration during the POI and the injury investigation period. These imports exceed [5%] of the total imports from the subject country, disqualifying Savera India from qualifying as the domestic industry in this investigation.
- xii. Financial statements of Savera India show material related party transactions, indicating that both the product under consideration and its raw materials are imported from these related entities.
- xiii. All related parties, including Savera India, are controlled by a common European parent entity. This common control aligns the commercial interests of the petitioner and the exporters from the subject country, undermining the petitioner's independence.
- xiv. Under Rule 2(b), producers who are related to exporters or importers of the alleged dumped article, or who import the product themselves, may be excluded from the domestic industry. Given the significant import activities and close affiliation with exporters from the subject country, the petitioner falls under this exclusion.

- xv. The petitioner identifies Nav Durga Steel Corporation as an “Other Indian Producer,” yet also states that Nav Durga has ceased operations for the past two years, creating a clear inconsistency. The Authority is therefore requested to seek clarification from the petitioner on this contradiction.

D.2 Submissions made by the domestic industry

26. The submissions of the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:
- i. The petitioner satisfies the criteria of 'domestic industry' as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, being a domestic producer of the product under consideration, whose collective output constitutes a major proportion of total domestic production.
 - ii. The petitioner accounts for 89% of the total domestic production of the product under consideration in India. Along with N. Liftee, it constitutes 95% of total production of the product under consideration in India.
 - iii. The petitioner has imported small volumes of the product under consideration from its affiliated exporters in China PR during the POI.
 - iv. No imports of the product under consideration from China PR were made during other years of the injury period. The petitioner primarily focuses on manufacturing and selling in India.
 - v. The volume of imports during the POI was very low, constituting only a minimal share in comparison to the petitioner's production, sales, and total imports.
 - vi. The discretion available to the Designated Authority is circumstantial and case-specific, as noted by the Hon'ble High Court of Gauhati in Century Plyboards (I) Ltd. vs. Union of India (2022 SCC OnLine Gau 643) and the WTO's Panel Report in 'European Communities - Definitive Anti-Dumping Measure on Certain Iron or Steel Fasteners from China' (DS 397).
 - vii. The Hon'ble High Court of Calcutta, in State of Gujarat Fertilizers & Chemicals Limited vs. The Designated Authority (2012 SCC OnLine Cal 8071), upheld that a domestic producer can still be part of the domestic industry despite importing up to 15% of total production, provided the imports were not for exclusive trading purposes.
 - viii. In past final findings, the Authority assessed the volume of imports made by the petitioner(s), their domestic production, sales, and the total market demand in India. The Authority further considered whether the domestic producer's primary focus was on manufacturing and selling the product under consideration, not importing or trading the product.
 - ix. The petitioner's small volume of imports during the POI was to enhance product understanding, support localization, and assess quality against established standards. These imports represent a negligible share of total production, sales, and imports.
 - x. In 2023, the petitioner expanded its product under consideration production capacity, reflecting its focus on manufacturing rather than trading.
 - xi. The petitioner does not have a direct relationship with the exporters of the product under consideration from China. However, the petitioner is part of the Savera group, which includes affiliated manufacturing companies in China that produce the product under consideration.
 - xii. The petitioner has common directors with the three Chinese exporters, but this does not imply influence over the petitioner's operations in India.

- xiii. The petitioner's operations in India are independent, and it directly competes with the related Chinese exporters in the Indian market.
- xiv. The petitioner has initiated the current anti-dumping petition against the related Chinese exporters, demonstrating independence in its business decisions.
- xv. Rule 2(b) grants discretion to the Designated Authority to determine whether a domestic producer related to an exporter should still be considered part of the domestic industry, based on case-specific circumstances.
- xvi. In past investigations such as Viscose Staple Fibre and Soda Ash, the Designated Authority has considered various factors to assess whether a domestic producer related to an exporter should be excluded from the domestic industry. These factors include whether the related parties behave differently from unrelated parties, whether dumping is intensified, and whether the injury is self-inflicted.
- xvii. The petitioner faces competition from both the related Chinese exporters and other Chinese exporters and has suffered material injury due to price undercutting, loss of market share, and financial distress.
- xviii. The petitioner seeks the imposition of anti-dumping duties to restore fair competition in the Indian market.
- xix. The petitioner has not contributed to or intensified dumping in the market. The imports were minimal, made for product testing and reengineering, not for increasing market share through dumping.
- xx. The petitioner has not shielded from the effects of dumping. Instead, it has been adversely impacted by dumped imports, as evidenced by a decrease in market share and financial distress.
- xxi. The injury suffered by the petitioner is not self-inflicted. It is a direct result of the dumped imports, and the petitioner is seeking a remedy through anti-dumping duties to protect itself from unfair trade practices.

D.3 Examination by the Authority

27. The issues raised by the other interested parties and the domestic industry with respect to the domestic industry's standing have been examined below:
28. The application was filed by Savera India Riding Systems Company Private Limited ("Savera India" or "applicant" or "domestic industry"). Apart from Savera India, there are other two producers of the subject goods in India namely:
 - N. Liftee Engineers
 - Nav Durga Steel Corporation
29. N. Liftee Engineers supported the application and provided details of its capacity, production, sales volume and value. The domestic industry has submitted that Nav Durga Steel Corporation has closed its production facilities two year ago due to aggressive dumping of subject goods from China. It is noted that Savera India alone constitutes 89% of the total domestic production of product under consideration in India and 95% with the supporter company.
30. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as below:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

31. For the purposes of Rule 2(b), producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if, -

“(a) one of them directly or indirectly controls the other; or

(b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or

(c) together they directly or indirectly control a third person subject to the condition that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from nonrelated producers.

Note: For the purpose of this Explanation, a producer shall be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.”

32. The Anti-Dumping Agreement, in Article 4, defines domestic industry as follows.

“4.1 For the purposes of this Agreement, the term “domestic industry” shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that: (i) When producers are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term “domestic industry” may be interpreted as referring to the rest of the producers;”

33. Footnote 11 further clarifies the meaning of related as follows:

“11. For the purpose of this paragraph, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if (a) one of them directly or indirectly controls the other; or (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or (c) together they directly or indirectly control a third person, provided that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producer concerned to behave differently from non-related producers. For the purpose of this paragraph, one shall be deemed to control another when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.”

34. The petitioner has submitted that it is part of a globally established group headquartered in Spain, with manufacturing operations in multiple jurisdictions, including India and China. The petitioner has also provided details of its affiliated entities in China and identified the entities i.e. Tianjin Savera Elevator Riding System Co. Ltd. (**“Tianjin Elevator”**), Suzhou Savera Shangwu Elevator Riding System Co., Ltd. (**“Suzhou Elevator”**), and Tianjin Sunrise Machinery Components Manufacture Co. Ltd. (**“Tianjin Sunrise”**) that exported the subject goods to India during the POI. Additionally, the petitioner has also provided the information regarding the shareholding structure and the composition of the board of directors of both itself and its

affiliated Chinese exporting entities. It is noted that the petitioner has not disputed the existence of a relation between itself and the affiliated Chinese producers/exporters of the product under consideration.

35. After examining the information provided by the petitioner, it is noted that the petitioner is related to Chinese entities under the explanation (b) of proviso to Rule 2(b) of the Rules, as both of them are directly or indirectly controlled by a third person. In the present case, Savera India and Chinese affiliated exporters are directly or indirectly are controlled by [***], the ultimate holding company in Netherlands.
36. The Authority notes that Rule 2(b) merely refers to a possible situation where a domestic producer may be treated as ineligible. Since no prescriptions or conditions have been laid down under the Rules, the Authority examines possible situations where the Authority may treat domestic producers as eligible or ineligible despite the relationship with the exporters in the subject countries. Rather than being applied in a mechanical manner, the rule needs to be applied after due appreciation of the facts of the case and testing if the relationship is being used to influence the market.
37. The Authority has addressed the issue of relationship at length in the anti-dumping investigation concerning the import of ‘Viscose Staple Fibre excluding Bamboo Fibre’ originating in or exported from China PR and Indonesia (No. 14/6/2009-DGAD dated 17th May 2010), and in the case of Soda Ash originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine, and the USA (No. 14/17/2010-DGAD). The AD Rules have indeed been modified from “shall” to “may” solely to grant discretion to the Authority in situations where a domestic producer is itself an importer or is related to an importer or a foreign exporter. Furthermore, a detailed examination of the present issue has also been undertaken in the recently concluded anti-dumping investigations into imports of Isobutylene-Isoprene Rubber originating in or exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore, and the United States of America (F. No. 6/05/2023), and “Halobutyl Rubber (HIIR)” originating in or exported from Japan, Russia, Singapore, the United Kingdom, and the United States of America (Case No. AD(OI)-18/2023).
38. The Authority has now examined, in the following paragraphs, whether the relationship between Savera India and the Chinese affiliated entities has influenced the market with the intent of benefiting from the dumping:
 - a. Whether the behaviour of the related parties is distinguishable from unrelated parties;
 - b. Whether there is any indication that the domestic producer has triggered or intensified dumping in the market;
 - c. Whether the domestic producer is shielded from the effects of dumping or derives undue benefit from it;
 - d. Whether the domestic producer is seeking to stifle the competition in the Indian market;
 - e. Whether the injury suffered, if any, is self-inflicted due to a shift in business model from manufacturing to trading.
39. The Authority considers that, apart from being a related party, it is also important to evaluate

the impact of any exports made by the related party in a given case. It is necessary to determine whether the related party exported the product to India during the period in question, and if so, what impact this has on the claims of injury. If not, whether there is any other justification for its exclusion must also be considered. In cases where the related party has exported the subject goods, the following factors also need to be evaluated:

- a. The volume of exports made by such related party;
 - b. The purpose of such exports made by the related party;
 - c. Whether there is any evidence to show that injury to the was attributable to such exports by the related party;
 - d. Whether the general emphasis of the related domestic producer was on the production of the subject goods or whether the general emphasis gradually or steadily shifted to imports;
 - e. Whether the volume of exports by such related parties were such that the related exporter is gradually or steadily substituting the unrelated domestic producers' market;
 - f. Any other factor which might have been brought to the notice of the Authority by the interested parties during the course of the proceedings.
40. The Authority notes that the petitioner has actively pursued remedial measures against all exporters from the subject country, including its own affiliates. This is not consistent with any pattern of behavior that might suggest collusion or alignment of interests. The petitioner's commercial conduct has remained independent and focused on production. The expansion of manufacturing capacity and sustained supply relationships with major Indian elevator manufacturers reaffirm the petitioner's commitment to domestic manufacturing.
41. The interested parties have contended that the petitioner imported the product under consideration from its affiliated entities in China. However, it is observed that the imports made by the petitioner were limited solely to the POI and did not occur during other years of the injury period. The data on record clearly demonstrates that the petitioner has primarily been engaged in the manufacture and sale of the product under consideration within India. Imports made during the POI totaled [*** MT], accounting for only [***%] of the petitioner's own production, [***%] of its sales, [***%] of total imports, and [***%] of the total Indian demand for the product under consideration. These import volumes are insufficient to distort market conditions or contribute to injury to the domestic industry. Furthermore, the stated rationale for these limited imports benchmarking, reengineering, and alignment with customer-specific technical standards aligns with industry practices aimed at enhancing domestic competitiveness and does not suggest an intent to substitute production with imports.
42. It is also evident from the information on record that the petitioner has not been shielded from the effects of dumping, nor has it unduly benefited from it. The imports made by the petitioner, out of the total imports of the product under consideration during the POI, constitute [***%], and such negligible imports do not indicate that the petitioner has taken advantage of dumping.
43. The Authority did not find any evidence which demonstrates that the petitioner is attempting to stifle competition in the Indian market by seeking imposition of anti-dumping duty on the subject goods.
44. The Authority notes that the petitioner's focus remained on the production and sale of the

product under consideration, as evidenced by the capacity expansion carried out by the petitioner during the POI and its plans for further expansion. Furthermore, the petitioner's production activities have not been displaced or undermined by its imports. There is no evidence of import-led profit maximization, and all indicators point to a continued and strengthened focus on indigenous production. The capacity expansion during and after the POI further negates the notion of a shift towards a trading model. Therefore, the injury suffered by the petitioner cannot be considered self-inflicted.

45. It is also evident from the data on record that the related exporters have exported only [***%] of the total subject imports, while, [***%] of the exports from China PR have been made by exporters unrelated to the petitioner. Furthermore, the exports made by the related exporters constitute [***%] of the total consumption of subject goods in India. The imports made by the petitioner from the related exporters account for only [***%] of the total demand in India and [***%] of the total imports into India. The volumes of exports made by related exporters are not significant enough to cause injury to the petitioner.
46. With respect to imports made by the petitioner in the POI, the Authority has examined the purpose and commercial context of it. This analysis forms an essential part of determining whether such imports, particularly those sourced from related entities, affect the petitioner's eligibility under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. In doing so, the Authority has considered the quantum of imports from related parties, the petitioner's operating model and the overall market behavior demonstrated during the relevant period.
47. It is observed that the petitioner has imported [***MT] of the subject goods from affiliated exporters located in the subject country, which represents [***%] of its own production and sales and [***%] of the total imports into India during the POI. No imports were made by the petitioner in the remaining years of the injury period. This absence of a recurring or regular import pattern indicates that the petitioner is not engaged in the routine importation of the product under consideration. Rather, the petitioner's core operations are clearly centered on the manufacture and sale of the product under consideration within India.
48. Having examined all submissions, including the concerns raised by interested parties regarding import volume, affiliation, and commercial independence, the Authority is satisfied that there is no basis to exclude the petitioner from the domestic industry. The imports made are limited, justified, and not indicative of a business model based on import substitution or alignment with dumped imports. The petitioner's behavior, both commercially and procedurally, reflects that of a domestic producer seeking protection from unfair trade practices, rather than one benefiting from them.
49. The Authority has observed that none of the interested parties has contested the Authority's discretion under Rule 2(b) to include or exclude a producer from the scope of the domestic industry, even if such a producer is an importer or is related to an exporter of the subject goods.
50. In view of the foregoing, the Authority concludes that the petitioner constitutes the domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and that the application satisfies the standing requirement under Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

51. With respect to the issue raised by the interested parties that the petitioner has claimed, Nav Durga has shut down its operations due to dumping and has still considered its production for standing, the Authority as examined above notes that the petitioner along with the supporter constitutes more than 95% of the total domestic production of the PUC, irrespective of the production of Nav Durga.
52. Further, with respect to the contention that the petitioner has imported other grades of guide rails or raw materials from affiliated parties, the Authority has reviewed the submissions and found that the other grades of guide rails imported by the petitioner, if they do not fall under the scope of the product under consideration, are not relevant for the present investigation. Furthermore, with respect to the imports of raw materials from affiliated parties, the Authority notes that the domestic industry has procured the basic indigenous input for Solid Guide Rails, i.e., T-Profiles, from Savera Kothari, and the issue of arm's length pricing has been examined in the injury section.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions by other interested parties

53. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:
- i. The domestic industry has claimed confidentiality over information concerning its affiliated companies in China PR, even though such information is publicly accessible on its official website.
 - ii. Only three related entities exported the subject goods to India during the POI, and their names have been disclosed. The names of other related producers/exporters in China PR, who did not export the product to India during the POI, were not disclosed.
 - iii. The excessive confidentiality claimed in the petition filed for the continuation of anti-dumping measures, particularly the failure to disclose critical information as required under Trade Notice No. 10/2018.
 - iv. The non-confidential summaries accompanying confidential submissions in the petition are inadequate and do not allow for a reasonable understanding of the underlying information.
 - v. Comments on confidentiality by the domestic industry were filed beyond the deadline of January 20, 2025, and are therefore in violation of Rule 7 of the AD Rules and the Trade Notice. The non-confidential version of the questionnaire response was received on January 15, 2025, and comments were due by January 20, 2025. Filing on January 31, 2025, is therefore untimely.
 - vi. The Petitioner has claimed excessive confidentiality in the petition for continuation of anti-dumping duties, in violation of Rule 7 of the AD Rules and Article 6.5 of the WTO Anti-Dumping Agreement. No meaningful non-confidential summary of the confidential information has been provided, thereby preventing the Respondent from effectively defending its interests
 - vii. The overall contention was that the petitioner failed to provide meaningful non-confidential summaries and claimed excessive confidentiality, which obstructed procedural fairness and the ability of other parties to respond effectively.

E.2 Submissions by the domestic industry

54. The following submissions have been made by domestic industry with regard to the Confidentiality:
- i. The confidentiality objections are procedurally inadmissible, having been filed beyond the seven-day timeline mandated under Paragraph 37 of the Notice of Initiation. The domestic industry circulated the non-confidential version of the petition within the stipulated period, and its receipt was acknowledged. The delayed objections filed on April 14, 2025, are thus time-barred, and considering them now would undermine due process and prejudice the domestic industry.
 - ii. All related Chinese entities that exported the product to India during the investigation period have been disclosed. The disclosure requirement applies only to exporting entities, not all global affiliates. Moreover, Trade Notice No. 10/2018 grants the Authority discretion to permit deviations, and no directive has been issued for disclosing non-exporting affiliates in China PR.
 - iii. The assertion that the party concerned is unable to verify import data due to alleged non-disclosure by the domestic industry is speculative. The domestic industry has already disclosed the related entities that exported the product under consideration to India during the period of investigation.

E.3 Examination by the Authority

55. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry with regard to confidentiality have been examined as under:
56. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various parties to all interested parties as per Rule 6(7) of the AD Rules. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules provides as follows:

“(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, subrule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information”

57. The Authority has thoroughly reviewed the confidentiality claims and objections raised by both the interested parties and the domestic industry, with a primary focus on the timeliness of these

objections. According to the Notice of Initiation, interested parties were required to submit any confidentiality-related objections within seven days of receiving the non-confidential version (NCV) of the documents.

58. The Authority has undertaken a detailed evaluation of the confidentiality claims and objections advanced by both the interested parties and the domestic industry. This evaluation has been guided not only by the substantive content of the claims but particularly with respect to timeliness. As clearly articulated in the Notice of Initiation, any objections concerning the confidentiality of information were required to be filed within seven days from the date on which the non-confidential version of the relevant documents was made available. The prescribed time limit enables the Authority to conduct a structured review of confidentiality claims without unduly delaying the investigative process and ensures that all parties are afforded equal opportunity to respond within a level procedural playing field.
59. In light of the above, the Authority notes that both the domestic industry and the interested parties have submitted their respective confidentiality claims and objections only after the expiration of the stipulated time period. The integrity of the process rests on strict adherence to established timelines. Permitting consideration of belated submissions would not only compromise the efficiency and predictability of the investigation but may also prejudice the rights of other participants who have complied in good faith with the prescribed schedule. Accordingly, in keeping with the principle of finality attached to procedural timelines and in application of the limitation period specified in the Notice of Initiation, the Authority has determined that the confidentiality-related submissions filed by both the domestic industry and interested parties are beyond the allowable timeframe and shall not be taken into account.
60. Notwithstanding the procedural inadmissibility of the objections, the Authority has undertaken a thorough examination of the confidentiality claims submitted by both the domestic industry and other interested parties. Upon review, the Authority finds that the confidentiality claims were, in general, appropriately substantiated and in conformity with the applicable legal provisions. Accordingly, on being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions by other interested parties

61. The other interested parties have made the following submissions: -
- i. The petitioner's failure to provide reliable import data sourced from DGCI&S is a concern. Secondary data used in the petition is considered unreliable, and it is requested that the Authority rely on official DGCI&S data for examining injury and dumping.
 - ii. It has been submitted that while three affiliated exporters were named in the petition, only two have participated in the investigation. The third affiliate did not export during the POI and thus did

not participate. Concerns were raised about the potential for affiliated entities that did not participate in the investigation to file for a New Shipper Review in subsequent years.

- iii. The interested parties have submitted that the decision to source the product under consideration was not based solely on pricing, but also on delivery timelines and the supplier's responsiveness to changing demand.
- iv. Delays in supply by the domestic industry allegedly led to missed orders, project delays, reputational harm, and increased reliance on limited alternative suppliers. It has also been submitted that the domestic industry's products did not meet customer specifications and standards, resulting in order losses.
- v. Guiderail quality is critical, particularly in relation to comfort and vibration issues. Detailed investigations must be undertaken to identify and address potential anomalies.
- vi. The requirement to submit written submissions after oral hearings under Rule 6(6) of the AD Rules is mandatory, ensuring that oral arguments are properly considered. The extremely short timeline of two working days given after the second oral hearing is unreasonable and deprives interested parties of a fair opportunity to prepare their written submissions, violating principles of natural justice.
- vii. Given the change in the Designated Authority and ample time remaining before the investigation's conclusion, the truncated timeline for post-hearing submissions is arbitrary and prejudicial. This procedural unfairness undermines the validity of the hearing and any subsequent findings, making them legally unsustainable.
- viii. The other interested parties submitted that the Authority, *vide* Trade Notice No. 11/2018 dated 10.09.2018, has clarified that non-filing of a questionnaire response by an interested party does not preclude participation in subsequent stages of the investigation, including filing legal submissions and attending public hearings.
- ix. The above practice confirms that procedural participation is not contingent on prior questionnaire filings, especially where the party is recognized by the Authority. Therefore, the interested party is well within its rights to tender these written submissions, which are humbly requested to be taken on record and considered in the final determination.

F.2. Submissions by the domestic industry

62. The domestic industry has made the following submissions:
 - i. The domestic industry submits that it relied on secondary sources for data only due to unavailability of DGCI&S data at the time, and solely to establish a prima facie case. However, the Authority independently verified the import data using DG Systems data before initiating the investigation, as clearly stated in the Initiation Notification.
 - ii. Concerns about potential New Shipper Reviews by other affiliates of Savera India are unfounded, as per Rule 22 of the Anti-Dumping Rules. These affiliates are related to exporters already under duty and hence do not qualify for such reviews.
 - iii. Certain internal communications and documents were referenced in support of allegations regarding supply delays and quality issues. However, these documents were not included in the public record of the written submissions. Formal requests for disclosure were made by the domestic producer on April 21 and followed up on April 25, 2025. Upon receipt of the cited documents, a detailed response is now being submitted.

- iv. The claims relate primarily to an incident from 2009, during the early operational phase of the domestic producer, which commenced production in 2008 as the local manufacturer of guide rails. Initial challenges were encountered due to the non-availability of rolled T-section steel profiles in the domestic market, which is a critical input for T75 guide rails.
- v. Allegations regarding product quality and specification mismatches refer to a single instance, which resulted from an administrative error rather than any technical or manufacturing flaw. No deviation in product specifications or safety parameters occurred, and the matter was promptly resolved through internal verification mechanisms.
- vi. The domestic producer maintains stringent quality control processes and consistently meets the technical specifications required by multiple buyers, including large OEMs. The enduring commercial engagement itself demonstrates overall satisfaction with both quality and performance, aside from the isolated administrative oversight now cited.

F.3. Examination by the Authority

- 63. The Authority notes the submissions of the interested parties regarding the reliability of import data relied upon in the petition. It is noted that the domestic industry relied on secondary data sources only in the absence of DGCI&S data at the time of filing the petition, and solely to establish a prima facie case of injury. The Authority, as stated in the Initiation Notification, has independently examined the import data using transaction-wise DG Systems Data prior to initiation. Upon such verification, no material inconsistency was noted in the volume and value of imports as reported in the application and those reflected in DG Systems Data. Accordingly, the Authority concludes that the data relied upon at the stage of initiation was sufficient and accurate for the purpose of initiation of investigation.
- 64. On the issue raised by interested parties regarding the participation of affiliated exporters, it is noted that while three affiliates were named in the petition, only two affiliated exporters participated in the investigation. The Authority notes that the third affiliated exporter, namely, Tianjin Sunrise Machinery Parts Co. Ltd. informed the Authority *vide* email that it did not export the subject goods during the POI and hence it was not required to participate. The Authority notes the concern regarding the potential for such affiliates to file for New Shipper Review in subsequent years. However, in accordance with Rule 22 of the Anti-Dumping Rules, an affiliate of an exporter already subject to anti-dumping duties is not eligible to seek an NSR. The Authority, therefore, finds no merits in the argument.
- 65. The interested parties have submitted that procurement decisions were based on factors beyond pricing, including delivery timelines and responsiveness to fluctuating demand. In this regard, interested parties have made submissions regarding delays in supply and product quality. The Authority notes that the evidence cited in support of these claims including internal communications was not provided to the domestic industry despite the requested disclosure of the said documents by the domestic industry.
- 66. The domestic industry has submitted that the said issue pertains primarily to an isolated incident dating back to 2009, shortly after the commencement of commercial operations by the domestic industry in 2008. The domestic industry submitted that during this initial phase, challenges were

encountered due to the absence of domestically available rolled T-section profiles, a critical raw material required for T75 guide rails. The Authority notes that the cited incident occurred during the early stabilization phase of operations. No evidence has been furnished to demonstrate that such delays or quality issues have persisted in the injury period or the POI.

67. With respect to the quality issue highlighted by elevator manufacturing companies in unorganized sector, the Authority notes that the said claim has not been substantiated with any positive evidence.
68. Allegations concerning mismatch with product specifications relate to a singular administrative lapse. The domestic industry has demonstrated, through internal documentation, that the specifications and safety requirements of the final product were met in full and that the deviation resulted from administrative oversight rather than any flaw in production or product integrity.
69. With respect to the submissions of the other interested parties alleging that two working days provided for second post-hearing written submissions deny interested parties adequate time to respond, the Authority notes that all interested parties have been afforded full opportunity to participate throughout the investigation. A detailed oral hearing was already conducted earlier in the investigation, followed by written submissions and rejoinder submissions from all the interested parties.
70. The Authority further notes that the second oral hearing was necessitated solely due to the change in the Designated Authority and did not involve any new or materially different submissions warranting extended timelines. The two-day period provided post-second hearing was sufficient in the given context, especially considering that the parties had already placed comprehensive arguments and documents on record earlier.
71. The Authority notes that the principles of natural justice require a fair not indefinite opportunity to be heard, and such fairness must be assessed in light of the entire process. Accordingly, the contention that the limited timeline violates principles of natural justice is found to be without merit. The Authority holds that the hearing and subsequent procedures were conducted in compliance with natural justice.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by other interested parties:

72. The other interested parties have made the following submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin:
 - i. The legal basis for applying the non-market economy methodology to China PR under Section 15(a)(ii) of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China to the WTO expired on December 11, 2016.

- ii. Following the expiry of Section 15(a)(ii) of China's Accession Protocol, India no longer has a WTO-consistent legal basis to apply the non-market economy methodology in anti-dumping investigations concerning imports from China PR.
- iii. As per obligations under the WTO Anti-Dumping Agreement, the investigating Authority is required to collect relevant information for calculating the dumping margin in a manner consistent with WTO provisions.
- iv. In the absence of the application of the non-market economy methodology, the normal value should be based on the cost and price data provided by the Chinese producer, rather than relying on third-country or analogue country data.
- v. Bonly submitted that invoices relevant to the verification were already filed on 07 April 2025 and in response to the Authority's email dated 19 August 2025, copies of invoices, purchase orders, contracts and customer drawings have further been provided, including the master contract with Schindler.
- vi. Bonly clarifies that apart from Schindler, there are no long-term contracts or purchase orders with other importers. In such cases, quotations are sought and proforma invoices are issued, which specify length, weight and other specifications. These documents fully reconcile with the information earlier submitted.
- vii. With respect to the difference in weight of guide rails, Bonly submits that the Authority has not specified the ISO standard in question. Several ISO standards cover the PUC and the applicability of a particular standard is negotiated between the parties. The Petition refers to IS 8100-33:2022 (formerly ISO 7465:2007) and IS 17806:2022, but compliance with these standards is not mandatory since no quality control order has been issued in India.
- viii. The IS 8100-33:2022 prescribes linear density (kg/m) of the raw guide rail after hot rolling and not the weight of finished rails. The actual linear density or weight of finished rails is lower, as machining results in material loss. The weights reported in Bonly's invoices are supported by documentary evidence, accepted by Customs and match the customer specifications. Even the domestic industry manufactures light profiles below ISO standards.
- ix. Bonly submitted that neither the drawings nor ISO standards specify finished weights, which are only reflected in commercial documentation such as invoices and bills of entry. Such documents, including those of customers, have been duly provided and accepted. T-45 grade, being cold-drawn, is excluded from the PUC. If the dumping and injury margins are revised, Bonly requests issuance of a fresh disclosure statement with additional time to file comments.

G.2 Submissions by the domestic industry

73. The domestic industry has made the following submission with regard to the normal value, export price and dumping margin:
 - i. China has historically been treated as a Non-Market Economy by India and several other jurisdictions in anti-dumping investigations, including in similar product categories. In the current investigation, none of the producers/exporters from China have submitted any request for treatment as market economy producers or provided documentation to demonstrate that market economy conditions prevail in their sector.

- ii. As no claim for market economy treatment has been made by any respondent, the Authority is under no obligation to assess Chinese exporters under market economy standards.
- iii. In such circumstances, the Authority is justified in continuing to treat China as a non-market economy and in applying methodologies consistent with such treatment, including the use of constructed normal value based on Indian cost data.
- iv. The domestic industry has supplied a complete set of calculations based on its own cost of production, which includes adequate provision for general expenses and a fair profit margin, in support of the normal value constructed.
- v. The domestic industry had tried to gather reliable pricing or cost data from market economy third country for the product under consideration; however, no data is publicly available.
- vi. The domestic industry highlighted that the subject goods and associated components are imported under several distinct customs classifications, making it impractical to identify a single third-country benchmark for price comparison.
- vii. As a result, the domestic industry has relied on the residual methodology for determining normal value, supported by internal financial data and consistent with past practice in similar investigations involving NME country.
- viii. The Authority is fully entitled to continue applying the constructed normal value approach in the absence of any substantiated claim or supporting documents from the Chinese producers/exporters seeking MET.

G.3 Examination by the Authority

Determination of normal value

74. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

- i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
 - ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling, and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
- Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the*

country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

75. The response to Exporters' Questionnaire has been filed by the following producers/exporters from China:

- i. Wuxi KOENIG Elevator Accessories Co., Ltd.
- ii. Tianjin Savera Elevator Riding Systems Co., Ltd.
- iii. Suzhou Savera Shangwu Elevator Riding System Co., Ltd.
- iv. Marazzi (Jiangsu) Elevator Guide Rail Co., Ltd.
- v. Zhangjiagang Oscar & Jason Elevator Parts Co., Ltd.
- vi. Zhejiang BONLY Elevator Guide Rail Mfr. Co., Ltd

76. As per the provisions of Rule 17, while the Authority shall determine individual dumping margin in respect of all those producers/exporters who have filed questionnaire responses, in a situation where a large number of producers/ exporters have filed questionnaire responses, the Authority may resort to sampling by limiting the response to a limited number of producers. The Rules provides as follows in this regard.

“17(3) The designated authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation:

Provided that in cases where the number of exporters, producers, importers or types of articles involved are so large as to make such determination impracticable, it may limit its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated, and any selection, of exporters, producers, or types of articles, made under this proviso shall preferably be made in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned :

Provided further that the designated authority shall, determine an individual margin of dumping for any exporter or producer, though not selected initially, who submit necessary information in time, except where the number of exporters or producers are so large that individual examination would be unduly burdensome and prevent the timely completion of the investigation.”

77. In view of the large number of responses, the Authority considered sampling of producers. The same was considered *vide* notification dated 19th March 2025. The sample considered was based on the volume of exports to India, with the producers having the largest volume of exports, being considered as a part of the sample. The Authority notes that even though only three producers are selected within sample, the number of producers/exporters, for whom duty would be quantified, is much higher. The Authority further notes that none of the interested parties filed any comment

on the sampling proposal issued by the Authority.

78. In view of the foregoing, the Authority selected three producers from China PR along with their associated exporters for determining individual dumping margin, on the basis of the largest percentage of the volume of exports to India during the investigation period. The following producers were sampled by the Authority from China:

- i. Marazzi (Jiangsu) Elevator Guide Rail Co., Ltd.
- ii. Wuxi Koenig Elevator Accessories Co., Ltd.
- iii. Zhejiang Bonly Elevator Guide Rail Manufacture Co., Ltd.

79. The Authority notes the following relevant provisions with regard to the determination of normal value for China PR. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules are as under:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value Shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the Like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the Level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time Limits; where appropriate, of the investigation if any made in a similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

'8. (1) The term 'non-market economy country' means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determine to be, or has been treated as, a now- market economy country for purposes of an anti-dumping, investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three- year period preceding the investigation is a nonmarket economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in subparagraph (3).

(3) *The designated Authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and Labour, output, sales anti-investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.*

(4) *Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as a market economy country, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in subparagraph (3), has been, b) publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-clamping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization."*

80. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers / exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment / supplementary questionnaire to all the known producers/exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

81. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules: If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability; The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

82. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a)(ii) of China PR's Accession Protocol have expired with effect from 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure 1 of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming MET status.
83. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR has filed the supplementary questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure - I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure - I of the Rules.
84. It is noted that paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules stipulates three methods of calculating the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; or (c) on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.
85. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from such country to other countries, including

India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.

86. No information/evidence has been provided by the parties for the consideration of the normal value on the basis of the first and second methods. Therefore, the Authority has decided to construct normal value based on the third method, i.e., on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India. For this purpose, the Authority has considered the optimized cost of production of the domestic industry, with a reasonable addition of selling, general and administrative expenses and profits. The normal value so determined for all producers and exporters in the subject country has been given in the dumping margin table below.

Determination of Export Price

i. Marazzi (Jiangsu) Elevator Guide Rail Co., Ltd.

87. Marazzi (JiangSu) Elevator Guide Rail Co., Ltd., China PR is a limited liability company foreign investment, non-sole proprietorship, which has been established on January 7th 2013 under the Company Law of PRC. Marazzi (JiangSu) Elevator Guide Rail Co., Ltd., China PR is a company invested and organized by an Italian company, MARAZZI S.R.L.
88. During the POI: Marazzi (JiangSu) Elevator Guide Rail Co., Ltd., China PR, has sold *** MT of invoice value *** US\$ to India directly to unrelated buyers in India. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges to arrive at PCN-wise export price at ex-factory level, and the same has been accepted after desk verification. The net export price so determined is mentioned in the Dumping Margin Table.

ii. Wuxi Koenig Elevator Accessories Co., Ltd.

89. Wuxi Koenig Elevator Accessories Co., Ltd., China PR is a private company limited by equities. Wuxi Koenig Elevator Accessories Co., Ltd., China PR was established under the Company Law of P.R.C.
90. During the POI: Wuxi Koenig Elevator Accessories Co., Ltd., China PR, has sold *** MT of invoice value *** US\$ to India directly to unrelated buyers in India. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, Inland transportation and port and other related expenses, packing expenses and bank charges to arrive at PCN-wise export price at ex-factory level and the same has been accepted after desk verification. The net export price so determined is mentioned in the Dumping Margin Table.

iii. Zhejiang Bonly Elevator Guide Rail Manufacture Co., Ltd.

91. One of the exporters, namely Marazzi, in its post-disclosure comments, has contended that a significant difference exists between the dumping margins assigned to Marazzi and Bonly. It was also submitted that the Authority's current methodology distorts results by overlooking weight

differences between the PUC and like products. Certain Chinese producers reduce raw material costs by manually decreasing cross-sectional parameters on machined surfaces of guide rails, lowering the actual product weight. However, the current dumping margin calculation method bases the net price on the declared customs weight. Although the unit price remains unchanged, the reduced weight per product means that for the same declared customs weight, more units are sold, resulting in an erroneously inflated calculated net price per ton.

92. The domestic industry also, in its post disclosure comments has requested the Authority to reexamine the margins calculated for Bonly. The domestic industry also claimed that the Bonly's exports in the post-POI have increased substantially at significantly reduced prices.
93. To examine the claims made by both the exporter and the domestic industry, the Authority calculated the weight per unit of the guide rails exported by Bonly to India in the POI as reported in its Appendix-3A. The Authority calculated per unit weight for transactions whose invoices have been provided as part of the verification information by Bonly because the unit of measures reported in invoices is pieces. This per unit weight for different guide rails was compared with the per unit average weight of the like guide rails exported by Marazzi. On comparison, the Authority noted that there is a significant difference in per unit weight of the guide rails exported by these two exporters. The Authority further compared per unit weight of the guide rails exported by Bonly with the guide rails sold by the domestic industry as well as the per unit weight calculated using the linear density given in the IS 8100-33:2022 (formerly ISO 7465:2007) which is the technical standard for guide rails, a safety critical product for lifts/elevators. The table below shows the comparison of per unit weight-

Solid Guide Rails	Bonly	Marazzi	DI	IS 8100-33:2022 (formerly ISO 7465:2007)
T-70	***	***	***	
T-75	***	***	***	42.82
T-78	***	***	***	38.65
T-82	***	***	***	61.9
T-89	***	***	***	67.7

94. In view of these variations, the Authority, vide email dated 19.08.2025, sought the following information from Bonly for specific invoices:
- Customer PO and contract
 - Drawing provided by the customer
 - Reason for difference in weight of Guide Rails as compared to the weight given in ISO
95. In response to the abovementioned information, Bonly, vide email dated 21.08.2025, submitted:
- Bill of entry
 - Purchase Order and Contract/Proforma Invoice

c) Drawing Provided by the Customer.

96. The Authority has examined the response to each question and the documents mentioned therein in the following paragraphs:

(a) Customer PO and contract and (b) Purchase Order and Contract/Proforma Invoice

97. In regard to Bonly's submissions pertaining to Customer PO and contract, the Authority notes that the PO's which is issued by one of the customers namely, [***] to Bonly clearly have the reference to IS 8100-33:2022 (formerly ISO 7465:2007), which reflects the fact that the customer places the order on Bonly for guide rails in accordance with the requirements of the IS and it also shows the importance of the said IS for the customers. With respect to the BOE's and Proforma invoices provided by Bonly for [***] and other customers, the Authority notes that the entire purpose of calling for the customer POs and the contract was to correlate whether the weight declared on the BoE/invoice is in accordance with the customer requirements and the standards followed for per unit weight in the industry. Further, on examination of the proforma invoice and BoE, the Authority notes that the weight reported in these documents does not corroborate with the weight that was calculated using the linear density given in IS 8100-33:2022 (formerly ISO 7465:2007) mentioned on the PO.
98. Further, with respect to one of the drawings pertaining to [***] as provided by Bonly, the Authority notes that the said drawing per se does not qualify as a drawing but the technical information of the PUC. With respect to other drawing provided by Bonly which also pertains to [***], the Authority notes that the said drawing contains the reference of IS 7465:2001 "(having "remarks: - The guide rail correspond to the base model of the T70-1/A according to ISO" The guide rail correspond to the base model of the T70-1/A according to ISO 7465 : 1997 Excepting: - machined surface of the blade - machined surface for the location of the fishplate - material - all other dimension and tolerances must be according to ISO 7465 : 1997 (T70-1/A) or later release of ISO version - Anti-corrosion protection finish and packing see J 210246 - Alternative Material: Q235A if $R_m \geq 410$ N/m). This implies that the dimensions and tolerances of the guide rails must be according to the said IS, which is also the safety critical requirement for guide rails. For the other customers covered by the specific invoices, Bonly neither provided the drawings nor a valid justification.
99. In summary, the customer PO and drawing clearly points to the fact that Bonly has to supply guide rails as per the requirements of IS 8100-33:2022 (formerly ISO 7465:2007) which is also the customer need and standard for guide rails in the industry.

c.) Reason for difference in weight of Guide Rails as compared to the weight given in ISO

100. The Authority notes that Zhejiang Bonly Elevator Guide Rail Manufacture Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Bonly") is a producer and exporter of the subject goods from China PR. It has exported [***] MT directly to unrelated customers in India during the POI.
101. The producers/exporters have claimed adjustments i.e. ocean freight, insurance, inland transportation, bank charges and credit cost and the same are allowed by the Authority for the purpose of final findings after desk verification. The ex-factory export price determined is given

in the dumping margin table

102. In regard to Bonly's submissions for difference in weight of Guide Rails as compared to the weight given in IS, the Authority notes that Bonly has correctly considered the IS i.e. IS 8100-33:2022 (formerly IS 7465:2007), for comparison purposes. Further, the claim that there are several ISO standards covering the PUC and while placing the order, the customer may specify the applicable ISO standard as per its requirement is incorrect because the Authority has not only examined the drawings submitted by Bonly but also the drawings provided by the other participating exporters and domestic industry. It was noted that within all the provided drawings either ISO standard i.e. ISO i.e. IS 8100-33:2022 (formerly ISO 7465:2007) or Chinese standards GB/T 22562-2008 (equivalent in substance to IS 7465) mentioned, thereby underscoring the relevance of these standards not only for customers but also in terms of its broader acceptance across the industry.
103. Further, vide email dated 22.08.2025, the Authority again reminded Bonly to submit the remaining drawings for the other guide rails i.e. T-75 and T-89 exported under the specific invoices specified by the Authority. However, Bonly failed to provide the same and merely stated vide email dated 22.08.2025 that the drawings cross-refer to IS 7465 which according to Bonly does not provide weight for the finished guide rails. Bonly also claimed that the linear density provided in IS 7465 refers to the linear density of the raw material of guide rail after hot rolling and the actual linear density of the finished guide rail would be less than the linear density of raw guide rail because some material is lost after the machining process.
104. In this regard, the Authority notes that Bonly failed to provide the drawings for the guide rails sought from it and at the same time it failed to give valid justification for not providing the same. With respect to the claim that the IS 8100-33:2022 (formerly IS 7465:2007) refers to linear density of the raw material after hot rolling and not the linear density of the finished guide rails, the claim of Bonly is incorrect. The Authority notes that the IS 7465:2007 does not report information of the weight directly, however the same can be derived using the linear density of the guide rails given in the IS 7465. The linear density has been given for each type of guide rail in the said IS 7465 and the same can be used to derive the weight of a guide rail. The standard length of a guide rail is 5 meters and if the linear density is multiplied with the length of a guide rail i.e. 5 meters, the weight for a guide rail can be calculated. Therefore, the submission of Bonly that said IS does not have the information of weight of finished guide rails is incorrect as the said IS provides the linear density of the finished guide rails which is evident from the designation used on page 3 and 8 of the IS.
105. To verify the claim of Bonly, that the weights are not given on the drawings, the Authority sought the drawings of customers from the exporters and the domestic industry. On examination of information, the Authority noted that although all the drawings do not have the actual weight information however they have the specific mention of the IS 8100-33:2022 (formerly IS 7465:2007) or Chinese standards GB/T 22562-2008. The Authority further notes that Bonly itself has submitted that IS 7465 contains information of linear density. Accordingly, using the linear density specified therein, the weight of a guide rail can be calculated.
106. With respect to Bonly's submission that the Authority has overlooked that the linear density of

guide rails provided in the brochure of the domestic industry itself is at variance with the ISO standard, the Authority notes that the brochure submitted by Bonly is not relevant as the same does not belong to the domestic industry rather it pertains to its parent company in Spain. Since the domestic industry's parent company has not exported the PUC to India in the entire injury period, its brochure is completely irrelevant for the purposes of present investigation.

107. The Authority, therefore, concludes that there is a significant difference in the calculated per unit weight of the guide rails exported by Bonly to India as compared to the per unit weight of comparable guide rails exported by other exporters and the guide rails sold by the domestic industry. Further, per unit weight of the guide rails exported by Bonly does not match the requirements of IS 8100-33:2022 (formerly IS 7465:2007), which was required to be complied with Bonly's own customers' purchase orders. The reference to IS 7465, in PO, technical sheet and the drawing provided by Bonly show that the customers always use the IS 7465 while ordering the guide rails. It is also noted that the failure of Bonly in providing the drawings for the specific invoices even after repeated requests not only shows its unwillingness but also an attempt to withhold the information with the Authority. The Authority also observed that, in certain instances, the per unit weight of guide rails exported by Bonly was considerably lower than that of comparable guide rails exported by other exporters and sold by the domestic industry. Further, Bonly failed to provide any valid justification for the reduced weight of these guide rails.
108. Further on examination of the data filed by Bonly in Appendix-3A, the Authority observed that the invoice value and quantity reported for the PUC also includes the value and quantity of fishplates, which are not part of the PUC. This implies that the invoice volume and values reported by Bonly are inflated.
109. In light of the discrepancies identified by the Authority, particularly regarding the per piece low weight of guide rails exported by Bonly compared to those exported by other exporters and sold by the domestic industry, the Authority has recalculated Bonly's export price based on the best facts available, in accordance with Rule 6(8) of the Rules. Accordingly, the Authority has considered the per piece weight of the guide rails exported by Bonly by applying the standard linear density values prescribed under IS 7465, which are representative of comparable guide rails. It is also noted that the Authority has considered the invoice value as claimed by Bonly in Appendix-3A.

iv. Export prices for all non-cooperative producers/exporters from China PR.

110. The export price for other non-cooperative producers/exporters from China has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

Determination of Dumping Margin

111. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country is determined as follows:

DUMPING MARGIN TABLE

S. No.	Producer	Normal	Export	Dumping margin
--------	----------	--------	--------	----------------

		value	price			
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	Marazzi (Jiangsu) Elevator Guide Rail Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
2	Wuxi Koenig Elevator Accessories Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
3	Zhejiang Bonly Elevator Guide Rail Manufacture Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
4	Non-Sampled Co-operative Producers	***	***	***	***	45-55
5	Others	***	***	***	***	80-90

112. The dumping margin is more than de-minimis for the producers/exporters from China.

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the other interested parties

113. The following submissions have been made by the other interested parties on the issue of injury and causal link:

- i. The Petitioner's interest cost increased due to long-term loans availed in FY 2022-23 and FY 2023-24. However, the Petitioner's PBIT declined drastically from 253 index points in FY 2022-23 to 33 index points during the POI, which is considered unusual.
- ii. Additionally, while depreciation increased due to capital expansion, the steep decline in PBDIT and Cash Profits during the POI remains unexplained.
- iii. The selling price of the domestic industry moved in tandem with the cost of sales. The Petitioner experienced price undercutting of 10-20% in FY 2022-23 and 20-30% during the POI. Despite this, the Petitioner's production, sales volume, and capacity utilization were not significantly affected.
- iv. The decline in capacity utilization was attributed to the installation of a new plant, which was not operational during the POI. Had the petitioner not expanded its capacity, capacity utilization would likely have increased. This aspect should be examined by the Director General to understand the impact of capacity expansion on utilization.
- v. The Petitioner predominantly procures raw materials from related parties at what appears to be inflated prices, and its injury might be because of inflated cost of raw materials. Even if the Petitioner's cost of sales increased, the allegedly low-priced imports did not significantly impact the Petitioner's production and sales.
- vi. The domestic industry and other Indian producers are performing well and have not suffered injury due to dumped imports. The capacity utilization of the domestic industry has increased by 27% from the base year throughout the injury period.

- vii. The domestic industry undertook capacity expansions, increasing capacity by 58% during the POI. The applicant's domestic sales have also grown throughout the injury period, indicating no injury from imports of the subject goods.
- viii. The number of employees, production per employee, and wages have all increased, showing a positive trend throughout the injury period.
- ix. The average inventory increased from an indexed value of 100 in 2020-21 to 322 in the period of investigation, representing a significant financial burden. This rise in unsold products leads to higher holding costs, including storage, insurance, and opportunity cost of capital. The decline in the applicant's production capacity may be attributed to unsold products, not imports.
- x. The piling up of inventory is not necessarily an indicator of injury or poor economic performance. As per a CESTAT judgment in *Stone Tyre Manufacturing (Thailand) vs. Designated Authority* (2nd August 2011), an increase in inventory may be due to higher sales volume, which the Designated Authority failed to examine. For instance, in 2004-05, with sales of 9999 MTs, inventory was 1161 MT, or 11.6%. In the POI, with sales of 24159 MTs, inventory was 2846 MT, or 11.8%. This shows the inventory increase was proportional to the increase in sales and should not be seen as an indicator of injury.
- xi. Financial indicators also show positive trends. Turnover has grown by 180% from 2020-2021 to 2022-2023, while revenue from operations increased by 187% and 208% in the same period. There is a consistent upward trend in the provision for income tax, signaling profitability.
- xii. The imports from China PR increased from 24,754 MT in 2020-2021 to 31,983 MT in 2021-2022, continuing to rise. However, the Domestic industry has not suffered any injury, as its sales increased from an indexed value of 100 in 2020-2021 to 144 during the POI. This demonstrates the ability of the Domestic industry to maintain and expand its market share despite higher imports.
- xiii. Total market demand also saw a significant rise, from 100 in 2020-2021 to 174 in the POI. This indicates that the overall market has grown, rather than the Domestic industry suffering injury from increased imports.
- xiv. The petitioner has raised concerns regarding the increase in the cost of sales. However, it is important to look at the raw material prices, which constitute the majority of the cost of production (COP) of PUC. Hot Rolled (HR) and Cold Rolled (CR) Steel Plates are the primary raw materials.
- xv. The import prices for HR Plates and CR Coils/Sheets have shown a decrease. According to the ongoing Safeguard Investigation on imports of "Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products," HR Plate prices have decreased by 1%, while CR Coils/Sheets prices have dropped by 14%.
- xvi. The Domestic Industry's financial data reveals a significant surge in interest and depreciation costs, which contributed to financial stress.
- xvii. The petitioner has increased its capacity from 100 in the base year 2020-2021 to 118 during the POI. Its production also grew from 100 to 151 during the investigation period. However, despite this increase, capacity utilization has declined compared to the previous year.
- xviii. The domestic sales volume has increased from 100 to 144 during the POI compared to the base year. However, no export sales were recorded during the period, which should be taken into consideration when assessing the overall injury to the Domestic Industry.

- xix. The company has made significant capital investments, with average capital employed rising by 52% and net fixed assets growing by 97%. Depreciation increased due to these investments.
- xx. Despite these investments, the Return on Investment (ROI) has drastically declined by 78%, from 290% in 2020-2021 to just 22% in the POI. This suggests that the company is not generating sufficient returns from its increased capital, likely due to rising costs, inefficiencies, or reduced revenue.
- xxi. No volume-based injury can be established in this case. The data shows that the growth in imports has been outpaced by the growth in demand, and the DI itself has absorbed most of the increased demand in the Indian market. Imports from China PR increased by 15 index points from 2022-23 to the POI, from 179 to 194. Meanwhile, total domestic demand surged from 165 indexed points to 232 during the same period, indicating that imports did not keep pace with the growing demand.
- xxii. From the base year (2020–21) to the POI, demand increased by 132 index points, from 100 to 232, while imports from China increased by only 94 index points, from 100 to 194. This shows that imports grew slower than demand, and the DI not only retained but also expanded its market share, benefiting from the rising demand for the product.
- xxiii. For Solid Guide Rails, the landed price in the POI was ₹63,223/MT, a 1% increase from the base year, yet the reported price undercutting increased disproportionately from 0–10% to 20–30%. This divergence between a slight rise in landed prices and a large increase in undercutting suggests inefficiencies in the DI's pricing practices.
- xxiv. For Hollow Guide Rails, the landed price declined by 8% in the POI, from ₹72,806/MT to ₹66,812/MT, but the price undercutting surged fivefold, from 0–10% to 50–60%. This sharp increase in undercutting, despite a moderate decline in import prices, indicates internal inefficiencies in the DI's pricing, rather than any impact from dumped imports.
- xxv. The DI expanded its capacity significantly during the POI. It is well-established that newly added capacity cannot achieve optimal utilization immediately, and such increases often lead to a temporary decline in capacity utilization. Despite this, the DI managed to maintain capacity utilization at 127% in the POI, reflecting efficient absorption of additional capacity.
- xxvi. The DI's sales performance also reflects significant improvement. Domestic sales volume increased by 44%, from 100 to 144 in the POI. Sales value rose by 82%, from 100 to 182, and the average selling price per unit increased by 26%, from 100 to 126. This shows that the DI has capitalized on the growing market, as imports from China PR grew by only 94 indexed points in the POI, compared to a 132-index-point increase in total domestic demand.
- xxvii. The DI projected increased losses during the POI, but publicly available information from ICRA Limited contradicts this claim. ICRA has consistently upgraded the DI's credit rating, indicating improved financial stability. This suggests that the DI's performance is much better than claimed in the petition.
- xxviii. The adoption of a 22% Return on Capital Employed (ROCE) is deemed unreasonable and inconsistent with the existing tax and interest rate structure. The profit margin should be based on an analysis of profits during a period when no dumping was present, not on hypothetical figures. Therefore, the Director General is urged to reconsider the application of 22% ROCE and make adjustments accordingly.

- xxix. The current domestic supply of the PUC is insufficient to meet the demand, with the domestic industry only able to produce 26,000 MT compared to a demand of 65,675 MT, highlighting the need for imports to bridge the gap. Imposing ADDs would limit access to these necessary imports.
- xxx. The domestic industry has overlooked various significant issues which independently contributed to its performance. These include internal operational challenges, weak global demand, price volatility of inputs, rising overheads, revenue decline, COVID-19-related disruptions, geopolitical tensions such as the Russia-Ukraine war, and temporary plant shutdowns.
- xxxi. A substantial rise in financial expenses such as interest and depreciation, evident from the domestic industries financials, points toward capital intensity and underutilized assets both indicators of internal inefficiencies unrelated to external competition.
- xxxii. The domestic industry has undergone significant capacity expansion during the POI. Such expansion is generally accompanied by transitional inefficiencies, which may depress financial performance in the short term and should not be attributed to dumped imports.
- xxxiii. There is a notable increase in the petitioner's cost of sales from the base year to POI without a corresponding rise in raw material prices, particularly cold-rolled steel. This cost surge is indicative of inefficiencies in procurement or production rather than external price pressures.
- xxxiv. The claims regarding unutilized capacities in China and the potential increase in dumping into India are not backed by credible evidence. No independent data or verified sources have been provided to support the cited figures for production capacity or utilization.
- xxxv. The existence of unutilized capacity alone does not imply an intention to dump, nor does it justify the assumption that such capacity will be directed towards the Indian market. Trade decisions are driven by commercial factors, and no proof has been presented to show that Chinese producers are targeting India with dumped products.
- xxxvi. The reference to the property sector crisis in China is a general economic observation, not specific evidence of any trade diversion. These allegations are speculative and should be disregarded by the Authority.
- xxxvii. The increase in imports from China during the POI is modest, with only a 7% rise compared to FY 2022–23, which does not justify a claim of material injury. Moreover, the growth in imports has been outpaced by the expansion in domestic demand, indicating that imports have not displaced domestic production.
- xxxviii. The mere existence of unutilized capacity in China does not constitute a threat of injury. No credible data has been provided to substantiate the claim of freely disposable capacity intended for the Indian market.
- xxxix. In the annual report the description of the business activity of the petitioner is “Guide rails for Lifts & Elevators”. While the business could include those guide rails which are excluded from the scope of the investigation, it is unusual that such exclusion would convert substantial profits into losses.
- xl. There exist significant inconsistencies between the profit before tax trends reported in Appendix IVA and those in the audited financial statements. The trend for 2022-23 in both Appendix IVA and the financial statements for F.Y. 2023 are nearly identical, and therefore the

significant variance in the PBT trend between the POI and the financial statements for F.Y. 2024 is inexplicable. Given that the financials for F.Y. 2024 overlap with nine months of the POI, such a sharp deviation is highly unusual.

- xli. The petitioner's claim of injury is questionable since the supporter of the petition stated during the oral hearing on May 26, 2025, that high transportation costs are causing the injury. This suggests there is no causal link between the alleged dumping of the subject goods and the injury claimed, indicating that the injury may be attributable to high transportation costs instead.
- xlii. The high transportation costs incurred by the petitioner in delivering goods across PAN India are commercial expenses arising from the petitioner's own logistical and supply chain decisions and therefore cannot be attributed to injury caused by dumped imports.
- xliii. The petitioner's attempt to link these internal inefficiencies and self-inflicted cost increases to alleged dumping is misleading, as the injury suffered is due to poor cost management and operational issues, not imports from the subject countries

H.2. Submissions made by the domestic industry

- 114. The following submissions have been made by the domestic industry on the issue of injury and causal link:
 - i. The demand for the PUC in India has shown a rising trend throughout the injury period. Imports from China PR have consistently increased in absolute terms during this period. Imports in relation to Indian demand and production remained stable until 2021-22, after which they increased in 2022-23 and the POI.
 - ii. The subject imports, relative to Indian production and demand, clearly illustrate the significant quantity entering the domestic market, even though a considerable portion of Indian capacity remains idle.
 - iii. The information regarding price suppression and depression reveals that in the POI, the cost of sales for Solid Guide Rails decreased, but the selling price declined even more significantly. This decline was driven by the rapid drop in the landed price of imports from China, which was below the raw material cost of the domestic industry. Similarly, for Hollow Guide Rails, the selling price dropped significantly more than the cost of production, again due to the fall in the landed price of imports.
 - iv. The economic parameters of the domestic industry further demonstrate the material injury that has been suffered by it. The installed capacity of the domestic industry remained stable, with an increase in capacity in June 2023. However, despite the increasing demand for the PUC in India, the domestic industry could not increase its capacity utilization during the POI. Instead, capacity utilization sharply declined to ***% in the POI, despite adequate demand for the PUC in the market.
 - v. The production and sales volumes showed a rising trend until 2022-23, but there was negligible growth in production and a decline in sales during the POI. The increase in production and sales during the injury period was minimal and did not match the rising demand in India.
 - vi. The data on productivity, employment, and wages indicates that although the number of employees and wages increased, productivity per employee decreased due to lower production

levels in the POI. The drop in productivity is attributed to lower production, though the domestic industry still had to bear the burden of increased salaries and wages.

- vii. The market share of the domestic industry consistently declined during the injury period. The market share dropped from ***% in the base year to ***% in the POI, despite the domestic industry increasing its capacity.
- viii. The market share of imports from China, however, increased steadily, capturing ***% of the Indian market in the POI. This increase in market share reflects the impact of the dumped imports on the domestic Industry's ability to sell its products at fair prices.
- ix. Profitability, cash profits, PBIT, and return on capital employed have been severely impacted. While profitability increased until FY 2021-22, it began to decline post-2021-22. In fact, the domestic industry incurred losses in the POI due to the aggressive dumping of the subject goods. Profits before tax and profit before interest and tax, as well as cash profits, significantly decreased in the POI. The return on capital employed also fell drastically due to the subject imports.
- x. The average inventory of the domestic industry increased steadily throughout the injury period, with a sharp rise in the POI. This increase in inventory is directly related to the large influx of subject imports into the market.
- xi. All volume parameters of the domestic industry, except for production, showed negative growth in the POI. Similarly, all price parameters showed negative growth in 2022-23 and the POI. The market share of the domestic industry also experienced a decline throughout the injury period.
- xii. The DGTR has consistently adopted a 22% pre-tax ROCE benchmark when determining the NIP, as per Annexure III of the Anti-Dumping Rules. This benchmark accounts for interest recovery, corporate tax, and a fair profit margin, and has been regularly followed in numerous investigations.
- xiii. The methodology of using a 22% ROCE has been endorsed in various cases, including *Perstorp Chemicals GmbH & Ors. vs. Designated Authority* (2017 (357) E.L.T. 349), *Gujarat Fluorochemicals Ltd. vs. Designated Authority* (2017 (345) E.L.T. 144), and *Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Ltd. vs. Union of India* (2017 (349) E.L.T. 667). In these cases, the Tribunal upheld the DGTR's approach and recognized the reasonableness of this return.
- xiv. The domestic industry undertook capacity expansion during the POI, financed through long-term borrowings, which led to an increase in interest costs. However, the rise in interest expense was not the only cause of the decline in PBIT. The overall profitability of the domestic industry turned into losses during the POI, leading to a significant drop in both PBIT and cash profits.
- xv. The decline in cash profits was further impacted by increased depreciation expenses, which were a direct result of the capacity expansion. These financial changes were aligned with operational realities during the POI and not reflective of any irregularities in reporting or performance.
- xvi. The movement in selling prices did not align with the trend in cost of sales. For Solid Guide Rails, the selling price fell by Rs. *** per MT while the cost of sales decreased by only Rs. *** per MT. Similarly, for Hollow Guide Rails, the selling price declined by Rs. *** per MT, while cost of sales dropped only by Rs. *** per MT. This indicates that the selling prices have not moved in tandem with the cost of sales.

- xxvii. Although the domestic industry saw an increase in production and sales volumes, this growth was well below the rising demand for the product in the Indian market. Despite higher demand, capacity utilization remained low, which cannot be attributed to internal inefficiencies but rather to the continued impact of dumped imports.
- xxviii. Procurement of raw materials from related parties was done at arm's length, with pricing comparable to that of unaffiliated suppliers. The cost of sales figures is based on consumption prices recorded in audited accounts.
- xix. Despite the increasing demand, the domestic industry could not fully benefit from the expanding market. Indexed sales moved from 100 to 144, while imports from China PR increased from 100 to 194, showing that imports captured more of the growing market demand.
- xx. The domestic industry's cost of sales figures is derived from its audited books, prepared in accordance with Indian GAAP and verified by both statutory and cost auditors. The data shows that while cost of sales declined in the POI compared to 2021-22 and 2022-23, it increased compared to the base year.
- xxi. Cost of sales figures represent overall production and sales costs based on raw material consumption prices, not purchase prices. These are verified through audited financials and consistently used by the Authority in injury analysis and NIP assessment.
- xxii. Any direct comparison between raw material purchase prices and cost of sales is misleading and inconsistent with standard accounting and costing principles. The domestic Industry's raw material pricing is based on metal index.
- xxiii. The comparison table cited by the respondents relies on a safeguard investigation with a different base year (2021-22), unlike the current investigation, which uses 2020-21. Therefore, comparisons drawn from it are not meaningful. Even in that referenced safeguard case, the Authority had observed that there was no price undercutting when all imports were considered. Selective data showing undercutting in isolation is unreliable.
- xxiv. Data on the procurement prices of T-Profiles and Coils/Sheets is already on record. The Authority can verify this to confirm the domestic Industry's claim regarding pricing trends and cost increases.
- xxv. The evidence also confirms that the movement in the domestic industry's selling price does not align with cost of sales, primarily due to aggressive dumping from China, which suppressed domestic prices.
- xxvi. The increase in capacity by the domestic industry was a strategic step to cater to rising demand in India. However, the domestic industry could not utilize this increased capacity efficiently due to continued aggressive dumping.
- xxvii. Dumped imports captured the additional demand in the market, leaving the domestic industry unable to fully utilize its added capacity. This underutilization is not due to overcapacity or internal inefficiencies.
- xxviii. The Domestic industry has not claimed injury based on employment figures. Increased employment was a result of planned expansion and does not indicate absence of injury.
- xxix. Productivity per day rose from an indexed 100 to 151 in the POI. Yet, this increase did not offset the broader financial harm caused by dumped imports.

- xxx. The domestic industry made significant capital investments, with a *** % rise in average capital employed and a *** % increase in net fixed assets. Depreciation expenses also rose due to these expansions.
- xxxi. The decline in ROI was not due to inefficiencies or higher costs, but due to unfair competition from underpriced Chinese imports. These imports disrupted market opportunities and limited the Domestic Industry's earnings.
- xxxii. The domestic industry's current installed capacity stands at approximately 26,000 MT, with plans to expand to 60,000 MT in the near future. Additionally, its supporter, N. Liftee Engineers, contributes 5,500 MT, bringing the combined capacity to 31,500 MT during POI half of the total domestic demand for the PUC, which is approximately 65,675 MT.
- xxxiii. The purpose of imposing anti-dumping duties is not to eliminate imports but to counteract the injury caused by unfair trade practices such as dumping.
- xxxiv. While the domestic industry expanded its capacity during the POI, this expansion must be viewed in the context of the increasing demand and the impact of dumped imports on its performance. Despite the increase in production, the domestic industry's sales volumes have not kept pace with the growing demand in the market, indicating a loss in market share due to dumped imports.
- xxxv. The Domestic Industry's cost of sale increased by 89% in the POI, while the average selling price per unit increased by 26%. This indicates that the increase in sales value was insufficient to cover the rising costs, leading to declining profitability and supporting the presence of material injury due to dumped imports.
- xxxvi. The credit rating upgrade of the Domestic industry reflects its overall creditworthiness and ability to meet financial obligations, considering factors such as consolidated operations, other business segments, and long-term financial outlook. However, injury analysis in anti-dumping investigations is strictly product-specific, and the data submitted shows a sharp deterioration in the profitability of the PUC segment, with Profit Before Tax (PBT) and Return on Investment (ROI) turning negative during the POI.
- xxxvii. The inventory levels of the domestic industry have risen disproportionately compared to sales, indicating unsold stock and financial stress. This directly results from the inability of the domestic industry to sell its products in the domestic market due to dumping from China PR.
- xxxviii. The borrowings made by the domestic industry were in the normal course of business to support legitimate capital expansion activities, including the installation of new machinery in 2023. The losses suffered in the POI clearly establish that such investments have not translated into returns due to adverse pricing pressure from dumped imports.
- xxxix. The Domestic Industry has suffered material injury, and there exists a continued threat of further injury, which directly coincides with the increase in dumped imports from the subject country.
- xl. Imports from the subject country account for the entirety of imports into India during the period of investigation. Therefore, imports from other countries cannot be considered as a contributing factor to the injury.

- xli. The demand for the product has increased steadily during the injury period. Despite this, the Domestic Industry continues to operate with significant unutilized capacity, indicating that declining demand is not responsible for the injury.
- xlii. There are no restrictive trade practices or external competition issues that could have contributed to the injury. No technological changes have occurred that might otherwise explain a decline in performance.
- xliii. The Domestic Industry has not undertaken export activities in the product under consideration; thus, the injury cannot be linked to export performance or external market dynamics.
- xliv. The injury is specifically related to the product under consideration and not to any other business segment or product line of the Domestic Industry.
- xlvi. No alternative explanations or extraneous factors have been identified as the cause of injury to the Domestic Industry, apart from the dumped imports from the subject country.
- xlvi. The increase in dumped imports has led to significant price undercutting and price suppression, which has directly resulted in reduced market share and financial losses for the Domestic Industry.
- xlvi. The injury being suffered is solely attributable to the dumped imports. Other known factors such as operational costs, global disruptions, or market fluctuations have not materially impacted the Domestic Industry in a manner that breaks the causal link.
- xlvi. No credible evidence has been provided by the interested parties to demonstrate that any factor other than the dumped imports is responsible for the injury suffered by the Domestic Industry.
- xlix. The financial performance of the Domestic Industry actually improved during the COVID period (2021–22). However, performance declined significantly during the POI, which was outside the COVID timeframe, indicating that pandemic-related disruptions are not responsible for the current injury.
- 1. The domestic industry has undertaken the borrowings in the normal course of business for genuine capital expansion, including installation of new machinery in 2023 and the losses in the POI arose from adverse pricing pressure from dumped imports, not from any intent to evade tax or manipulate injury.
- li. The capacity expansion undertaken by the Domestic Industry does not require a stabilization period, as the company is a long-standing producer of the subject goods. Hence, the impact of capacity enhancement cannot be considered a factor contributing to the injury.
- lii. The domestic industry faces a threat of injury due to several factors. The dumped imports have consistently increased throughout the injury period. China's global exports of tariff subheadings 8431 31 and 8431 39 have grown significantly in recent years, as evidenced by the export value data.
- liii. Chinese exporters have substantial unused capacities, estimated at 24,30,000 MT, which is 37 times India's demand. The current production is 16,43,000 MT, with a 68% capacity utilization, leaving 32% unused. This excess capacity could be directed towards dumping products into India, especially as demand in China has decreased due to its property sector crisis.
- liv. The property sector crisis in China, triggered by the Evergrande Group's default, has caused a slowdown in the construction industry, impacting the demand for guide rails. Chinese manufacturers are now seeking new markets, particularly India. Manufacturers like Marazzi

Jiangsu and Zhejiang Bonly, having invested heavily in production, are shifting their focus to India, where construction activity is booming.

- iv. The demand for guide rails in India, fuelled by post-COVID construction growth, is likely to encourage continued dumping from Chinese producers, potentially leading to the closure of India's major PUC manufacturers.
- lvi. Other Chinese exporters, including Zhangjiagang Oscar Jason Elevator and Changjiang Runfa Machinery, had already identified India as a key market. With the downturn in China's construction sector, these exporters are increasing their shipments to India, further exacerbating the issue.
- lvii. The dumped imports are causing significant price depression in India, as shown by the data. Additionally, Chinese exporters hold large inventories that could be dumped into India. The Authority is urged to verify these assertions with the participating producers from China PR.
- lviii. The reference to transportation cost made by N. Liftee during the oral hearing on 26 May 2025 has been mischaracterized by the other interested parties and taken out of context. At no point was it suggested that injury to the domestic industry is caused solely by transportation expenses.
- lix. Transportation costs represent only a minor share of total production costs, insufficient to materially affect the petitioner or account for the injury sustained. On the contrary, data on record shows significant price undercutting by exporters from the subject country even before transportation expenses are considered. This confirms that the injury stems from dumped imports.
- lx. The interested parties are incorrectly comparing two different time periods i.e. January 2023 to December 2023, and April 2023 to March 2024 to show the discrepancy in the profitability reported by the petitioner. The six-month difference between these periods renders such a comparison misleading. Further, the petitioner has provided profitability data for both the PUC and NPUC, which has already been verified by the Authority.

H.3. Examination by the Authority

115. Rule 11 of the AD Rules read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry,

“... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...”

116. Further, in considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales

realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

117. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
118. As regards the various arguments of other interested parties based on the statements and data provided by the domestic industry, it is noted that the findings of the Authority are based on the verified data.
119. As regards the claim of interested parties that in spite of the increase in interest cost of the petitioner due to long-term loans availed in FY 2022-23 and FY 2023-24, the PBIT of the petitioner declined drastically from 253 index points in FY 2022-23 to 33 index points during the POI, the Authority notes that the profits of the domestic industry declined significantly in 2022-23 and turned into losses in the POI. The decline in profits was so significant that the increase in interest costs did not result in an increase in the PBIT. On the contrary, the PBIT of the domestic industry declined sharply in the POI. A similar trend was observed in case of cash profits and PBDIT due to an increase in depreciation on account of capacity increase.
120. The interested parties contended that the selling price of the domestic industry moved in tandem with the cost of sales and the domestic industry also experienced price undercutting of 10-20% in FY 2022-23 and 20-30% during the POI. Despite this, the Petitioner's production, sales volume, and capacity utilization were not significantly affected. In this regard, the Authority has compared the selling price and cost of sales of the domestic industry in the table below. It is seen that the domestic selling price has declined more than the decline in the cost of sales of the domestic industry.

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
A	Solid Guide Rails					
1	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>123</i>	<i>136</i>	<i>131</i>
2	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>130</i>	<i>138</i>	<i>128</i>
3	Increase/(Decrease)					
4	Cost of Sales	Rs/MT		***	***	[***]
5	Selling Price	Rs/MT		***	***	[***]
B	Hollow Guide Rails					
1	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>147</i>	<i>130</i>	<i>129</i>
2	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>165</i>	<i>146</i>	<i>135</i>
3	Increase/(Decrease)					

4	Cost of Sales	Rs/MT		***	[***]	[***]
5	Selling Price	Rs/MT		***	[***]	[***]

121. With respect to the further contention of the interested parties that the price undercutting has increased in the POI and the petitioner's production, sales volume, and capacity utilization were not significantly affected, the Authority notes that the price undercutting has increased in the POI and as a result the domestic industry faced tough competition in the market and as a result the production, sales volume, and capacity utilization of the domestic industry have affected. The Authority further notes that though the demand of the PUC has risen over the injury period including the POI, the domestic sales of the domestic industry have declined. It is also seen that production of the domestic industry has increased marginally in the POI and at the same time, the domestic industry faced significant unutilized capacities with it.
122. The interested parties have contended that the decline in capacity utilization was attributed to the installation of a new plant, which was not operational during the POI. The table below shows the capacity utilization of the domestic industry with or without capacity expansion-

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Capacity- Before Expansion	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
2	Capacity- After Expansion	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>118</i>
3	Production	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>135</i>	<i>149</i>	<i>151</i>
4	Capacity Utilization		***	***	***	***
a	Considering Old capacity	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>135</i>	<i>149</i>	<i>151</i>
b	Considering expanded capacity	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>135</i>	<i>149</i>	<i>127</i>

123. It is seen that the capacity utilization of the domestic industry increased till 2022-23, however declined in the POI after considering the expanded capacity. The Authority has additionally calculated the capacity utilization in the POI after removing the impact of expansion and notes that the capacity utilization has increased by only (0-5) % in the POI and further notes that there

still exists (25-35) % unutilized old capacity with the domestic industry. The Authority notes that the domestic industry has significant idle capacities despite presence of significant demand in the country.

124. The interested parties contended that the petitioner predominantly procures raw materials from related parties, and its injury might be because of inflated cost of raw materials. In this regard, the domestic industry submitted the following information/clarification-
- a. T- Profiles are purchased by Savera India from Savera Kothari India Private Limited (**“Savera Kothari”**), which are used in manufacturing of Solid Guide Rails. Savera India and Savera Kothari both are separate legal entities and all the purchase and sales between them are at arm’s length.
 - b. Savera India majorly procures T- Profiles from Savera Kothari because of the specific technical composition of the T- Profile to be used for manufacturing of the PUC. However, there are some purchases of T- Profiles in the POI which has been made from unaffiliated company i.e., [***].
 - c. The sample invoices for T-Profile purchases from Savera Kothari and [***] were provided. It was claimed that T-Profile purchase prices from [***] are comparable with the prices of Savera Kothari and even in the month of August, the prices of [***] are far higher than the prices of Savera Kothari. This proves that the Savera India has not bought T-Profiles from Savera Kothari at a higher price and injury claimed by Savera India has not been inflated.
 - d. Savera India has also provided the sales ledger of Savera Kothari for the POI for comparing the sales prices of Savera Kothari to Savera India and other unaffiliated customers. It was substantiated that selling price of T-Profiles sold by Savera Kothari to Savera India and unaffiliated customer are in the same range. This also substantiates that the purchase and sales of T-Profiles between Savera India and Savera Kothari are at arm’s length.
 - e. Savera India has also provided the purchase invoices of the supporter company i.e., N. Liftee Engineers (**“N. Liftee”**) and the purchase price of T-Profiles of N. Liftee are far higher than the purchase price of Savera India.
 - f. With respect to the input used in manufacturing Hollow Guide Rails, it is submitted that HR Coil Sheets are used for manufacturing Hollow Guide Rails. The HR Coil Sheets are being collected from unrelated suppliers; therefore, the question of arm’s length pricing does not arise.
125. After considering the above submissions and examining the evidence provided by the domestic industry, the Authority notes that the T-Profile purchase prices of the domestic industry from its related entity i.e. Savera Kothari are at arm’s length. It is further noted that the purchase prices of T-Profiles by the domestic industry from Savera Kothari are much lower than the purchase prices of T-Profiles of N. Liftee.
126. The Authority notes that the HR Coil Sheets are used for manufacturing Hollow Guide Rails and the same are purchased by the domestic industry from unrelated suppliers.

127. The interested parties have contended that the domestic industry undertook capacity expansion, increasing capacity by [***] % during the POI and the domestic sales of the domestic industry have also grown throughout the injury period, indicating no injury from dumped imports. The Authority notes that the domestic industry has increased capacity by [***] % in the POI and the domestic sales have increased till 2022-23 and declined thereafter.
128. With respect to the contention of interested parties that the number of employees, production per employee, and wages have all increased, showing a positive trend throughout the injury period, the Authority notes that the domestic industry has not claimed injury on account of such parameters.
129. The interested parties have contended that the piling up of inventory is not necessarily an indicator of injury or poor economic performance and reliance has been made on CESTAT judgment in Stone Tyre Manufacturing (Thailand) vs. Designated Authority (2nd August 2011). The matter has been examined and the following table shows the average inventory as % of sales of domestic industry:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>134</i>	<i>146</i>	<i>144</i>
2	Average Inventory	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>159</i>	<i>322</i>
3	Average Inventory as % of domestic sales	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>67</i>	<i>100</i>	<i>200</i>

130. It is seen that the average inventory has not only increased in absolute terms but also as % domestic sales.
131. The interested parties have contended that the financial indicators also show positive trends. Turnover has grown by 180% and 198% in 2021-22 and 2022-23 respectively from the base year. The Authority notes that the other interested parties have wrongly projected the growth in the turnover of the domestic industry by 180% and 198% in 2021-22 and 2022-23 respectively. The actual growth in turnover is 80% and 98%. Further, it is noted that the turnover of the company also includes the sale of trading activities. It is also noted that the cost of sales of the domestic industry also have increased by 73% and 106% in 2021-22 and 2022-23, therefore, the comparison of turnover of the domestic industry in isolation is misleading. Hence, the increase in turnover cannot be considered a positive indicator of growth in financial performance.
132. The interested parties have contended that the imports from China PR increased from 24,754 MT in 2020-2021 to 31,983 MT in 2021-2022, continuing to rise. However, the domestic industry has not suffered any injury, as its sales increased from an indexed value of 100 in 2020-2021 to 144 during the POI. This demonstrates the ability of the domestic industry to maintain and expand its market share despite higher imports. The table below shows imports from China, sales of domestic industry, sales of supporter and other domestic producer and demand of the subject goods in India in the injury period-

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Imports from China	MT	25,181	32,266	45,293	49,098
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>128</i>	<i>180</i>	<i>195</i>
2	Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>134</i>	<i>146</i>	<i>144</i>
3	Sales of Supporter	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>164</i>	<i>94</i>	<i>58</i>
4	Sales of other Indian producer	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
5	Indian Demand	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>138</i>	<i>164</i>	<i>171</i>
4	Increase/(Decrease)					
a	Imports from China	MT		7,085	13,027	3,805
b	Sales of domestic industry	MT		***	***	[***]
c	Indian Demand	MT		***	***	***
d	Sales of Supporter	MT		***	[***]	[***]
e	Sales of other Indian producer	MT		-	-	-

133. It is seen that the demand for the subject goods increased in the injury period. The imports from China have consistently captured a major share of the increased demand in the injury period. The domestic industry sales increased till 2022-23 and declined in POI despite a rise in demand. It is also noted that although the sales of the domestic industry have increased, however, the increase is far below the increase in demand.
134. The interested parties have contended that the ROI of the domestic industry has drastically declined by 78%, from 290% in 2020-2021 to just 22% in the POI. This suggests that the company is not generating sufficient returns from its increased capital, likely due to rising costs, inefficiencies, or reduced revenue. The Authority notes that the interested parties have mistakenly used indexed basis point as % and claimed that domestic industry ROI has declined from 290% to 22%. Further, the decline in ROI implies that the domestic industry was not able to utilize its enhanced capacity due to dumped imports and its ROI declined sharply in the POI. The decline in ROI is not because of its rising cost and inefficiencies but is due to its competition in the domestic market with the dumped imports from China.
135. The interested parties have contended that the financial data of the domestic industry reveals a significant surge in interest and depreciation costs due to capacity expansion, which has contributed to financial stress. The Authority notes that the increase in depreciation and interest cost is a normal phenomenon in case of an expansion. The table below shows the PBIT and cash profits of the domestic industry in the injury period:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
----	-------------	------	---------	---------	---------	-----

1	Profit/(loss)	Rs. Lacs	***	***	***	(***)
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>469</i>	<i>291</i>	<i>(48)</i>
2	Interest	Rs. Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>66</i>	<i>164</i>	<i>220</i>
3	Depreciation	Rs. Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>82</i>	<i>103</i>	<i>207</i>
4	Cash profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>337</i>	<i>227</i>	<i>39</i>
5	PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>348</i>	<i>253</i>	<i>33</i>

136. It is seen that even if the depreciation and interest cost is not considered, the PBIT and cash profits have declined, which clearly shows that the injury to the domestic industry is not on account of capacity expansion.
137. The interested parties have contended that some of the data reveals inconsistencies that require examination. For Solid Guide Rails, the landed price in the POI was ₹62,306/MT, a 1% increase from the base year, yet the reported price undercutting increased disproportionately from (0–10%) to 20–30%. This divergence between a slight rise in landed prices and a large increase in undercutting suggests inefficiencies in the DI's pricing practices. The table below shows the cost of sales, selling price, landed price and the price undercutting-

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>123</i>	<i>136</i>	<i>131</i>
2	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>130</i>	<i>138</i>	<i>128</i>
3	Landed Price	Rs/MT	61,406	86,892	75,596	62,306
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>142</i>	<i>123</i>	<i>101</i>
4	Price undercutting	Rs/MT	[***]	[***]	***	***
5	Price undercutting	%	[***]	[***]	***	***
	<i>Trend</i>		(0-10) %	(0-10) %	10-20%	20-30%
6	Increase/(Decrease)					
a	Cost of Sales	Rs/MT		***	***	[***]
b	Selling Price	Rs/MT		***	***	[***]
c	Landed Price	Rs/MT		25,487	-11,296	-13,290
d	Price undercutting	Rs/MT		[***]	***	***
e	Price undercutting	%		[***]	***	***

138. It is noted that the comparison made by the interested parties of POI with the base year without analyzing the intervening trend is not correct and misleading. Furthermore, on year-to-year comparison, it is seen that in the year 2020-21, the import prices were slightly higher than the

domestic selling price and as a result price undercutting was slightly negative. In the year 2021-22, the import price increased and as a result, the domestic industry also increased the domestic selling prices and the increase in the landed price was more than the increase in the selling price of the domestic industry due to higher ocean freight on account of COVID-19 and the price undercutting was notably negative. In the year 2022-23, selling prices increased due to increase in the cost of sales, however, the landed prices declined significantly and as a consequence, the price undercutting was significantly positive. In the POI, the cost of sales and domestic selling price of the domestic industry declined, however, the decline in domestic selling prices was sharper than the decline in the cost of sales. On the contrary, the landed price declined so sharply in the POI resulted in almost same landed prices in POI and base year. Therefore, as the analysis carried out by the other interested parties that there was an increase of 1% in the landed price of the POI but the price undercutting increased disproportionately from (0-10%) in the base year to 20% to 30% in POI is misleading.

139. The interested parties have also contended that for Hollow Guide Rails, the landed price declined by 8% in the POI, from ₹72,806/MT to ₹66,812/MT, but the price undercutting surged fivefold, from (0–10%) to 50–60%. This sharp increase in undercutting, despite a moderate decline in import prices, indicates internal inefficiencies in the DI's pricing, rather than any impact from dumped imports.

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>147</i>	<i>130</i>	<i>129</i>
2	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>165</i>	<i>146</i>	<i>135</i>
3	Landed Price	Rs/MT	76,163	95,741	82,126	68,571
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>126</i>	<i>108</i>	<i>90</i>
4	Price undercutting	Rs/MT	[***]	***	***	***
5	Price undercutting	%	[***]	***	***	***
	<i>Trend</i>		<i>(0-10) %</i>	<i>20-30%</i>	<i>30-40%</i>	<i>40-50%</i>
6	Increase/(Decrease)					
a	Cost of Sales	Rs/MT		***	[***]	[***]
b	Selling Price	Rs/MT		***	[***]	[***]
c	Landed Price	Rs/MT		***	[***]	[***]
d	Price undercutting	Rs/MT		***	[***]	***
e	Price undercutting	%		***	***	***

140. As noted above, the comparison made by the interested parties of POI with the base year without analyzing the intervening trend is incorrect and misleading. Furthermore, on year-to-year comparison, it is seen that in the year 2020-21, the import prices were slightly higher than the domestic selling price and as a result price undercutting was negative. In the year 2021-22, the import price increased and as a result, the domestic industry also increased the domestic selling

prices. The increase in the domestic selling price was more than the increase and the price undercutting were positive. In the year 2022-23, selling prices declined due to reduction in cost of sales, however, the landed prices declined significantly and consequently, the price undercutting increased. In the POI, the cost of sales and domestic selling price of the domestic industry declined, however, the decline in domestic selling prices was sharper than the decline in the cost of sales. On the contrary, the landed price declined so sharply in the POI that it reduced to a level of more than the landed price in the base year. Therefore, as the analysis carried out by the other interested parties that the landed price declined by 8% in the POI, from ₹72,806/MT to ₹66,812/MT, but the price undercutting surged fivefold, from (0–10%) to 50–60% is misleading.

141. The interested parties have contended that ICRA has consistently upgraded the domestic industry's credit rating, indicating improved financial stability. This suggests that the domestic industry's performance is much better than claimed in the petition. It is noted that the domestic industry has submitted that these ratings primarily assess the company's loan repayment capacity, not its profitability on a product specific basis. Further, the Authority notes that injury analysis has been carried out for the PUC and the financial performance of the same shows' deterioration.
142. The interested parties have contended that adoption of a 22% return on capital employed is deemed unreasonable and inconsistent with the existing tax and interest rate structure. The profit margin should be based on an analysis of profits during a period when no dumping was present, not on hypothetical figures. Therefore, the Director General is urged to reconsider the application of 22% ROCE and adjust accordingly. The Authority notes that it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%. The Authority notes that the domestic industry had earned an average return on capital employed of ****% when no dumping was present. The return on capital employed by the Authority is less than that earned by the petitioner and as per the consistent practice of the Authority.
143. The interested parties have contended that the current domestic supply of the PUC is insufficient to meet the demand, with the domestic industry only able to produce 26,000 MT compared to a demand of *** MT, highlighting the need for imports to bridge the gap. The Authority notes that the imposition of antidumping duty will only ensure a level playing field to the domestic industry. It will not lead to stoppage of imports into India. The demand supply gap is no justification for dumping. The Authority notes that the imposition of ADD does not restrict the imports but only ensures that the imports are not at dumped prices.
144. With respect to the submissions made by the interested parties alleging a discrepancy between the profit before tax trends reported in Appendix IVA of the petition and those reflected in the audited financial statements of the domestic industry, the Authority notes that the contention raised by the interested party is based on comparison of different periods. Specifically, the PBT data presented in Performa IVA pertains to the POI, i.e., January 2023 to December 2023, whereas the audited financials relate to the financial year April 2023 to March 2024. The difference of six months makes the comparison of profits misleading. Further, the Authority notes that the data submitted by the petitioner pertains to the profitability of the PUC only.
145. With respect to the issue raised by the other interested parties that the injury to the domestic

industry is due to high transportation cost, the Authority notes that transportation costs account for only [***] % and [***] % of the total cost of production for hollow guide rails and solid guide rails, respectively. These percentages are too minimal to have any material impact or to be considered a cause of injury to the domestic industry. The Authority is therefore of the view that the central cause of injury to the domestic industry remains the continued dumping of the PUC

H.3.1. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand/apparent consumption

146. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DG Systems. The demand/apparent consumption so calculated is as under:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Imports from China	MT	25,181	32,266	45,293	49,098
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>128</i>	<i>180</i>	<i>195</i>
2	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>134</i>	<i>146</i>	<i>144</i>
3	Indian Demand	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>138</i>	<i>164</i>	<i>171</i>
4	Increase/(Decrease)					
a	Imports from China	MT		***	***	***
b	Domestic Sales	MT		***	***	[***]
c	Indian Demand	MT		***	***	***

147. It is seen that the demand of the PUC shows growth in the injury period.

b) Import volume from the subject country relative to production and consumption in India

148. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes of the subject goods from the subject country and share of subject imports during the injury investigation period are as follows:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Imports from China	MT	25,181	32,266	45,293	49,098
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>128</i>	<i>180</i>	<i>195</i>
2	Imports from other countries	MT	291	3,265	146	-
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>1,121</i>	<i>50</i>	-

3	Indian Demand	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>138</i>	<i>164</i>	<i>171</i>
4	Indian Production	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>137</i>	<i>137</i>	<i>134</i>
5	Subject countries import in relation to -					
A	Indian Demand	%	***	***	***	***
	Change	%		-5%	11%	3%
B	Indian Production	%	***	***	***	***
	Change	%		-13%	72%	29%

149. It is seen that imports of subject goods from China have increased in absolute terms throughout the injury period while imports from other countries have declined significantly, and there was no import of subject goods from other countries during the POI. The imports from China in terms of Indian demand and Indian production declined in 2021-22 and increased thereafter in 2022-23 and POI.

H.3.2. Price effect of the dumped imports

150. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

151. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation. The table below shows the same-

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Solid Guide Rail					
i	Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
ii	Landed Price	Rs/MT	***	***	***	***
iii	Price Undercutting	Rs/MT	[***]	[***]	***	***
iv	Price Undercutting	%	[***]	[***]	***	***
v	Price Undercutting	Range %	(0-10) %	(0-10) %	10-20%	20-30%
2	Hollow Guide Rail					
i	Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
ii	Landed Price	Rs/MT	***	***	***	***
iii	Price Undercutting	Rs/MT	[***]	***	***	***
iv	Price Undercutting	%	[***]	***	***	***
v	Price Undercutting	Range %	(0-10) %	20-30%	30-40%	40-50%

3	Guide Rail as a whole					
i	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
ii	Price Undercutting	%	***	***	***	***
iii	Price Undercutting	Range %	(0-10) %	(0-10) %	10-20%	20-30%

152. It is seen that the landed prices of the subject imports have declined sharply in the POI. Further, the landed price of the subject imports is significantly below the domestic selling prices and is undercutting the prices of the domestic industry during the POI. The price undercutting is not only positive but also significant.

b) Price suppression/depression

153. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has compared the cost of sales & selling price of the domestic industry with the landed price of subject goods.
154. The table below shows the cost of sales, selling price and the landed price of imports of Solid Guide Rails-

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>123</i>	<i>136</i>	<i>131</i>
2	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>130</i>	<i>138</i>	<i>128</i>
3	Landed Price	Rs/MT	61,406	86,892	75,596	62,306
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>142</i>	<i>123</i>	<i>101</i>
4	Increase/(Decrease)					
a	Cost of Sales	Rs/MT		***	***	[***]
b	Selling Price	Rs/MT		***	***	[***]
c	Landed Price	Rs/MT		25,487	-11,296	-13,290

155. It can be seen that in the POI, the cost of sales of the Solid Guide Rail has declined by Rs ***per MT whereas the selling price has declined by Rs ***per MT. The decline in the domestic selling price is more than the decline in the cost of production of the domestic industry because of the rapid decline of Rs 13,290 per MT in the landed price of the imports from China. Therefore, the landed prices of subject imports have depressed the prices of the domestic industry in the POI.
156. The table below shows the cost of sales, selling price and the landed price of imports of Hollow Guide Rails-

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>147</i>	<i>130</i>	<i>129</i>

2	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>165</i>	<i>146</i>	<i>135</i>
3	Landed Price	Rs/MT	76,163	95,741	82,126	68,571
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>126</i>	<i>108</i>	<i>90</i>
4	Increase/(Decrease)					
a	Cost of Sales	Rs/MT		***	[***]	[***]
b	Selling Price	Rs/MT		***	[***]	[***]
c	Landed Price	Rs/MT		***	[***]	[***]

157. It can be seen that in the POI, the cost of production of the Hollow Guide Rail has declined by Rs ***per MT whereas the selling price has declined by Rs ***per MT. The decline in the domestic selling price is more than the decline in the cost of production of the domestic industry because of the rapid decline of Rs 13,556 per MT in the landed price of the imports from China. Therefore, the landed prices of subject imports have depressed the prices of the domestic industry.

158. The table below shows the cost of sales, selling price and the landed price of imports of PUC as a whole-

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>125</i>	<i>135</i>	<i>131</i>
2	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>133</i>	<i>139</i>	<i>129</i>
3	Landed Price	Rs/MT	61,873	87,513	75,922	62,762
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>141</i>	<i>123</i>	<i>101</i>
6	Increase/(Decrease)					
a	Cost of Sales	Rs/MT		***	***	[***]
b	Selling Price	Rs/MT		***	***	[***]
c	Landed Price	Rs/MT		***	[***]	[***]

159. It can be seen that in the POI, the cost of production of the PUC has declined by Rs *** per MT whereas the selling price has declined by Rs *** per MT. The decline in the domestic selling price is more than the decline in the cost of production of the domestic industry because of the rapid decline of Rs 13,160 per MT in the landed price of the imports from China. Therefore, the landed prices of subject imports have depressed the prices of the domestic industry.

H.3.3 Economic parameters of the domestic industry

160. Annexure II to the Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such

products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

161. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>118</i>
2	Production	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>135</i>	<i>149</i>	<i>151</i>
3	Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>135</i>	<i>149</i>	<i>127</i>
4	Domestic sales	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>134</i>	<i>146</i>	<i>144</i>

162. It is noted that the domestic industry has expanded its capacity which became operational from 28th June 2023. The domestic industry had expanded its capacities to meet the increasing demand of the subject goods in India. However, in spite of the increasing demand in the country, the domestic industry could not increase its capacity utilization in the POI. On the contrary, capacity utilization has declined sharply in the POI. The domestic industry has not been able to utilize its full capacity and is operating at ***% in the POI in spite of the adequate demand of the PUC in the country.
163. Further, it is noted that the level of output/ production and sales volumes have shown a rising trend till 2022-23 and production showed only a negligible increase in the POI despite significant unutilized capacities. Further, domestic sales have shown a decline in the POI. The increase in the output/ production and sales volumes during the injury period is significantly muted and not in proportion to the increased demand in the country.

b) Market share

164. The market share of the domestic industry and of imports is shown in the table below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Share of the domestic industry	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>89</i>	<i>84</i>
2	Share of Supporter	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>118</i>	<i>58</i>	<i>34</i>
3	Share of other Indian producer	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>72</i>	<i>61</i>	<i>59</i>
4	Share of China	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>110</i>	<i>114</i>
5	Share of Other Countries	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>810</i>	<i>31</i>	<i>-</i>

165. It can be seen from the above table that the market share of the domestic industry has been on a declining trend throughout the injury period. The share of the domestic industry has reduced from an already low share *** % in the base year declined to *** % in the POI despite having the capacity to meet a much higher share in the Indian demand. Furthermore, the share of other Indian producers including the supporter has also declined in the POI.

166. On the contrary, the market share of the subject country has been consistently increasing throughout the injury period. Further, it is also evident that the market share of imports from other countries has been on a declining trend with only a rise in 2021-22. In the POI, the share of other countries has become nil.

c) Inventories

167. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Opening	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>116</i>	<i>199</i>
2	Closing	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>124</i>	<i>206</i>	<i>453</i>
3	Average	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>159</i>	<i>322</i>

168. It can be seen that the average inventory of the domestic industry consistently increased during the injury period and rose sharply in the POI.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

169. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	PBT	Rs. Lacs	***	***	***	[***]
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>469</i>	<i>291</i>	<i>(48)</i>
2	PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>348</i>	<i>253</i>	<i>33</i>
3	Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>337</i>	<i>227</i>	<i>39</i>
4	ROCE	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>290</i>	<i>152</i>	<i>22</i>

170. The profit, cash profits and ROI of the domestic industry increased till 2021-22 and has been consistently declining post 2021-22. In fact, the domestic industry started incurring losses in the POI.

e) Employment, productivity and wages

171. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Production	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>135</i>	<i>149</i>	<i>151</i>
2	Employees	Nos	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>135</i>	<i>149</i>	<i>162</i>
3	Production/employee	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>93</i>
4	Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>141</i>	<i>168</i>
5	Wages/employee	Rs/Nos	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>94</i>	<i>104</i>

172. It is seen that the number of employees and salary and wages of the domestic industry increased over the injury period. The productivity of the domestic industry has been consistent over the injury period with a slight decline in the POI due to lesser production levels.

f) Growth

173. Information with respect to the growth of the domestic industry is as below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Production (MT)	Y/Y		***	***	***
2	Domestic Sales (MT)	Y/Y		***	***	[***]
3	PBT (Rs Lacs)	Y/Y		***	[***]	[***]
4	Inventory (MT)	Y/Y		***	***	***
5	Market Share (%)	Y/Y		[***]	[***]	[***]
6	Cash Profit (Rs Lacs)	Y/Y		***	[***]	[***]
7	ROI (%)	Y/Y		***	[***]	[***]

174. It can be seen that all the volume parameters of the domestic industry show negative growth in the POI except the production which has just marginally increased in the POI. Further, all the price parameters of the domestic industry show negative growth in 2022-23 and the POI. The market share of the domestic industry also shows negative growth.

g) Impact on the ability to raise capital investments

175. The Authority notes that the even though the domestic industry has made new investments to increase its capacities to cater to the increasing demand of PUC in India, the domestic industry has been unable to utilize its capacities and is facing losses due to dumped imports. Thus, the ability of domestic industry to raise capital investments is significantly impaired.

h) Factors affecting prices

176. The Authority notes that the volume of imports during the POI was significant and such imports were at prices significantly below the cost of production of the domestic industry. Selling price of the domestic industry has been severely affected by the subject imports. Thus, landed value of subject goods from subject country is the main factor affecting domestic prices.

i) Magnitude of dumping

177. It is noted that the dumping margin from the subject country is significant and indicative of the aggressive pricing of the subject goods.

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

178. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules.

a. Volume and price of imports from third countries

179. The Authority notes that imports from non-subject countries are nil. Therefore, the injury is not attributable to imports from third countries.

b. Contraction of demand

180. The demand for the product under consideration has seen an increase. Therefore, decline in demand cannot be a cause of injury. Thus, the domestic industry has not suffered any injury due to a possible contraction in demand.

c. Changes in pattern of consumption

181. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

182. The sales of the subject goods are not restricted in any manner and no restrictive practices have been brought to the notice of the Authority.

e. Developments in technology

183. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of the product under consideration.

f. Productivity

184. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury on this account.

g. Export performance

185. The applicant has not exported the subject goods. Hence, the export performance cannot be a cause of injury to the domestic industry.

h. Performance of other products

186. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

187. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the period of investigation and the injury margin so worked out is as under:

Injury Margin Table

S. No.	Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin		
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1.	Marazzi (Jiangsu) Elevator Guide Rail Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
2.	Wuxi Koenig Elevator Accessories Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
ii.	Zhejiang Bonly Elevator Guide Rail Manufacture Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
iii.	Non-Sampled Co-operative Producers	***	***	***	***	20-30

iv.	Others	***	***	***	***	40-50
-----	--------	-----	-----	-----	-----	-------

K. USER IMPACT ANALYSIS (INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES)

K.1 Submissions made by other interested parties

188. The other interested parties have made the following submissions regarding the Indian industry interest:
- i. Imposing anti-dumping duties on the subject goods will severely disrupt the user industries and harm the general public. This decision will exacerbate existing financial and operational difficulties faced by the industries, particularly as it recovers from the effects of the COVID-19 pandemic.
 - ii. The imposition of ADDs will raise the cost of key components, such as guide rails, without providing a viable domestic alternative, forcing users to continue importing at higher costs. This will ultimately lead to increased costs in elevator manufacturing and will be passed on to infrastructure developers, contractors, and consumers, resulting in higher construction and housing costs.
 - iii. The imposition of a duty on Lift Guide Rails is expected to lead to a 0.1% increase in the final price of elevator systems borne by consumers.
 - iv. The imposition of duties will lead to an increase in the cost of goods sold, which will ultimately be reflected in the final price of the goods, with the extent of the impact depending on the rate of duty imposed.
 - v. Anti-dumping duties on lift guide rails will lead to increased procurement and installation costs for companies that rely on these components. This, in turn, will result in higher prices for the final products, ultimately burdening the end consumers with increased costs for elevators.
 - vi. The price increase resulting from the imposition of ADDs will likely lead to reduced order volumes as customers seek more cost-effective alternatives, or delay purchases, adversely impacting the user industry's business and order bookings.
 - vii. A lack of precision in guide rails will negatively impact the sales of finished products, such as elevators, by diminishing the perceived safety and reliability of the product. This could harm the company's reputation and lead to a decline in sales due to safety concerns.
 - viii. In 2024, approximately 1,18,000 elevator units were sold, with the unorganized sector contributing around 38,000 units representing a significant 30% market share.
 - ix. The elevator industry is witnessing heightened competition as 30% of the market remains open to the unorganized sector. While the top 8 companies secure most major orders, the unorganized players are left to compete for a relatively small portion of the market.
 - x. Unorganized sector players often operate at minimal margins, sometimes at breakeven or loss, just to secure projects and retain skilled manpower, who are otherwise vulnerable to being poached by larger competitors.
 - xi. The unorganized sector is unable to use hollow guiderails due to specific design limitations.

- xii. Savera India supplies only to MNCs and large firms via its authorized distributor, Jupiter Enterprises. Consequently, prices offered by Jupiter to smaller local buyers are significantly higher than those negotiated by large companies with volume-based bargaining power.
- xiii. The elevator industry is expanding rapidly, driven by peak infrastructure activity. Large firms are also entering segments traditionally served by the unorganized sector, such as small-rise buildings, villas, and low-speed elevators, in an effort to grow their market share.
- xiv. In one scenario, the top five companies can absorb dumping-related costs and continue sourcing from overseas suppliers like Savera China. Meanwhile, domestic guiderail manufacturers, faced with excess inventory, may offload products through Jupiter Enterprises primarily selling to MNCs thereby raising prices for the unorganized sector.
- xv. In another scenario, a strategic tie-up between a major company and the sole domestic guiderail manufacturer could force unorganized players to rely exclusively on expensive imports. Should Savera obtain BIS certification, small firms lacking access to alternative suppliers may have to shut down, severely impacting middle-class consumers especially senior citizens who depend on affordable elevator solutions.
- xvi. The unorganized sector faces challenges in both scenarios. Without a level playing field, these firms may become unviable, leading to closures, mass unemployment, and disruption in the servicing and maintenance of existing elevator systems.

K.2 Submissions made by the domestic industry

189. The domestic industry has made the following submissions regarding the domestic industry interest:
- i. The purpose of ADD is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country
 - ii. The imposition of ADD does not restrict imports from the subject country. While the ADD may influence the price levels of the product in India, it will not diminish fair competition. Instead, it will prevent the gain of unfair advantages through dumping, safeguard the Domestic Industry from further decline, and ensure consumers maintain access to a wide range of choices for the subject goods.
 - iii. The PUC is a small component in the end product i.e., elevators. Thus, the duty, if imposed, will not impact significantly the cost and price of end product.
 - iv. The PUC is used in the installation of lifts and elevators. The cost of PUC in these products typically accounts for 5-10% of their total cost, depending on factors like load-bearing capacity and the number of floors served.
 - v. A detailed calculation of the impact of ADD on the selling price of lifts and elevators has been provided. The impact is negligible, with Solid Guide Rails affecting the price by 0.03% and Hollow Guide Rails by 0.02%.
 - vi. Some of the interested parties namely Johnson, Kone, and OTIS have reported the impact of ADD on finished Elevators/Lifts, indicating a minimal impact of 0.1%. As Elevators/Lifts are capital goods, the effect of the duty should be considered over the products' useful life.

K.3 Examination by the Authority

190. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject country arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
191. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.
192. The Authority has considered whether the imposition of anti-dumping duty shall have any adverse impact on the interest of the public. To determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation. The Authority notes that there is no reason why the availability would reduce.
193. The Authority carefully examined the apprehensions raised by certain interested parties regarding the potential curtailment of imports due to the imposition of anti-dumping duties. The Authority notes that such duties do not preclude the continued importation of the subject goods from the subject country. Imports may proceed, provided they are conducted at fair, non-dumped prices.
194. A representation was filed by 10 MSME elevator manufacturing companies vide speed post and the same was received by the Authority on 13th May, 2025. In the representation, the said producers claimed themselves to be from unorganized sector. It is noted that these companies neither registered with the DGTR within the notified timeline nor did they approach the DGTR during the course of investigation. However, after the expiry of 11 months from the date of the initiation, a representation was filed by them opposing the imposition of antidumping duty. The Authority further notes that these submissions filed by the elevator manufacturers from unorganized sector are belated and the same has not been shared with the domestic industry and other interested parties. Despite the same, the Authority has considered their submissions.
195. The Authority notes that the availability of the subject goods in the Indian market shall remain

unaffected by the imposition of duties. The remedial nature of the measure ensures that imports, when made under non-injurious conditions, will continue unabated. The Authority is satisfied that the principles of fair competition are not undermined by this intervention. Rather, the imposition of duties rectifies the prevailing market distortion caused by dumped imports, thereby restoring equitable competitive conditions. Both domestic and imported goods will continue to coexist, thereby preserving consumer choice and fostering healthy market dynamics.

196. The concerns raised by the some interested parties regarding the potential rise in the cost of elevators due to the imposition of duties. These concerns have been evaluated in light of the detailed cost data and empirical evidence submitted by both the domestic industry and various interested parties. It has been observed that the PUC constitutes a limited portion of the overall cost structure of elevators, typically ranging between 5% and 10%, contingent on variables such as building height and technical specifications. Quantitative assessments provided by the domestic industry indicate that the impact of the duty on final elevator pricing is marginal 0.03% in the case of solid guide rails and 0.02% for hollow guide rails. These figures are corroborated by responses from interested parties such as Johnson, Kone and OTIS, who have reported a cost impact of only 0.1% on the finished elevator.
197. Further, the Authority notes that the elevators, being capital goods with a long operational life, render such marginal cost variations negligible when amortized over time. Thus, the apprehension of any substantial impact on end consumers lacks empirical backing and is not borne out by the material on record.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

L.1 Submissions made by other interested parties

198. The following post disclosure submissions have been made by other interested parties:
- i. The growth in imports from subject country during the POI was outpaced by the growth in overall domestic demand, showing that imports merely met additional market demand and did not displace the domestic industry's sales or cause volume-based injury.
 - ii. The attribution of material injury solely to imports ignores other causal factors such as capacity expansion, higher interest and depreciation costs and macroeconomic conditions, requiring a proper non-attribution analysis under Rule 11(2).
 - iii. The adverse price effects claimed are based on distorted Net Sales Realisation figures inflated by internal costs, with disproportionate undercutting trends showing inefficiencies in DI's pricing rather than injury from imports.
 - iv. The domestic industry's employment rose by 62% and wage outlay by 68% from the base year to the POI, indicating business growth, operational scaling and financial confidence rather than distress from imports. These positive trends undermine the allegation of material injury.
 - v. Injury attribution solely to dumped imports ignores "other factors" under Rule 11(2) and Annexure II, including capacity expansion, increased interest and depreciation costs and

COVID-19 disruptions; without proper non-attribution analysis, the causal link remains unsubstantiated.

- vi. The Authority's approach to confidentiality is vague and lacks transparency, as it first deemed objections procedurally inadmissible and then accepted certain claims "wherever warranted" without clear reasoning.
- vii. The impact of duty imposition on users has not been adequately addressed, noting that higher costs could affect industries such as construction, transportation and manufacturing, as well as compromise elevator safety due to reduced precision in guide rails.
- viii. The domestic industry's financial data lacks credibility due to the absence of established internal financial controls, as repeatedly highlighted in the Statutory Auditors' Reports for FY 2020-21 to 2022-23. This deficiency undermines the reliability of financial statements and affects the injury assessment.
- ix. The domestic industry has deliberately undertaken additional borrowings to increase interest expenses and operational costs, thereby inducing an artificial injury. Such borrowings, as noted in the auditor's statement of inability to provide an opinion, artificially inflate expenses, potentially reducing taxable income and portraying a misleading picture of financial distress unrelated to imports from the subject country.
- x. The use of the "surrogate country" methodology is without legal basis since 11 December 2016 under the WTO Protocol on China's accession and requests that the dumping margin be calculated based on data of exporter itself rather than using a surrogate country approach.
- xi. DGTR failed to disclose essential facts, including PCN-wise export prices, landed prices, detailed normal value calculations and Non-Injurious Price, thereby limiting Wuxi KOENIG's ability to evaluate the dumping margin and defend its interests in accordance with Article 6.9 of the WTO Anti-Dumping Agreement.
- xii. The Authority did not calculate dumping and injury margins for each PCN, rendering the PCN classification exercise ineffective and undermining the accuracy of the injury analysis.
- xiii. The Authorities' determination of export price for Wuxi KOENIG Elevator Accessories Co., Ltd. omits port-related expenses and requests that this be reviewed and clarified in the final determination.
- xiv. The producer/exporter submits that exports of the PUC to India during the POI were negligible in volume, sporadic in nature and undertaken only for legitimate purposes such as benchmarking, reengineering and alignment with customer-specific technical standards. These exports were neither intended for commercial-scale supply nor capable of causing material injury to the domestic industry. Accordingly, it is requested that Suzhou Savera Shangwu Elevator Riding System Co., Ltd. and Tianjin Savera Elevator Riding Systems Co., Ltd. be excluded from the scope of the present anti-dumping investigation.
- xv. Marazzi, a Sino-Italian joint venture with world-class manufacturing, cost-control capabilities and stable relations with major Indian partners, supplies quality products without engaging in low-price dumping. Yet, the disclosure statement assigns it a 40%–50% dumping margin, higher than competitors like Zhejiang Bonly, warranting a careful reassessment in light of its operational record, pricing practices and market conduct.

- xvi. Raw material price volatility is an objective, industry-wide factor impacting all Chinese exporters. It is requested that the Authority should have carried out dumping margin calculations on monthly average raw material costs or export prices to ensure accuracy and prevent distortions from timing differences.
- xvii. Some exporters reduce cross-sectional parameters, lowering product weight while declaring the same customs weight, thereby inflating the calculated price per ton and reducing their dumping margin. It is requested that the Authority investigate such specification variations to ensure margin determinations accurately reflect actual quality and parameters.
- xviii. Some exporters have introduced lighter substitute models, undermining safety and distorting weight-based dumping margin calculations. It is urged that the Authority account for such product downgrades to protect market fairness and the quality of public infrastructure products.
- xix. The fall in import prices for key raw materials aligns with the industry-wide softening of steel prices, as acknowledged by CCCME. Procurement data showing a 17.90% drop in FY 2023-24 and a marginal 1.30% rise in FY 2024-25 reflects normal market trends, not sustained dumping or price undercutting.
- xx. Some of the interested parties submit that the inventory adjustment in the disclosure statement does not reflect actual market conditions, as inventory levels and costs are shaped by various commercial and operational factors. They contend that the applied adjustment overlooks these dynamics, thereby distorting the injury analysis.
- xxi. The party contends that the determination of price underselling, as calculated in the disclosure statement, is not consistent with actual market prices. They maintain that the methodology used inflates the injury margin and does not align with prevailing transaction values in the domestic market.
- xxii. The 25%-70% dumping margin range is inconsistent with procurement trends showing a 17.90% decline in FY 2023-24, followed by a 1.30% rise in FY 2024-25. Weighted average prices for most rail types have stabilized or risen, reflecting cyclical cost-based movements rather than sustained undercutting.
- xxiii. The alleged injury to the domestic industry is attributable to multiple factors other than subject imports, such as raw material price fluctuations, operational decisions and cost structures. They assert that these factors significantly contributed to the injury and must be duly considered in the causation analysis.
- xxiv. The inconsistencies exist between the final PUC/PCN notification dated 19 November 2024 and the disclosure statement, as certain models (e.g., TK2A and TK3A) initially covered have not been addressed, while other models outside the notified scope have been included in the analysis like ST89-1B.
- xxv. The final measure, if imposed, should apply prospectively, as retrospective application would unfairly affect past contracts, distort project economics and harm downstream sectors.
- xxvi. The dumping margin or injury margin of Bonly, if revised, should be followed by a fresh disclosure with an opportunity to provide comments.

L.2 Submissions made by the domestic industry

199. The following post disclosure submissions have been made by the domestic industry:
- i. The PUC is not a standardized product and is traded in multiple units of measurements including “*numbers*”, “*sets*” or “*kilograms*”. The domestic industry as well as exporters from China issue the invoices in “*numbers*” and “*sets*”. Thus, making fixed duty rates impractical and prone to underpayment risks. Given the product’s technical variations, administrative difficulties for Customs and past Authority practice it is requested that the duty be recommended on an ad-valorem basis.
 - ii. Bonly’s injury margin (0%-10%) is significantly lower than its dumping margin (25%-35%) and far below other exporters’ margins. Considering Bonly’s large production capacity, reduced export prices post-POI and risk of import surge, the domestic industry requests the Authority to re-examine Bonly’s data to ensure the duty serves its remedial purpose.

L.3 Examination by the Authority

200. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/ submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below.
201. With respect to the submission of interested parties that the growth in imports from the subject country during the POI was outpaced by the growth in overall domestic demand, thereby merely meeting additional market demand without displacing the domestic industry’s sales or causing volume-based injury, the Authority notes that although market demand increased during the injury period, the growth in imports from China PR was substantial and far exceeded the growth in the domestic industry’s sales. Despite adequate demand in the country, the domestic industry’s capacity utilization remained significantly low, indicating its inability to fully benefit from the expanding market due to the presence of dumped imports. The Authority further notes that domestic sales rose from 100 to 144, while imports from China PR increased from 100 to 192, evidencing a disproportionate surge in imports. This pattern reflects a clear displacement of the domestic industry, as the rising share of dumped imports in a growing market has captured demand that could have been met by domestic producers, thereby causing material injury.
202. With respect to the submission of interested parties that the attribution of material injury solely to imports overlooks other causal factors such as capacity expansion, higher interest and depreciation costs, macroeconomic conditions and the residual effects of COVID-19 disruptions, thus requiring a proper non-attribution analysis under Rule 11(2) of Rules, the Authority notes that it has duly considered these aspects and has already undertaken a detailed non-attribution analysis in the present investigation. The Authority further notes that the financial performance of the domestic industry shows a decline in PBIT and cash profits during the POI, despite the alleged increase in interest and depreciation costs. Specifically, PBIT fell from INR *** lacs in

2021-22 to INR *** lacs in the POI, and cash profits from INR *** lacs to INR *** lacs in the same period, indicating that the deterioration is linked to the impact of dumped imports rather than higher financial charges. Additionally, the POI is a non-COVID period, the decline in performance cannot be attributed to COVID-19. The domestic industry is an established producer of the subject goods, with mature production processes and established customer networks. Consequently, the capacity expansion undertaken does not require a gestation or stabilization period typical for new entrants and does not explain the injury suffered. Accordingly, neither increased financial costs nor capacity expansion nor any residual COVID-19 effects break the causal link between dumped imports and the material injury to the domestic industry.

203. With respect to the contention of interested parties that the number of employees, production per employee, and wages have all increased, showing a positive trend throughout the injury period, the Authority notes that the domestic industry has not claimed injury on account of such parameters.
204. With respect to the submission of interested parties that the confidentiality analysis in the disclosure statement is contradictory, as it first declares confidentiality objections procedurally inadmissible for being filed late but then accepts and examines confidentiality claims allegedly rendering the finding vague, non-transparent, and in violation of natural justice, the Authority notes that this interpretation of other interested parties is misplaced. The procedural inadmissibility applied only to late-filled *objections*, whereas the Authority is independently mandated under Rule 7 to assess confidentiality *claims* on their merits. The latter part of the examination reflects this separate statutory review, wherein confidentiality was accepted only where warranted and adequate non-confidential versions were directed wherever possible. Accordingly, there is no contradiction in the Authority's findings.
205. The Authority notes that some of the interested parties have questioned the credibility of the financial data furnished by the domestic industry on the grounds that the Statutory Auditor's Reports for recent years recorded deficiencies in internal financial controls. In this regard, the Authority observes that a clear distinction must be made between internal financial controls over financial reporting and the audited financial statements. Any weakness in such controls, as pointed out by the statutory auditor, relates to the systems and processes through which financial information is compiled, and the mechanisms intended to prevent and detect discrepancies or fraud. Notwithstanding these observations, the auditor has not issued an adverse opinion on the company's financial results but rather a qualified report. Such a report signifies that certain misstatements or limitations were noted, however, these were not considered to alter the overall financial statements, and the auditor has expressed an opinion "except for" the identified issues. The Authority further notes that the financial information submitted in this investigation has been independently examined by the Authority itself. Therefore, attempts to discredit the domestic industry's financial submissions on the basis of audit remarks concerning internal controls are speculative. In the absence of any substantive evidence of material error or misstatement, the Authority considers the submitted financial data to be credible and reliable.
206. With respect to the contention of some interested parties that the domestic industry deliberately undertook additional borrowings, thereby increasing its interest expenses and other operational

costs as a calculated strategy to create an “artificial injury”, the Authority notes that the borrowings were made in the normal course of business to support legitimate capital expansion activities, including the installation of new machinery in 2023. The losses suffered in the POI establish that such investments have not translated into returns due to adverse pricing pressure from dumped imports. Hence, the contention that borrowings were aimed at tax avoidance or manipulating injury is wholly unfounded.

207. With respect to the contentions of other interested parties that inconsistencies exist between the final PUC/PCN notification dated 19 November 2024 and the disclosure statement, on the ground that certain models initially covered (such as TK2A and TK3A) have not been addressed in the disclosure statement, while other models outside the notified scope (such as ST89-1B) have been included in the disclosure statement, the Authority notes that the final PUC/PCN notification expressly incorporated a distinct category titled “*others*”. The PCNs provided therein were indicative in nature and intended solely to facilitate an accurate and fair comparison of the PUC in the context of the present investigation. These illustrations did not constitute an exhaustive enumeration of all product categories. The inclusion of the “*others*” category for both solid guide rail and hollow guide rail was a deliberate and reasoned measure to ensure that any category not explicitly listed, but falling within the scope of the PUC, was duly captured in the analysis. Thus, the contentions raised were wholly unfounded and only speculative.
208. Regarding the issue of raw material price volatility and monthly margin calculations, the Authority observes that none of the interested parties raised the matter of monthly margin calculations during the investigation. Since this issue was only mentioned in the post-disclosure comments and the necessary data to support such calculations is lacking, the Authority concludes that monthly margin calculations cannot be adopted.
209. With respect to the concern that the Authority did not calculate dumping and injury margins for each PCN, thereby rendering the PCN classification exercise ineffective and undermining the accuracy of the injury analysis, it is noted that the Authority has, in fact, conducted PCN-wise dumping and injury margin calculations. Furthermore, the disclosure statement reflects the weighted average of these PCN-wise margins.
210. With respect to the submissions of the interested parties pertaining to the light weight guide rails, the Authority has examined the issue in detail under dumping margin section.
211. With respect to the domestic industry’s submission regarding the recommendation of duty on ad-valorem basis, the Authority notes that the PUC is traded in multiple units of measurement, including “numbers”, “sets”, or “kilograms”. The domestic industry as well as exporters from China issue invoices in “numbers” or “sets”. For making a fair comparison, the unit of measurement for the purposes of the present investigation has been taken as weight (KG). Therefore, the fixed rate of antidumping duty will result in unnecessary burden on and administrative difficulty to the customs authorities to assess and collect the antidumping duty as they would require calculating the weight of each shipment based on the type of guide rail imported. There is also a possibility that some exporters declare inaccurate dimensions for deriving the weight of the shipment, which can lead to underpayment of ADD. Even if some exporters declare the weight in shipping documents, it is administratively difficult to verify the

accuracy of the same. Therefore, considering the peculiarity of the PUC, the Authority deems it appropriate to recommend antidumping duty on ad-valorem basis.

M. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

212. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- i. The product under consideration in the present investigation is T-shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails, which are also known as Lift Guide Rails. Lift Guide Rails are of two types i.e., Solid Guide Rails and Hollow Guide Rails.
- ii. The scope of the PUC includes T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails of all types and dimensions, excluding the following:
 - a. Cold-Drawn Guide Rails: T65/A, T45/A and T50/A are usual designations of Cold-Drawn Guide Rails (where, /A' at end of the nomenclature indicates cold-drawn type).
 - b. Solid Guide Rails of large sizes / widths, namely, T114/B, T127/B, T125/B and T140/B in different variants (/B' or 'BE' at the end indicates machined type and quality)
 - c. Welded Hollow Guide Rails.
 - d. T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails imported as a part of a complete elevator kit.
 - e. The accessories of T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails such as Bolts, fishplates and clips are not in the scope of the PUC.
- iii. The subject goods exported from the subject country and the article manufactured by the domestic industry are 'like article' to each other in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.
- iv. The domestic industry alone constitutes 89% of the total domestic production of product under consideration in India and 95% with the supporter company. Thus, constitutes the majority of Indian production of the PUC.
- v. The imports made by the petitioner are minuscule relative to total Indian demand, total domestic production, total imports, and its own production, and have been undertaken for valid reasons to support and augment Indian manufacturing.
- vi. With respect to the relationship with exporters from the subject country, both the petitioner and the related Chinese exporters act independently in defining and pursuing their business strategies. The petitioner operates autonomously in the Indian market, remains focused on its own production and sales, has not derived any benefit from dumping, and is actively seeking redressal against unfair trade practices, while the injury suffered is not self-inflicted. Therefore, the Applicant passes the requisites under Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.
- vii. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined, and the margins are positive and significant.
- viii. The demand for the subject goods has increased throughout the injury period including the POI. The demand for the subject goods has increased by 71% in the POI compared to the base year. Despite having the capacity to meet almost 40% of the demand of the PUC in India,

the market share of the domestic industry has reduced from an already low share [***%] in the base year declined to [***%]. The domestic industry has been unable to achieve the optimum level of production.

- ix. The landed prices of the subject imports have declined sharply in the POI and are lower than the raw material cost of the domestic industry, resulting in positive and significant price undercutting throughout the injury period. The domestic industry's profitability, cash profit, PBIT and the return on capital employed shown decline throughout the injury period except in 2021-22. The profits in the base year turned into losses in the POI.
- x. The domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports. The injury margin is significant.
- xi. Imposition of anti-dumping duty would not affect the availability of the product to the customers.
213. The Authority notes that the investigation was initiated and notified all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury, causal link and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the Anti-Dumping Rules and having quantified the impact of the imposition of anti-dumping duty, the Authority is in view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends the imposition of an anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.
214. In view of the above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1)(b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as a percentage of the CIF price of the goods as indicated in Col. 7 of the duty table given below.

Duty Table

SN	Sub Heading or Tariff Item*	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty as % of CIF
1	2	3	4	5	6	7
1	84313100, 84313910, 84313990, 73089090	T-shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails**	China PR	Any Country including China PR	Marazzi (Jiangsu) Elevator Guide Rail Co., Ltd.	24.11%
2	-do-	-do-	China PR	Any	Wuxi Koenig	31.20%

				Country including China PR	Elevator Accessories Co., Ltd.	
3	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Zhejiang Bonly Elevator Guide Rail Manufacture Co., Ltd.	32.26%
4	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Non-Sampled Cooperative Producers, as per list below ***	26.10%
5	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Any producer other than S. No. 1 to 4	51.87%
6	-do-	-do-	Any Country other than China PR	China PR	Any	51.87%

**The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.*

*** Excluding the following:*

- a. Cold-Drawn Guide Rails: T65/A, T45/A and T50/A are usual designations of Cold-Drawn Guide Rails (where, /A' at end of the nomenclature indicates cold-drawn type).
- b. Solid Guide Rails of large sizes / widths, namely, T114/B, T127/B, T125/B and T140/B in different variants ('/B' or '/BE' at the end indicates machined type and quality)
- c. Welded Hollow Guide Rails.
- d. T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails imported as a part of a complete elevator kit.
- e. The accessories of T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails such as Bolts, fishplates and clips are not in the scope of the PUC.

**** List of non-sampled cooperative producers from China PR*

S.No.	Non-Sampled Cooperative Producers
1	Tianjin Savera Elevator Riding Systems Co., Ltd.

2	Suzhou Savera Shangwu Elevator Riding System Co., Ltd.
3	Zhangjiagang Oscar & Jason Elevator Parts Co., Ltd.

N. **FURTHER PROCEDURE**

215. An appeal against the determination of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority